युवाओं के व्यक्तित्वशील गुणों पर आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. बी. आर. बरोदे, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय एम.आई.एम.टी. कालेज, नरसिंहपुर

आध्यात्मिक वातावरण ईश्वर के प्रति आस्था और परोपकार सामाजिक व्यवहार को संचालित करता है। मनुष्य ईश्वर की कृपा और मानवीय व्यवहार में विश्वास करने लगते हैं। आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्ति सद् विचार और दयालुता का व्यवहार करने लगता है। वह सामान्य कठिनाईयों को साधारण रूप में ईश्वर की इच्छा मानता है। और इनका हंसते हुए सामना करता है। आध्यामिक वातावरण मनुष्य को कठिन परिश्रम करने और सदा प्रसन्न रहने की सीख देता है।

आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति हंसमुख दूसरों को हंसाने वाला और प्रत्येक समस्या का सामना करने वाला बनता है। व्यक्ति साहसी और परोपकारी बन जाता है। दुःख सुख को समरूप से देखता है। ईश्वर पर विश्वास कर प्रत्येक कठिनाई और समस्या का हंसकर सामना करता है। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। अपने दुःखों को स्वयं सहता है और दूसरों को दुःखी नहीं होने देता। आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होता है।

यह अध्ययन आध्यामिक वातावरण का युवाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव की दृष्टि से किया गया। इस अध्ययन में 200 युवक एवं 200 युवतियां जिनकी आयु सीमा 20 से 25 वर्ष की थी, सम्मिलित किये गये।

आध्यात्मिक वातावरण परीक्षण के आधार पर आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले और न रहने वाले दो समूह बनाए गये। उन समूहों को प्रसन्नचित एवं कम प्रसन्न चित व्यक्तित्व परीक्षण दिया गया। इस परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया कि जो युवक युवतियां आध्यात्मिक वातावरण में रहते है वे सदैव प्रसन्नचित, दूसरों के दुःख बाटने और परोपकारी स्वभाव के होते हैं और आध्यात्मिक वातावरण में नहीं रहने वाले दुःखी संतृप्त और दूसरों को कठिनाईयां उत्पन्न करने वाले होते है।

प्रस्तावनाः— मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। ईश्वरीय सत्ता का सर्व बुद्धिमान व श्रेष्ठ प्राणि मानव है। इसीलिए मनुष्य भी ईश्वर के प्रति असीम आस्था रखता है। आध्यात्मिक वातावरण ईश्वर के प्रति आस्था और परोपकार ही सामाजिक व्यवहार को संचालित करता है। यह व्यक्ति के व्यवहार और उसकी जिन्दगी के तौर तरीकों को सदैव प्रेरित करता रहा है। आध्यात्मवाद व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है जो मानव और प्रकृति के चक्र को नियंत्रित करता है एवं दिशा प्रदान करता है। आध्यात्मिक वातावरण में ही व्यक्ति हंसमुख दूसरों को हंसाने वाला और प्रत्येक समस्या का सामाना करने वाला बनता है।

महाभारत में कहा गया है कि ''जिस प्रकार विभिन्न स्त्रोतों से निकली नदियाँ अपना जल एक ही सागर में उड़ेलती है, हे प्रभु! उसी प्रकार विभिन्न मनुष्य अपने स्वभाव अनुकूल आध्यात्मिक अलग–2 मार्गो से चलकर केवल तुझे ही उपलब्ध हों।''

देश, काल और पारिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते है। आज का युवा अपने वर्तमान एवं भविष्य के प्रति अत्यंत सजक है। बदलती परिस्थितियाँ सामाजिक, धार्मिक मान्यताएँ विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बाद भी युवा वर्ग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं एवं आदर्शो के अनुरूप आध्यात्मिक वातावरण में ही अपने व्यक्तित्वशील गुणों का विकास करता है। प्रत्येक युवा की सोच में बहुत अंतर आ गया हैं। वे सारे नियमों से परे किसी भी तरह जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते है। इसके लिए किसी तरह आध्यत्मिकता का सहारा लेते ही हैं।

महत्वः आध्यात्मवाद अति दैवीय परम शक्तियों में विश्वास दिखाता है जो कि जीवन में पवित्रता एवं शुद्धता की विशिष्ट धारणाओं पर भावनात्मक विश्वास बनाए रखने के लिए मानव को सदैव प्रेरित करता है। दुर्खीम महोदय ने कहा है कि '' आध्यात्मिकवाद एक विश्वास और अभ्यास की एकीकृत व्यवस्था है जो कि पवित्र चीजों से संबंधित है।'' आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति साहसी और परोपकारी बन जाता है। दुःख सुख को समरूप से देखता है। ईश्वर पर विश्वास कर प्रत्येक कठिनाई और समस्या का हंसकर सामना करता है। सदैव प्रसन्न चित्त रहता है अपने दुःखो को स्वयं सहता है और दूसरों को दुःखी नहीं होने देता। आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होता है।

आज का युवा इतनी बदलती परिस्थिति व आधुनिकता की अंधी दौड़ में भी भारतीय संस्कृति के आदेशों को अपनाने में सबसे आगे है। अधिकांश युवा वर्ग अपने प्रत्येक कार्य के शुभारंभ से पहले ईश्वर को याद करते है। आध्यात्मिक वातावरण में रहने वालें अधिकांश युवा समय निकालकर अपने इष्ट के मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जाते है। जहाँ उन्हें आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। जबकि आध्यात्मिकता से परे युवा वर्ग किमी पिकनिक, ढाबों, हिलस्टेशन पर मौजमस्ती करते हुए समय व्यतीत करते हैं।

शोध अध्ययन में पाया गया कि आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले युवाओं में निम्न व्यक्तित्वशील गुण होते हैः

1. किसी परम शक्ति में अटल विश्वास रखता है।

2. परमशक्ति से भावात्मक विकास होता है।

3. पवित्रता की धारणा रखते है।

4. प्रार्थना में अटूट विश्वास रखते हैं।

5. दयालु प्रवृत्ति के होते है।?

6. दूसरो के दुःखो को दूर करने में सदैव अग्रसर रहते है।

7. प्रत्येक धर्मो व धार्मिक स्थलों के प्रति आदर व सम्मान की भावना रखते हैं।

उद्देश्यः इस अध्ययन का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्वशील गुणों पर आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना है।

परिकल्पनाएँः

1. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले एवं न रहने वाले युवाओं के प्रसन्नचित्ता में कोई सार्थक अंतर नही होता।

2. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले एवं न रहने वाले युवकों के प्रसन्नचित्तता में कोई सार्थक अंतर नही होता।

3. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले एवं न रहने वाले युवतिओं के प्रसन्नचित्तता में कोई सार्थक अंतर नही होता।

शाध विधिः

न्यादर्शः

200 युवक एवं 200 युवतियाँ।

आयु सीमा 20 से 25 वर्ष।

शोधक्षेत्रः जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिला।

तालिका क्र. 1

क्षेत्र	युवक	युवतियां	योग
जबलपुर	100	100	200
नरसिंहपुर	100	100	200
कुल	200	200	400

उपकरणः— 1. आध्यात्मिक वातावरण मापनीः— श्रीमती रश्मि जैन
2.— प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व मापनीः— एम. अफरोज

तालिका क्रमांक 2

प्रदत्त का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रांतिक अनुपात
आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले युवाओं	200	24.4	4.6	1.2	2.7
आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वाले युवाओ	200	20.3	5.2		
आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले युवक	100	20.6	4.22	0.2	3.61
आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वाले युवक	100	18.2	5.11		
आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाली युवतियाँ	100	23.6	5.2	0.62	3.34
आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वाली युवतियाँ	100	21.2	5.41		

निष्कर्ष:

1. प्राप्त प्रदत्त के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक वातावरण में रहने वालें युवा सदैव प्रसन्नचित्त व दूसरों के दुःख बाटने वाले परोपकारी

स्वभाव के होते है। जबकि आध्यात्मिक वातावरण में रहने वालें युवा अधिक दुःखी संतृप्त एवं कम प्रसन्न रहते है।

2. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वालें युवाओं में आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वालें युवाओं की अपेक्षा अधिक अनुशासन, ईश्वर के प्रति अनन्य

आस्था, विश्वास सदाविचार और दयालु जैसे व्यक्तित्वशील गुण अधिक होते है। वे अपनी प्रत्येक सफलता कर श्रेय ईश्वर व अपने बड़ों को देते है।

3. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले युवकों, आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वाले युवकों की अपेक्षा अधिक दयालु प्रसन्नचित्त दूसरों के दुःखों को

बाटने वाले तथा परोपकारी स्वभाव वाले होते है।

4. आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाली युवतियाँ, आध्यात्मिक वातावरण में न रहने वाली युवतियों की अपेक्षा अधिक दयालु प्रसन्नचित्त साहसी दूसरों

के दुःखों को कम करने वाले व्यक्तित्वशील गुण अधिक पाये जाते है।

स्मार्ट ग्राम– स्मार्ट पंचायत

डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक जबलपुर

लक्षित करते हुए ग्राम पंचातय भवनों को कार्यालय का रूप देने का प्रयास किये जा सकते है। इसके लिये ग्राम पंचायत भण्डार, क्रय नियमों तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी नियमों का पालन करते हुये 'रिसोर्स एनवलप' में प्राप्त अनाबद्ध राशि से व्यय कर निम्न कार्य संवादित कर सकती है–

6.1 ग्राम पंचायत भवन के अंदर सभी दीवालों एवं छत पर पुट्टी भरवाकर सभी बाहरी दीवालों की गुलाबी रंग से पुताई, खिड़की दरवाजो की ग्रे रंग से पुताई, खिड़की दरवाजो की ग्रे रंग से पुताई तथा आवश्यकतानुसार भवन की छत का वाटर प्रूफिंग कार्य।

6.2 ग्राम पंचायत भवन में अर्थिंग सहित बिजली फिटिंग, सी. एफ.एल, पंखे तथा इंनवर्टर की व्यवस्था।

6.3 सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के लिये कार्यालयीन फर्नीचर तथा पंचों की संख्या के मान से विजिटर कुर्सी की व्यवस्था। क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत में उसके अनुरूप अतिरिक्त व्यवस्थाएं।

6.4 आवश्यक स्टेशनरी तथा समस्त कार्यालयीन व्यय
6.5 अभिलेख संधारित करने के लिये अलमारी तथा बॉक्स की व्यवस्था।
6.6 पर्सनल माइक सिस्टम
6.7 पंचायत भवन में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
6.8 पंचायत कार्यालय से मुख्य सड़क तक सी.सी. रोड़ निर्माण।
6.9 निशःक्तजनों के लिये रेम्प का निर्माण।
6.10 पूर्व में प्रदाय किये गये हाडवेयर की सुरक्षा जिसमें बीमा राशि का व्यय भी सम्मिलित है।
6.11 आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक महिला एवं पुरूष शौचालय निर्माण।
6.12 अन्य व्यय जो तार्किक एवं अनिवार्य हों तथा जो भण्डार क्रय नियमों एवं प्रचलित अन्य नियमों में अनुमत्य हों।

7. अन्य कार्य :

7.1 भूमि क्रय :

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रिक्त शासकीय भूमि की अनुप्लब्धता की स्थिति में ग्राम पंचायतें अपने सामुदायिक दायित्वों के निर्वहन के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार आबादी भूमि क्रय कर सकेंगी।

7.2 सौर ऊर्जा उत्पादन :

ग्राम पंचायतें प्रथक–प्रथक सौर ऊर्जा लाइट्स लगाने के स्थान पर अपने क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता को सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर सकेंगी ताकि ग्राम पंचायत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

7.3 पुरातात्विक धरोहरों की रक्षा :

ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की ऐसी पुरातात्विक धरोहरें जो कि किसी भी स्तर से संरक्षित घोषित नहीं है उनका प्रारंभिक संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर सकेगीं।

7.4 सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापनाः

ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में ग्राम वार या पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना कर सकेंगी। इन पुस्तकालयों को अध्तन रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का होगा।

परिसंपत्तियों का रख रखावः

निर्मित समस्त परिसंपत्तियों का रख रखाव एवं मरम्मत के कार्य किये जा सकेगें। पुराने पेयजल स्त्रोतों जैसे सार्वजानिक कुओं तथा बावड़ियों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से लिये जाने चाहिए। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देश अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि के 20 प्रतिशत तक राशि परिसंपत्तियों के रख रखाव पर व्यय की जा सकेंगी। इसमें से 5 प्रतिशत राशि ग्राम की साफ सफाई कार्य पर व्यय की जा सकेगी। इस 20 प्रतिशत राशि के विरूद्ध किये जाने वाले व्यय भी लेखांकन तथा लेखा परीक्षण के अधीन होंगे तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इनका व्यय दर्शाया जावेगा किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के रख रखाव एवं मरम्मत कार्य को लेने के पूर्व उस परिसंपत्ति को ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति पूंजी में दर्ज करने पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन संधारित परिसंपत्ति पंजी में भी दर्ज कर जियोटेग फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के कार्य पर हुये समस्त व्यय अनिवार्यतः पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज किये जावेगे।

आवश्यकताओं का निर्धारणः

उपरोक्तानुसार वातावरण निर्माण तथा विभिन्न तरीकों से विभिन्न पहलुओं के संबंध में वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर ग्राम पंचायत के द्वारा आवश्यकताओं का निर्धारण किया जावेगा। आवश्यकताओं का निर्धारण ग्रामवार, विकास के विभिन्न घटकवार, तथा व्यक्ति समूह वार किया जा सकता है।

कार्यों के चिन्हांकन की प्रक्रिया एवं प्राथमिकता निर्धारणः

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना में सहभागिता पूर्वक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवश्यकताओं का आंकलन कर किये जाने वाले कार्यो को प्राथमिकता अनुसार सूचीबद्ध किया जावेगा। यह आवश्यक होगा की ग्राम पंचायतें कार्यो की आवश्यकता एवं प्राथमिकता का निर्धारण करते समय अपने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामों तथा बसाहटों को समान दृष्टि से देखे अर्थात कोई भी ग्राम या बसाहट उपेक्षित ना रहे। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी यह प्राथमिकता सूची पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जानी होगी तथा इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार करना:

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। ग्राम पंचायत परिस्थिति विशलेषण के विभिन्न तरीकों से प्राप्त वस्तुस्थिति के आधार पर ग्राम पंचायत रिसोर्स एनवलप के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता निर्धारित कर अपने लिये एक विकास योजना तैयार करेगी। विकास योजना में पूर्व में उल्लेखित घटकों को समाहित करते हुये दो भाग होगें। (1) सामुदायिक कार्य (2) हितग्राही मूलक कार्य। प्रत्येक कार्य को संपादित करने हेतु समय सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। विकास योजना में ग्राम पंचायत अपने वार्षिक और दीर्घकालीन लक्ष्य तथा स्वरूप निर्धारित कर सकती है अर्थात यह निर्धारित किया जा सकता है कि एक वर्ष बाद ग्राम पंचायत का स्वरूप कैसा होना चाहिए या उसके बाद के वर्षों में ग्राम पंचायत किस रूप में स्थापित हो। इस विकास योजना को र्स्माट ग्राम–र्स्माट पंचायत नाम से संबोधित किया जावेगा। विकास योजना की प्रविष्टि पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी अनिवार्यतः की जावेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन

ग्राम पंचायत द्वारा तैयार विकास योजना के ग्रामवार घटकों को संबंधित ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। ग्राम सभा द्वारा उदभुत समस्त विषयों को तार्किक आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जावेगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी। जनपद पंचायत द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को संकलित कर जिला पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। जनपद पंचायत एवं जिला पचांयत विकास योजना में सम्मिलित विषयों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन

ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जावेगा। सभी संबधित विभाग अपने क्षेत्रीय लोक सेवकों के माध्यम से क्रियान्वयन में भागीदार होंगे। सभी संबंधित विभागों के द्वारा योजना में सम्मिलित विषयों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जावेगी। ऐसे विषय जो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक एवं विलीप सीमा के बाहर होंगे या उसको सौंपे गये दायित्वों के अतिरिक्त होंगे उनका क्रियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। जनपद पंचायत द्वारा इनके मध्य समन्वय किया जावेगा। जिला पंचायत स्तर पर जिले के अंदर ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार विकास योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तर से निरंतर पर्यवेक्षण किया जाएगा।

कार्य हेतु अंशदान एवं अभिसरण

कार्य हेतु अंशदानः

कार्यो हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अंशदान की अनिवार्यता नही होगी। किंतु ग्राम पंचायत द्वारा अंशदान अस्वीकार नहीं किया जावेगा। यह अंशदान ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवलप का भाग होगा ग्राम पंचायतें इस अंशदान का उपयोग उन कार्यो के निष्पदान में गेप फिलिंग के लिये कर सकेंगी जहाँ अन्य मद उपलब्ध ना हो या उनका उपयोग अनुमत्य ना हो। ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों को अंशदान हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

अभिसरण (कनवरजेंस)

ग्राम पंचायतों को अपने रिसोर्स एनवलप में प्राप्त होने वाली राशियों के मध्य अभिसरण को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि संसाधनों की एकजुटता से अधिक परिणाममूलक कार्य संपादित हो सकें एवं परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। पंचायतों को कार्य की प्रकृति अनुसार कनवरजेंस हेतु समय समय पर जारी निर्देश प्रभावी रहेगें। प्रमुखतः निम्न योजनाओं से कनरवरजेंस किया जा सकेगा।

मनरेगा सेः

- सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये विशेषतः ग्रामीण सड़क तथा सी.सी. रोड़
- योजनांतर्गत पात्र परिवारों के लिये आजीविका के साघन जैसे कपिलधारा कूप, नंदन, फलोधान, पशुशेड आदि
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जैसे मेढ़ बंधान आदि।
- पंचायत भवन।
- अकुशल रोजगार से आय में वृद्धि।

स्वच्छ भारत मिशनः

- व्यक्तिगत शौचालय
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- प्रचार–प्रसार

इंदिरा आवास एवं ग्रामीण आवास मिशनः

- सभी को आवास– ग्राम पंचायत आवास हेतु बैक ऋण ले सकेंगी

एन.आर.एल.एम :

- गरीबी उन्मूलन
- स्व सहायता समूह

A Study of Accounting Standards and Accounting Policies

Dr. Jitendra Kumar Yadav, (Principal) Lbs Institute Of Management Jbp
Smt. Pratima Upadhyay, (Lecturer) Govt. Womens Poly. College Jabalpur

Introduction: Accounting is the language of business and information relating to business is given through financial statement to various related parties. These financial statement should be prepared according to generally accepted accounting principles because if books of account of every business are prepared and presented as per self-made accounting principles, the users have to know the principles before understanding the information. If the financial statement are not prepared according to generally accepted accounting principles, they will be unsuitable for inter-company and inter-period comparison. Therefore, the accountants from all over the world developed certain rules, concepts and conventions with the object that the financial statements convey same information to all the users. These rules, concepts and conventions represent the unanimous views of professionals and are known as Generally Accepted Accounting Principles –(GAAP).

There are many areas in preparation and presentation of financial statements of business where despite of Generally Accepted Accounting Principles the accountant and manager have to depend upon self-decision (for example, valuation of stock, calculation of depreciation, provision for losses etc) These decision affect the business therefore financial statements prepared and presented on the basis of such decisions have limited use and cannot be compared. The accountants and managers are able to conceal the true financial results or present them in a fraudulent manner by means of self-decisions. The users of financial information thus unable to get advantage out of them .The problem of non-uniformity in accounting transactions have been identified worldwide and by setting up of accounting standards efforts are being done to solve it.

Accounting Standards: The basic objective of formulating accounting standards is to suggest rules and criteria of accounting measurements so as to narrow the areas of difference among reporting entities in the disclosure, measurements and methods of presentation of financial information in financial statements and financial report and also to change the quantity and quality of information in published financial reports. Another under-lying objective is to facilitate inter-firm comparison. However, this objective cannot be fully achieved in view of the fact that different countries follow different accounting standards and also within the same country, accounting standards offer a number of alternative treatments. Strictly speaking there should be a common set of accounting rules throughout the world to produce comparable financial statements. It is now recognized by all that the differences among countries in financial accounting and reporting are a primary impediment to the free flow of capital. However this move has been criticized on the ground that accounting being a social science , cannot follow rigid rules. The objectives of common accounting standards should be to establish broad principles while avoiding detailed rules.

Accounting standards are used to determine rational structural framework so that reliable and high level financial statements can be prepared .T.P. GHOSH has defined accounting standards as follows: Accounting Standards are the policy documents issued by the recognized expert accountancy body relating to various aspects of measurements, treatment and disclosure of accounting transactions and events. Efficient financial system depends on the reliability of financial statements to users and Accounting Standards are meant to make the users of financial statements informed about the reliable information and actual financial position and to determine necessary standards and to determine necessary standards and structural framework for it. The primary motive for issue of Accounting Standards is to bring uniformity and standardization of accounting policies and procedures. It is felt necessary on both national and international level to bring uniformity in accounting policies and procedures. With a view to harmonise the diversified accounting policies and practices at international level International Accounting Standards Committee (IASC) came into existence on 29th June, 1973. The accounting

bodies like Institutes of Chartered Accounting and Cost Accounting of different countries are members of this committee. The objective of setting up IASC was to develop accounting standards to be followed in the presentation of financial statements and to promote their world-wide acceptance and observance, so that there should be uniformity and comparability of accounting information.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the Institute of cost and works Accountants of India (ICWAI) are member of IASC. The standards issued by the IASC are known as International Accounting standards (IAS). The council of the Institute of Chartered Accountants of India established an Accounting Standards Board (ASB) on 21st April ,1977 . The main function of ASB is to formulate Accounting standards. While formulating accounting standards, ASB take into consideration the standards issued by the IASC, applicable laws, customs, usage and business environment. In the initial years the standards will be recommendatory in character and the Institute will give wide publicity among the users and educate members about the utility of accounting standards and the need for compliance with the disclosure requirements. The ICAI issues accounting standards for use in the presentation of the financial statements which are prepared for the use of shareholders.

Accounting Standards Board: The Institute of Chartered Accountants of India had constituted the Accounting Standard Board on 21st April, 1977 which is mainly concerned with preparation of Accounting Standard which is issued after being consented by council. The representative of various institutions, members of council, business, bank, Company Law Board, Central Board of Direct Taxes, The Comptroller and Auditor General of India Security Exchange Board of India are included in the incorporation of Accounting Standard Broad.

The following point are considered by board while preparing Accounting Standard :

(1) Accounting Standard is prepared within the limits of legal provision, in other words, accounting standard cannot neglect the legal provisions.
(2) The customs, usage and business environment prevailing in the country is also considered.
(3) Accounting Standards are issued for important items only and are effective from the date prescribed by Institute. They cannot be issued retrospectively.
(4) The International Accounting Standards should also be kept in view while issuing Accounting Standard should be maintained.

Process of Issuance of Accounting Standards: The process of issuance of Accounting Standards can be divided in five steps

First step : The Accounting Standard Board shall determine the area and subject for which accounting standard is required to be developed.

Second step : Accounting Standard Board constitutes study groups for accounting standard on above subject which prepared a preliminary draft. The draft is issued to outside institution like CLB, C&AG, ICWAI, ICSI, CBDT and the representatives of these institutions are invited to consider the draft of proposed accounting standard.

Third step : Keeping in view the opinion of representatives of various institutions, the exposure draft of proposed standard is issued to the members of Institute and general public to know their comments. The exposure draft of proposed standard is issued to the members of Institutions and general public to know their comments. The exposure draft is published in the journal of Instituted and is sent to various institutions. It includes the following main points-

(1) Description of basic concept and conventions related to proposed standard;
(2) Definitions of terms used in proposed standard;
(3) How the basic concepts and conventions are used while issuing standard;
(4) Applicability of proposed accounting standard on various institution;
(5) Date from which the accounting standard will be effective.

Fourth step – The Accounting Standard Board after considering the comments on exposure draft sends the final draft to the Council of Institute.

Final step – the council after considering the final draft gives its consent. The council can rectify the standard if feels necessary in consultation with Accounting Standard Broad.

Importance of Accounting standard: The accounting standards seek to describe the accounting principles, the valuation techniques and the method of applying the accounting principles in the preparation of financial statement so that they may give a true and fair view. The ostensible purpose of the standard setting bodies is to promote the dissemination of timely and useful financial information to investors and certain other parties having an interest in company's economic performance. The setting of accounting standards has the following advantages :

(1) Standards reduce to a reasonable extent or eliminate altogether confusing variations in the accounting treatments used to prepare financial statement.
(2) There are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed. Standards can call for disclosure beyond that required by law.
(3) The application of accounting standards would, to a limited extent, facilitate comparison of financial statements of companies situated in different part of the world and also of different companies situated in the same country. However, it should be noted in this respect that differences in the institutions, traditions and legal systems from one country to another give rise to differences in accounting standards practiced in different countries.

The quality and reliability of financial statement has been increased after the issue of accounting standards.

The companies (Amendment) Act, 1999 required after the issue of accounting in accordance with the accounting standards, while discharging their attest function, it will be the duty of the members of the Institute to ensure that the accounting standards are implemented in the presentation of financial statement covered by their audit report. In the event of any deviation from the standards, it will also be their duty to make adequate disclosures in their report so that the users of such statements may be aware of such deviations.

List of Indian Accounting Standards (AS)

The Institute of Chartered Accountants of India has issued the following twenty nine accounting standards :

S. No. Standards	Title of Accounting
AS 1	Disclosures of Accounting policies
AS 2	Valuation of Inventories (Revised)
AS 3	Cash Flow Statement (Revised)
AS 4	Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet Date (Revised)
AS 5	Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in Accounting Policies (Revised)
AS 6	Depreciation Accounting (Revised)
AS 7	Accounting for construction contracts (Revised)
AS8*	Accounting for Research and Development
AS 9	Revenue Recognition
AS 10	Accounting for fixed assets (Revised)
AS 11	Accounting for the effects of changes in foreign exchange rate (Revised)
AS 12	Accounting for Governments Grants
AS 13	Accounting for investments
AS 14	Accounting for Amalgamations
AS 15	Accounting for Retirement Benefit in the financial statements of employers
AS 16	Borrowing Costs
AS 17	Segments Reporting
AS 18	Related Party Disclosure
AS 19	Leases
AS 20	Earnings Per Share
AS 21	Consolidated Financial Statements
AS 22	Accounting for Taxes on Income
AS 23	Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements
AS 24	Discontinuing Operations
AS 25	Interim Financial Reporting
AS 26	Intangible Assets
AS 27	Financial Reporting of Interest in Joint Venture
AS 28	Impairment of Assets
AS 29	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset

AS – 1 Disclosure of Accounting Policies*

The following is the text of the Accounting Standard1 (AS -1) issued by the Accounting Standards Board, the Institute of Chartered Accounting of India on 'Disclosure of Accounting Policies'. The Standard deal with the disclosure of significant accounting policies followed in preparing and presenting financial statements.

In the initial years, this accounting standard will be recommendatory in character. During this period, this standard is recommended for use by companies listed on a recognized stock exchange and other large commercial, industrial and business enterprises in the public and private sectors.

Introduction :

1. This statement deal with the disclosure of significant accounting policies followed in preparing and presenting financial statements.
2. The view presented in the financial statements of an enterprise of its state of affairs and of the profit or loss can be significantly affected by the accounting policies followed vary in preparation and presentation of the financial statements. The accounting policies followed vary from enterprise to enterprise. Disclosure of significant accounting policies followed is necessary if the view presented is to be properly appreciated.
3. The disclosure of some of the accounting policies followed in the preparation and presentation of the financial statements is required by law in some cases.
4. The Institute of chartered Accounting of India has, in statement issued by it, recommended the disclosure of certain accounting policies, e.g., translation policies in respect of foreign currency items.
5. In recent year, a few enterprises in India have adopted the practice of including in their annual reports to shareholders a separate statement of accounting policies followed in preparing and presenting the financial statements.
6. In general, however, accounting policies are not at present regularly and fully disclosed in all financial statements. Many enterprises include in the notes on the, descriptions of some of the significant accounting policies. But the nature and degree of disclosure vary considerably between the corporate and non-corporate sectors and between units in the same sector.
7. Even among the few enterprises that presently include in their annual reports a separate statement of accounting policies, considerable variation exists. The statement of accounting policies forms part of accounting in some cases while in other it is given as supplementary information.
8. The purpose of this statement is to promote better understanding of financial statements by establishing through an accounting standard the disclosure of significant accounting policies and the manner in which accounting policies are disclosed in the financial statements. Such disclosure would also facilitate a more meaningful comparison between financial statement of different enterprises.

Explanation :

Fundamental Accounting Assumption :

9. Certain fundamental accounting assumptions underlie the preparation and presentation of financial statement. They are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed. Disclosure is necessary they are not followed.
10. The following have generally accepted as fundamental accounting assumptions:

(a) Going Concern : The enterprises is normally viewed as a going concern, that is, as continuing in operation for the foreseeable future. It s assumed that the enterprises has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of the operations.

(b) Consistency : It is assumed that accounting policies are consistent from one period to another.

(c) Accrual : Revenues and costs are accrued, that is, recognized as they are earned or incurred (and as money is received or paid) and recorded in the financial statements of the period to which they relate. The considerations affecting the process of matching costs with revenues under the accrual assumption are not deal with in this statement;

Nature of Accounting policies :

11. The accounting policies refer to the specific accounting principles and the methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements.
12. There is no single list of accounting policies which are applicable to all circumstances. The differing circumstances in which enterprises operate in a situation of diverse and complex economic activity make alternative accounting principles and method of applying those principles acceptable. The choice of the appropriate accounting principles and the method of applying those principles in the specific circumstance of each enterprise calls for considerable judgment by the management of the enterprise.
13. The various statement of the Institute of Chartered Accountants of India combined with the effort of government and other regulatory agencies and progressive managements have reduced in recent year

the number of acceptable alternatives particularly in the case of corporate enterprises. While continuing efforts in this regard in future are likely to reduce the number still further, the availability of alternative accounting principles and method of applying those principles is not likely to be eliminated altogether in view of the differing circumstances faced by the enterprises.

Areas in which differing Accounting Policies are Encountered :

14. The following are example of the areas in which different accounting policies may be adopted by different enterprises.

(1) Methods of depreciation, depletion and amortization
(2) Treatment of expenditure during construction
(3) Conversion or translation of foreign currency items
(4) Valuation of inventories
(5) Treatment of goodwill
(6) Valuation of investments
(7) Treatment of retirement benefits
(8) Recognition of profit on long –term contracts
(9) Valuation of fixed asset
(10) Treatment of contingent liabilities

15. The above list of examples is not intended to be exhaustive.Considerations in the selection of Accounting Policies :

16. The primary consideration in the selection of accounting policies by an enterprise is that the financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies should represent a true and fair view of the state of the enterprise as at the balance sheet date and of the profit or loss for the period ended on the date.

17. For this purpose, the major consideration governing the selection and application of accounting policies are :

(a) Prudence : In view of the uncertainty attached to future events, profit are not anticipated but recognized only when realized though not necessarily in cash. Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represents only a best estimate in the light of available information.

(b) Substance Over Form : The accounting treatment and presentation in financial statement of transaction and events should be governed by their substance and not merely by the legal form.

(c) Materiality : Financial statement should disclose all "material" items, i.e. items the knowledge of which might influence the decision of the user of the financial statements.

Disclosure of Accounting Policies:

18. To ensure proper understanding of financial statement, it is necessary that all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed.

19. Such disclosure should from part of the financial statements.

20. It would be helpful to the reader of financial statement if they are all disclosed as such in one place instead of being scattered over several statement, schedules and notes.

21. Examples of matter in respect of which disclosure of accounting policies adopted will be required are contained in paragraph 14. This list of examples is not, however, intended to be exhaustive.

22. Any change in an accounting policy which has a material affect should be disclosed. The amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact should be indicated. If a change is made in the accounting policies which has no material effect on the financial statement for the current period but which is reasonable expected to have a material effect in later periods, the fact of such change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted.

23. Disclosure of accounting policies or of change therein cannot remedy a wrong or inappropriate treatment of the item in the accounts.

References :

1. DR. M.L. SHARMA ,FUNDAMENTALS ACCOUNTING, RAMESH BOOK DEPOT JAIPUR –NEW DELHI
2. DR. JAWAHAR LAL – ACCOUTING FOR MANAGEMENT HIMALAYA PUBLISHING HOUSE MUMBAI,NEW DELHI,NAGPUR,PUNEP
3. DR.S.M. SHUKLA – FINANCIAL ACCOUNTING SAHITYA BHAWAN PUBLICATION, AGRA
4. DR. RAMESH MANGAL – FINANCIAL ACCOUNTING UNIVERSAL PUBLICATION , AGRA
5. DR. S.K.THAKUR – FINANCIAL ACCOUNTING RAMESH BOOK DEPOT JAIPUR , NEW DELHI

वर्तमान युग में राजस्व की महत्ता, अथ, धर्म और कर्म का आधार है

श्रीमती रीता जैन, वरिष्ठ अध्यापक, शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माधवगंज क्रमांक 2 विदिशा (म.प्र.)

कौटिल्य के उपरोक्त कथन से धन के महत्व को समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राज्य, धन किस प्रकार प्राप्त करता है और एकत्र धन को किस प्रकार व्यय करता है जिससे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, मानव कल्याण एवं आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके।

एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने सन् 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ''राष्ट्रों की सम्पत्ति'' (Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया। किन्तु ''अर्थशास्त्र'' के नाम से प्रथम पुस्तक के लेखक आचार्य कौटिल्य थे। उनकी रचना लगभग 2316 वर्ष पूर्व हुई थी।[1] इसमें राज्य के आर्थिक पक्ष के साथ विधि तथा राजनीति की भी चर्चा की गई है। राज्य के आय एवं व्यय के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला गया है। प्रारम्भ में राज्य के चार विभाग (उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण) बताये गये थे किन्तु पूर्व के विभागों में राजस्व को जोड़ा गया।

संस्कृत शब्द राजस्व दो अक्षरों से मिलकर बना है, यथा – राज + स्व, जिसका अर्थ है– राजा का धन। वर्तमान में राजस्व से आशय राज्य की वित्त व्यवस्था से है, अर्थात् राज्य या सरकार किन–किन स्रोतों से आय प्राप्त करती है तथा प्राप्त आय को किन–किन मदों पर तथा किस प्रकार व्यय करती है और यदि आय से व्यय अधिक है तो सरकार किस प्रकार जन साधारण से ऋण लेकर उसे पूरा करती है।

राजस्व का दूसरा नाम लोक वित्त भी है। 'लोक वित्त' दो शब्दों के योग से बना है– लोक + वित्त। लोक शब्द का आशय जन समूह से है जिसमें राज्य एवं सरकार के रूप में जन समूह विभिन्न क्रियाओं से सम्मिलित होता है जबकि वित्त का अर्थ आर्थिक व्यवस्था से है। अतएव केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की आय–व्यय सम्बन्धी क्रियाओं के समुचित अध्ययन को लोक वित्त अथवा राजस्व कहते हैं।

प्रो. डाल्टन के अनुसार– ''राजस्व, राज्य की आय और व्यय तथा इनके एक–दूसरे के साथ समायोजन से सम्बन्धित है।''[2]

आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र दिन–प्रतिदिन विस्तृत हो रहा है और अब इसके अन्तर्गत आय–व्यय के साथ–साथ सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, वित्तिय नियन्त्रण, लेखा परीक्षण, संघीय वित्त आदि का भी अध्ययन किया जाता है।

19 वीं शताब्दी में राजस्व का कार्य विशेष महत्व को नहीं था क्योंकि सरकार का कार्य केवल शान्ति व्यवस्था करना तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करने तक ही सीमित था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अहस्तक्षेप नीति को स्वीकार किया और सुझाव दिया था कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, परन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ और विशेषकर सन् 1930 की महामंदी के बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राजस्व के महत्व को स्वीकार किया। उनका मानना है कि राजस्व की क्रियाएँ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था वहां के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। वर्तमान में सभी देशों की सरकारों का लक्ष्य ''कल्याणकारी राज्य'' की स्थापना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्व के विभिन्न उपकरण महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यही कारण है कि आजकल बजट नीति में कार्यात्मक वित्त पर बल दिया जाता है। इस प्रकार आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र व्यापक हो गया है।

आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विषमता को दूर करने, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने आदि विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्व के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राजस्व के विभिन्न कार्यों को कार्यात्मक वित्त के नाम से भी जाना जाता है और इससे सम्बन्धित नीतियों को ''राजकोषीय नीति'' के नाम से जाना जाता है।

राजस्व का महत्व सभी देशों में बढ़ता जा रहा है। विकसित देशों में जहां आर्थिक स्थिरता के लिए विभिन्न राजस्व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार, विकासशील एवं अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए राजस्व की 5 क्रियाओं (सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तिय प्रशासन एवं आर्थिक स्थायित्वीकरण) को प्रयुक्त किया गया है।

आधुनिक युग में राजस्व का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह न केवल आर्थिक वरन् सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रो. कीन्स ने आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति से लड़ने में राजस्व (राजकोषीय नीति) के योगदान की विस्तार से विवेचना की है।[3] आधुनिक युग में राजस्व के महत्व को स्पष्ट करते हुए एलेन आर ब्राउनली ने लिखा है कि

''सार्वजनिक अर्थशास्त्र का सम्बन्ध सरकार के द्रव्य–संग्रह और द्रव्य व्यय करने तथा अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण करने के लिए किये कार्यों से है। अर्थात् इसका सम्बन्ध अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आबंटन, आय के वितरण और आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर से है।''[4]

प्रजातान्त्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारत में राजस्व का विशेष महत्व है। भारत की आर्थिक नीतियों में समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जिससे आर्थिक विकास की गति सतत् बनी रहती है। वर्तमान आर्थिक नीतियों का उद्देश्य वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण 'LPG' की अवधारणा को क्रियान्वित करना रहा है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियन्त्रण कम करके निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में

विश्व मंदी के दौर से प्रभावित है जिससे विकासशील राष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं जबकि मंदी के बाबजूद भारतीय बाजारों पर वित्तीय संकट का कम असर पड़ा है। इसी कारण भारत को उज्जवल सम्भावनाओं वाला देश माना जाता है जहां सार्वजनिक आय एवं व्यय की स्थिति शीघ्र ही और बेहतर हो सकती है।

संदर्भः–

1. अग्रवाल कमलेश, कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्राचार्य की राज्य व्यवस्थाएं, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997 पृ.क्र. 21
2. 2. Dalton H. Principal of Public Finance (Jonathna cape)
3. J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (1956)
4. yu ,oa czkmuyh & Economics of Public Finance (World Press)

पर्यावरण का नैतिक पक्ष

तेजराम पाल, (शोधार्थी) हे. न. ब. ग. विश्वविद्यालय श्रीनगर, उत्तराखण्ड

नैतिकता का शाब्दिक अर्थ है ''नीति के अनुसार कर्म करना'' अर्थात सही नीति, सही दिशा का ज्ञान कराती है। मसल्न मनुष्य का सही आचरण, व्यवहार, दिशा –निर्देश इस बात की ओर इंगित करता है कि उसकी सोच समाज और विश्व के लिए कितना उपयोगी और कितना यथार्थपूरक है। नैतिकता समाज के हर पहलू, हर आयाम के संदर्भ में विश्व और पर्यावरण की ओर सन्मार्ग का रास्ता दिखलाती है। पर्यावरण वे परिस्थितियॉ या परिवेश है जिनमें मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे रहते हैं और अपना क्रियाकलाप करते है। पर्यावरण किसी–न–किसी रुप से हर मनुष्य हर प्रजाति से पूरी तरह से जुड़ा है। पर्यावरणीय असंतुलन समाज और विश्व में अनेक दुष्प्रभावों को जन्म देती है। पर्यावरण अथवा प्रकृति से छेड़छाड़ पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है, जिसका परिणाम हम लोगों ने हाल ही में हुए उत्तराखंड की घटना को देखा है।

पर्यावरण का अर्थ एंव स्वरुपः

आज मानव विश्व के पैमाने पर अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। जिनमें पर्यावरण से संबधित समस्याओं एवं समाधान की व्याख्या जिस नीतिशास्त्र में होता है उसे ही पर्यावरणीय नैतिकता कहते है। ''इन्टरनेट एन्साइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स'' में कहा गया है कि पर्यावरणीय नीतिशास्त्र का वह विषय है जो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के नैतिक आधार की पुष्टि है। पर्यावरण वे परिथितियाँ हैं जिनमें मनुष्य, पशु और वनस्पति रहते हैं तथा क्रियाकलाप करते हैं। रहने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उनमें अन्न, जल, वायु, वस्त्र, आवास आदि सभी जरुरी है। ये सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रकृति–जगत ही पर्यावरण है।

मनुष्य और पशु प्रकृति जगत में ही रहते है। इसलिए मनुष्य, पशु और वनस्पतियों में परस्पर अन्तः संबंध पाया जाता है। ये अपने क्रियाकलापों के लिए पूरी तरह से एक–दूसरे पर निर्भर रहते है। ये परस्पर निर्भरता भी पर्यावरण का ही एक रुप है। पर्यावरण आज विश्व का सर्वाधिक चर्चा का विषय बन गया है । प्रदूषण या प्राकृतिक असंतुलन का जैसे–जैसे फैलाव हो रहा है, वैसे ही सेमिनारों संगोष्ठी सम्मेलनों और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा विश्व जनमत को जागरुक बनाने का प्रयास भी तेजी से होते जा रहे है। अधिक–से–अधिक धनराशि खर्च करके लाखों वैज्ञानिक प्रदुषण की इस रोकथाम के लिए नई–नई तकनीकों के विकास में जुटे हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, नीति–निर्माता प्रशासक तथा अन्य अनेक व्यक्ति भी जनहित के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं क्योंकि मानव समाज का प्रत्येक घटक अथवा परोक्ष रुप में प्रदूषित पर्यावरण से पीड़ित है कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी स्वर्ग से भी प्यारी हैं, किन्तु 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले ही हमने इसकी क्या हालत बना दी है यह हम अच्छी तरह से जानते है।

मनुष्य ने हमेशा प्रकृति से लिया ही है। प्रकृति ने भी उदारतापूर्वक मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति की हैं, परंतु जब से मनुष्य ने अपने भोग–विलास के लिए प्राकृतिक संपदाओं को जरुरत से ज्यादा उपयोग के साथ–साथ उसे नष्ट करने का भी सिलसिला शुरु किया, तभी से उसने अपने विनाश को भी आमंत्रित कर लिया है। आज संपूर्ण विश्व जिस तरह से किसी–न–किसी प्राकृतिक आपदा के चपेट में आकर जनधन की अपार क्षति उठा रहा है, उसने मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

मनुश्य विश्व का सबसे अधिक चिंतनशील और प्रकृति की अनूठी कृति है। प्रकृति ने जीव–जन्तुओं, वनस्पति, नदी–पहाड़, वायु, जल, खनिज सम्पदा आदि सभी की रचना की है। प्रकृति के इन विभिन्न आयामों की रचना करने के पीछे का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए विभिन्न आयामों में संतुलन बनाए रखने से ही पर्यावरण भाब्द बना रह सकता है जो उसके विकास तथा प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है।

मनुश्य प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी है इसलिए उसका उत्तरदायित्व है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखे। मनुष्य एक विवकेशील प्राणी है, जिसे आनेवाली पीढ़ी को प्रकृति को उन्नत स्थिति प्रदान करनी है। यदि मनुष्य एक न्यासी द्वारा प्रदत्त कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी से सम्पन्न नहीं करता है तो उसका अनैतिक कृत्य ही समझा जाएगा। प्रकृति के विभिन्न रुपों में संतुलन बनाये रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को होने देना और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ी को एक न्यायिक की हैसियत से हस्तान्तरित करता है तो उसका यह कार्य नैतिक है। इसलिए मनुष्य वर्तमान में प्रदूषण को रोकते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण को बिगड़ने न दे और समग्र सृष्टि का विकास करते हुए मानवीय एकता, सहअस्तित्व तथा आत्म–निरीक्षण करते हुए मानव मात्र के विकास एवं खुशहाली के संदर्भ के बारे में सोचें इस प्रकार की सोच से

वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव–जन्तु और आकाशीय रिश्तों में संतुलन स्थापित करने से किया गया

कार्य नैतिक मूल्यों पर खरा उतरता है जब कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए प्रकृति के संतुलन को विध्वंस करना अनैतिक कृत्य हैं। मानव का प्रकृति से गहरा संबंध है। इस संबंध में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का दृष्टिकोण पश्चिम के लोगों का है जबकि भारतीय दृष्टिकोण में प्रकृति हमारे लिए पूजनीय रही है। भारतीय समाज में प्रकृति को पोषण करने का है न कि दोहन और शोषण करने का, इसलिए इसे नैतिक कार्य समझा जाता है। जिस प्रकार से हम गाय का दोहन करते हैं तो वह हमें दूध देती है परंतु दोहन से पहले हम उसका पोशण करते है इसलिए यह दोहन नैतिक कार्य है। यदि गाय का पोषण न करके केवल दोहन में ही विश्वास रखे तो यह कार्य अनैतिक की श्रेणी में समझा जाएगा। लेकिन आज के इस वर्तमान समय में यह कहा जा सकता है कि भारतीय नागरिक भी पश्चिम के भौतिकवादी विकास की अंधी दौड़ और चकाचौंध संस्कृति से प्रभावित होकर पानी के स्रोतों, हवा नदियों तथा जमीन को प्रदूषित करने में आगे बढते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत या अवॉछनीय है। इस प्रकार के प्रदूशित वातावरण के फलस्वरुप सामाजिक असंतुलन से असमानता, संघर्ष, शोषण की प्रवृत्ति, अत्याचार, व्यभिचार, स्वयं के स्वार्थ के लिए समाज को बलि की वेदी पर चढ़ा देना आदि बढ़ते जा रहे हैं जिस भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल ही समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि हमारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, पर्यावरण निरंतर रुप से गड़बड़ा रहा है। जो नैतिक दृष्टि से अनुचित है। इसलिए वर्तमान समय स्वार्थमय प्रवृत्ति को समाप्त कर पर्यावरण को व्यक्तिगत दृष्टि से न देखकर संपूर्ण दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत रुप से उपर उठकर मानव पर पर्यावरण असंतुलन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को खत्म करते हुए मानव तथा प्रकृति के बीच सह–अस्तित्व की अभिवृत्तियों को विकास करने की आवश्यकता है, जो नैतिक आधार पर खरा उतर सके। इसलिए मानव तथा प्रकृति का एक–दूसरे से सह संबंध और उन सबका प्रकृति से सह–अस्तित्व के आधार पर नैतिकता को समझा जा सकता है।

मानव को पर्यावरण से अलग नहीं समझा जा सकता है। घर–परिवार, समाज, राष्ट्र तथा सारी पृथ्वी ही सभी पर्यावरण के ही रुप है। प्रकृति इन सभी मानव के घटकों में सर्वोपरि है। यदि समय रहते इसकी सर्वोपरिता को स्वीकार न करके पर्यावरण को बिगाड़ने जैसे अनैतिक कार्यो में शामिल रहते हैं तो आनेवाले समय में इस अनैतिकता के कृत्यों से मानव–जीवन की समाप्ति का कारण बन सकता है। प्रकृति किसी भी अनैतिक कार्य के लिए ज्यादा समय तक माफ नहीं कर सकती है। वर्तमान समय वैज्ञानिक तथा टैक्नोलोजी का युग है। इस युग में उत्पादन प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधन तथा संपूर्ण प्रकृति के साथ संबंधों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में केवल स्वयं, स्वयं के परिवार, समाज व राष्ट्र विशेष के संदर्भ में सोचने की बात नहीं रह गयी है बल्कि पूरे भू–मण्डल को एक ईकाई मानकर विचार करना पड़ेगा। वास्तव में मानव का जीवन प्रकृति से इतना घुला मिला है कि प्रकृति की परिधि के बाहर कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारी खुशिया, हमारे सुख, हमारे अविष्कार, हमारा स्वास्थ सब कुछ प्रकृति में ही निहित है, लेकिन हमारी आज की न्याय और राजनीतिक प्रणाली पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में अपर्याप्त है, अपेक्षित कानूनों की कमी है। हमारे समाज में पर्यावरण की रक्षा की संस्कृति का अभाव है। बिगड़ते पर्यावरण से जो भावी विपत्ति धरती के निवासियों को उठानी पड़ेगी उसका सहज आभास बुध्दिजीवी वर्ग तथा इस दिशा में चेतनशील समाज को हो। देश के जागरुक और मर्यादित नागरिक होने के नाते हमें पर्यावरण की रक्षा को सर्वोपरि मानना होगा। यह काम केवल एक का नहीं है, बल्कि यह हमारा, तुम्हारा, सबका मिला–जुला काम है। तभी मानवता का कल्याण हो सकता है। हमारी यह धरती, यह वसुंधरा शस्य श्यामला बनी रहे और हमारे इस ग्रह पर 'हरी शांति' भी कायम रहे यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभी देशों की समस्त ईकाईयों के विवेकपूर्ण सक्रिय सहयोग से ही विश्व पर्यावरण प्राकृतिक, संतुलित और प्रदूषणहीन बनकर मानव तथा जीवों के अनुकूल रह सकता है।

'रक्षये प्रकृति पांतुलोका'

विश्व के लोगों! प्रकृति का संरक्षण करते हुए इसका उपयोग करो।

संदर्भ सूची:

1) जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण– हरिश्चन्द्र व्यास, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2010.
2) भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन– नरेश प्रसाद तिवारी, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, 2008.
3) नीतिशास्त्र की रुपरेखा, बी. एन. सिंह, आशा प्रकाशन, वाराणसी, 1998.

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और भूमण्डलीकरण

सुप्रिया सिंह, (शोधार्थी) हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म.प्र.)

शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, तथा समाज और संस्कृति को गतिशील बनाने, विकास व शोधन की अनिवार्य कड़ी है। यह समाज में लोगों के अंदर नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति का विकास करती है, जिससे मनुष्य में मनसा, वाचा, कर्मणा का भाव जागृत होता है। फलतः समाज का चतुर्मुखी विकास संभव होता है। शिक्षा मानव प्रगति का मुख्य आधार है। शिक्षा जहाँ हमें संस्कारित करके अच्छा इंसान बनने की दिशा देती है, वहीं आर्थिक एवं भौतिक विकास की सीढ़ियां चढ़ने में भी सहायक होती है। सरकार के मुख्य लक्ष्य 'सबका साथ सबका विकास' की प्राप्ति में शिक्षा का अमूल्य योगदान हो सकता है। सभी भारतीयों को शिक्षा की ज्योति पहुँचाने के लिए शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के साथ–साथ नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। किंतु इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनेक प्रयासों के बाद भी साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है।

आधुनिक युग सूचना क्रांति का युग है। डिजिटल क्रांति और कम्प्यूटर तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। देखा जाए तो एक समय में आधुनिक विज्ञान और ज्ञानोदय का आधार अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार–प्रसार और पश्चिमी जीवन मूल्यों को माना गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूचना क्रांति का युग भी इस पूरी धारणा का विस्तार ही है। इस क्रांति की जड़ में अंग्रेजी शिक्षा का दबदबा ही काम कर रहा है। इस दबदबे और वर्चस्व ने भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शिक्षा के माध्यम तौर पर मातृभाषा की सिमटती भूमिका और अंग्रेजी भाषा की बढ़ती हुई स्वीकार्यता में मिल जाता है।

मातृभाषा के उपयोग या शिक्षा के माध्यम के तौर पर उसके इस्तेमाल का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई व्यक्ति बाकी भाषाओं के ज्ञान और उनमें हो रहे विमर्श से अनजान रहे। मातृभाषा तो वास्तव में वह बुनियाद तैयार करती है, जिस पर कोई व्यक्ति ज्ञान के विविध क्षेत्रों ओर संस्थानों के साथ ज्यादा सहज महसूस कर सके। बाकी भाषाओं के साथ भी उसका रिश्ता तभी प्रगाढ़ हो जाता है, जब वह मातृभाषा में सहज महसूस करता है। इसके साथ–साथ मातृभाषा और अपने परिवेश की भाषा के जरिए मिलने वाली संस्कृति से ही उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना आती है।

आज शिक्षा नीति की समीक्षा और नई शिक्षा नीति बनाने की जो भी बात चल रही है, उसका उद्देश्य और ढ़ांचा भी कमोवेश वही है, जो इस पुरानी शिक्षा नीति का था। इस नई शिक्षा नीति के लिए भी हमारे नीति–निर्माताओं की सोच वही है। इसी वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति के बारे में कहा है, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गयी थी, और 1992 में संशोधित की गई थी। तब से अब तक अनेक बदलाव हुए है, जिसकी वजह से नीति में संशोधन की आवश्यकता है। भारत सरकार लोगों की गुणवत्ता परक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के परिवर्तनशील पहलुओं से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति लाना चाहती है, जिसका उद्देश्य भारत को, इसके छात्रों को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान प्रदान करके ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं उद्योग जगत में श्रम शक्ति की कमी को दूर करना होगा।'' इसमें केवल एक नई बात जोड़ी गई है, कौशल के विकास की। परंतु कौशल विकास तो शिक्षा का अंग है ही नहीं। यह तो प्रशिक्षण का अंग है।

पिछले दो दशकों से शिक्षा पर बाजारवाद हावी है और इसलिए पूरी शिक्षा का नियंत्रण बाजार कर रहा है। यही कारण है कि आज शिक्षा में कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण प्रमुखता पा रहा है, जबकि ज्ञान की उपेक्षा की जा रही है, नैतिक शिक्षा तो न पहले शामिल थी और न ही अब शामिल है। शिक्षा नीति पर विचार की आवश्यकता तो है, परंतु वह इसलिए नहीं कि आज हमें कौशल विकास की आवश्यकता है और देश के आर्थिक विकास की नई मांगे पैदा हो गई हैं। आर्थिक क्षेत्र यानी कि बाजार के लिए कच्चा माल यानि कि मानव संसाधन उपलब्ध कराना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। उपलब्ध लोगों को बाजार अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कर ले यही सही तरीका है। शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल ज्ञानार्जन और चरित्र निर्माण ही हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो अपने देश की परंपरा में शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का विकास करना ही रहा है।

महात्मा गांधी अक्षर ज्ञान और कौशल विकास के ऊपर नैतिक ज्ञान और चारित्रिक विकास को वरीयता देते है। इसी बात को देश के अन्य महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानन्द लिखते है, ''शिक्षा का अर्थ तुम्हारे दिमाग में ठसी गई ढेर सारी जानकारियों का ढेर नहीं है, जो आजीवन अनपची रह कर गड़बडी पैदा करती रहे। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन–निर्माण कर सके, मनुष्य बन सकें, चरित्रगठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है।''

आज की शिक्षा व्यवस्था में ज्ञानोपार्जन और कौशल विकास तो है, परंतु शिक्षा ही नहीं है। इसे ही ठीक किए जाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि शिक्षा कोई समय के साथ बदलने वाली चीज नहीं है। प्रशिक्षण अवश्य समय के साथ बदलता है। नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षण भी बदलता रहता है। परंतु शिक्षा हमेशा स्थिर रहती है। यदि सच बोलना चाहिए, तो यह हमेशा के लिए लागू होता है। ईमानदारी हरेक समय में अपेक्षित होती है। समाज और देश के हित में कार्य करना हरेक कालखण्ड में आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा के जो मानदण्ड, स्वरूप और नीतियाँ भारत के मनीषियों ने निर्धारित की थी, वे आज से पांच हजार वर्ष पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक हैं, आवश्यकता है उन्हें पढ़–समझ कर उनका समुचित उपयोग करने की।

शिक्षा का अर्थ केवल वस्तुओं का विभिन्न विषयों का ज्ञान मात्र नहीं है। अगर शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी तरह उत्तीर्ण होकर पदवी प्राप्त कर लेने तक सीमित रहा तो परिणाम भयावह होगा और इस परिस्थिति के जिम्मेदार विद्यार्थी नहीं बल्कि यह शिक्षा पद्धति और इसे चलाने वाले होंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संघर्ष हेतु समर्थ नहीं बना सकती, मनुष्य को चरित्रवान नहीं बना सकती, परहित भावना तथा सिंह जैसा साहस नहीं ला सकती, वह कोई शिक्षा नहीं है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की सीख दी जा सकती है, वही सच्ची शिक्षा है, वही मूल्यपरक शिक्षा है, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है।

मूल्यपरक शिक्षा के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक अर्थात् प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को परस्पर जोड़ना होगा। बच्चों को विज्ञान एवं उसके अनुसंधान के प्रति ललक पैदा करनी होगी। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार गरीबी और अमीरी में फासला बढ़ता जा रहा है। ठीक वही स्थिति सरकारी शिक्षा और निजी शिक्षा की है। पहले शिक्षा केन्द्र को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था। लेकिन आज ऐसा लगता है, कि वह शिक्षा की दुकान हो गई है। आज शिक्षा तो मिल रही है लेकिन शिक्षा का असली अर्थ ही गौण हो गया है। सबसे बड़ी बात तो 'शिक्षा का अधिकार' कानून लागू होने के पश्चात् भी बच्चे स्कूल तक पहुंचने से वंचित है।

आज हमें फिर से अक्षर ज्ञान के साथ–साथ सद्गुणों की क्रियात्मक शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे वह सांसारिक जीवन में अपनी बाकी कठिनाईयों से संघर्ष कर सकें। आज इतनी सुविधाएं होते हुए भी पाणिनी की तरह व्याकरण, पतंजलि की तरह योग, चरक और सुश्रुत की तरह औषधशास्त्र मनु और याज्ञवल्क्य के मानव आचार शास्त्रों में आंतरिक सूक्ष्म तत्त्वज्ञान और बौद्धिक भावों का अवतरण क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रो. यशपाल कहते है– ''वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था लोगों को बांट रही है। हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता।''

सैनिक कितना ही बलवान हो अगर उसे सुरक्षा के लिए नई तकनीक की बंदूक, मशीनगन एवं गोली नहीं दी जाए तो वही अपनी रक्षा एवं देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। उसी प्रकार शिक्षकों को सिर्फ एक बार शिक्षक बन जाने के बाद जब तक उन्हें नए–नए ज्ञान से रू–ब–रू नहीं कराया जाएगा, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को वह जानकारी नहीं मिल पाएगी जिसकी वे हकदार हैं।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अकादमिक एवं क्रियात्मक गतिविधि दोनों को एक–दूसरे के पूरक के रूप में लेकर चलना चाहिए। ऐसा न हो कि उसे ज्ञान तो तोता रंटत वाला हो लेकिन समय व स्थिति के अुनसार वह उसका निर्णय लेकर अवलोकन न कर सके। शिक्षा का तात्पर्य मूलतः व्यक्तित्व के समग्र विकास से है।

बाजारवाद की भूमिका आज शिक्षा के भारतीयकरण में सबसे बड़ी बाधा है। बाजार का तंत्र आज सरकारी तंत्र के साथ मिलकर शिक्षा की बाजार उन्मुखी नीतियों का ही पोषण करता है। अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने समाज के ऊपर बाजार को स्थापित कर दिया है। भारतीय समाज चाहते हुए भी राज्य और बाजार के गठजोड़ में चलते शिक्षा के भारतीयकरण को रोपित करने में असफल हो रहा है।

''शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं'' – नेल्सन मंडेला

आज भारत को तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं बल्कि उपयुक्त एवं शिक्षित व्यक्तियों वाले शक्तिशाली मानव संसाधन के विशाल समूह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उच्चशिक्षित, तकनीक को समझने वाले और वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित भारतीय नागरिक दुनिया के कोने–कोने में विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं और भारत का मान बढ़ा रहे हैं।

साक्षरता के स्तर में वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में स्मरणीय उपलब्धियों में शामिल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12 फीसदी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आज हमारी साक्षरता दर 74.1 फीसदी है। इस यात्रा में चुनौतियाँ भी रही हैं, और कमियों भी रही हैं। शिक्षा प्राप्त करना कई लोगों के लिए अभी तक सपना ही बना हुआ है, विशेषकर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जहां स्कूल की इमारत नहीं होती। आदिवासियों, हाशिये पर धकेले गये लोगों, अनुसुचित जाति एवं जनजाति को शिक्षा की उचित सुविधा उपलब्ध कराना उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहे नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है।

शिक्षा में तेजी ने और बेहतर करने की इच्छा ने एक चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न कर दी है, जहां विद्यार्थियों पर उपलब्धियों एवं प्रदर्शन का बड़ा दबाव हो गया है, बच्चे को मशीनी शिक्षा प्रणाली के उत्पाद के रूप में देखे जाने के कारण व्यक्तिगत विकास एवं जीवनोपयोगी कौशल विकास के महत्त्व को अनदेखा किया गया है। जो व्यक्ति तैयार किये जा रहे हैं, वे स्वयं विचार करने अथवा जिम्मेदारी लेने एवं स्वयं विचार करने अथवा जिम्मेदारी लेने एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ है। शिक्षा प्रणाली द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समावेश करते हुए बच्चे को समाज की चुनौतियों के साथ प्रभावी तरीके से निपटने योग्य बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है, कि शिक्षा नीति इस प्रकार की हो जो योग्यता का सम्मान करे तथा अनेक प्रकार के बंधन जो कि शिक्षा और अनुसंधान के मार्ग में बाधक है, उनको शिथिल करें या बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करें। आज भारत स्वतंत्र है, हमें किसी भी क्षेत्र में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है, जैसी की अंग्रेजी कालखण्ड में थी। अतः हमें स्थानीय दृष्टिकोण से मातृभाषा में अध्ययन। अध्यापन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की शिक्षा को लेकर अभी तक जो भी आयोग बने हैं, कि अनुशंसाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए सार्थक पहल करने की महती आवश्यकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक विश्व के अनेक देशों का मार्गदर्शन करती रही है। फिर ऐसा क्या हुआ वह आज मार्गदर्शन नहीं कर सकती? आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से सोचने की और उस सोच के आधार पर संरचना खड़ा करने की, जिसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से समाज की भूमिका सुनिश्चित हो बाजार की नहीं।

हम आज के भारत को 250–300 वर्ष पूर्व नहीं ले जा सकते किंतु 250–300 वर्ष पुराने भारत को तो आज ला सकते है, और दोनों में क्या संबंध हो सकता है, विचार कर सकते हैं। यदि इससे भारत और संपूर्ण मानवता को लाभ होता है, तो यह विचार बुरा नहीं है। यही समय है इस ओर सोचने का और कदम उठाने का। पश्चिमी देशों ने वही किया जो उनके देश, काल और परिस्थिति के उपयोगी था। अतीत में हमने भी ऐसा ही किया था, किंतु आज हम व्याहमाह में फंसकर समुचित कर्मों को उठाना भुलकर पश्चिम का अनुसरण करने लगें हैं। आज आवश्यकता हैं भारत की सनातनी परंपरा को अपनाने की जिसमें नितनुतन चिर पुरातन का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण रहा है। आज शिक्षण संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता देकर समाज उन्मुखी कार्य करने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। भारत में जिन संस्थाओं को हमने पूर्व में यह स्तर प्रदान किया है, उन संस्थाओं ने विश्व में अपना एक स्थान बनाया है। इसलिए समस्त बंधनों से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में आए जो अतीत पर गर्व करना सिखाए और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।

संदर्भ–ग्रंथ

1. दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ एन्शियण्ट हिन्दूज, संतोष कुमार दास
2. शिक्षा का स्वरूप : धारणाएँ ओर यथार्थ , रविशंकर, योजना पत्रिका अंक जनवरी 2016, पृ. 61।
3. सांस्कृतिक साम्राज्य और शिक्षा, मार्टिन कॉरनाय
4. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आवश्यकता, वरूण कुमार सिंह, योजना पत्रिका, पृ. 64
5. एन्शियण्ट इण्डियन एजुकेशन– राधा कुमुद मुखर्जी
6. सबके लिए शिक्षा आकलन (वर्ष 2000), राष्ट्रीय शेक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
7. शिक्षा में नवचिंतन – रमेश दवे
   परिवेश की भाषा का महत्व – महेश पुनेठा

गौड़ राज्य के विकास में रानी दुर्गावती का विशिष्ट योगदान

डॉ. अभय सिंह, प्रा.भा.इ.स.ए. पुरातत्व रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

रानी दुर्गावती भारत की उन वीर नारियों में थी जिनका पुण्य स्मरण आज भी राष्ट्र को शक्ति साहस और प्रेरणा प्रदान करता है। दलपतिशाह के मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण पांच वर्ष की आयु में गौड़ राज्य का शासक बना नाबालिग होने के कारण उसकी माँ दुर्गावती के संरक्षिक के रूप में गौड़ राज्य का कार्यभार सम्हाला। ऐसी परिस्थिति में दुर्गावती के शासन के पूरे कार्य को अपने हाथ में रखना स्वाभाविक नहीं था। उस समय दुर्गावती की उम्र चौबीस वर्ष लगभग थी। रानी दुर्गावती मान ब्राम्हाण एवं कायस्थ आदि के सहयोग से शासन का बागडोर सम्हाली थी। अतः इस कारण से वीर नारायण का राज्य काल रानी दुर्गावती का प्रभाव काल था ।

दलपतिशाह के मृत्यु के समय गौड़ राज्य की राजनैतिक परिस्थितियां अत्यन्त खराब थी। उन परिस्थितियों के होते हुए भी रानी दुर्गावती ने 15 वर्षों तक शासन की बागडोर बहादुरी एवं कुशलता पूर्वक संचलित करती रही। ऐसे समय में साहस और योग्यता का परिचय दिया। रानी दुर्गावती राज्य सता के सम्पूर्ण क्रियाकलापों की प्रमुख सूत्रधार थी उनको राज्य और पुत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त यदि कुछ समय मिला तो उन्होंने कृषि की समर्धि, सुद्रढ़ सैन्य संगठन और प्रजा के सुख के विषय में ही सोचा।

राजमाता के रूप में रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीरनारायण को आदर्श राजकुमार और कुशल शासन बनाने में मार्गदर्शन दिया। शासनारूढ़ होने पर राजकुमार वीरनारायण अपने पिता के अनुरूप सिद्ध हुआ। गौड़ राज्य की सुरक्षा के दृष्टि से किले बनवाये और उनकी मरम्मत करवाई। रानी दुर्गावती शांत स्वभाव की महिला थी और उनका सदैव यह प्रयत्न होता था की अमन चैन बना रहे। सर्वप्रथम रानी दुर्गावती ने चौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।

रानी दुर्गावती एक न्यायप्रिय शासिक थी। उनके समय में विवादों मुकदमों मामलों पर निर्णय तत्काल मौखिक रूप से होते थे तथा इस प्रकार न्याय तत्काल मिल जाता था। दुर्गावती के राज्य में सामान्य रूप से मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था। किन्तु नारी का अपमान करने वाले को मृत्युदण्ड तक दिये जाने की व्यवस्था थी। इससे स्पष्ट होता है कि रानी दुर्गावती के शासन काल में नारी का सम्मान अपनी उत्कर्ष अवस्था पर था।

रानी दुर्गावती के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी राज्य में स्वर्ण अधिकांश मात्रा में पाया जाता था। राज्य की आय में वृद्धि के कारण प्रजा सामान्य मुद्रा में करों की अदायगी करने के स्थान पर प्रसन्नता से स्वर्ण के रूप में करों का भुगतान करती थी।

शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में रानी दुर्गावती के राज्यकाल में ललित–कलाओं को राजाश्रय प्राप्त था। गोंड जाति में नृत्य व संगीत की प्रधानता थी इसलिये नृत्य–संगीत कला का विकास हुआ। ललित कलाओं को प्रश्रय प्रोत्साहन दिया जाता था। स्थापत्य कला मूर्तिकला, गीत संगीत व लोक कलाओं का पर्याप्त महत्व प्राप्त था। दुर्गावती के शासनकाल में बने मठ और मंदिर इसके प्रमाण है। गौंड़ राज्य में कई सार्वजानिक हित में कार्य करवाये। सारायों तथा विश्राम गृहों का निर्माण किया गया था। गढ़ों में परस्पर आवागमन के लिये मार्ग निर्मित करवायें गये। पाठशालाओं की व्यवस्था की गयी।

रानी दुर्गावती से दरबार में मुगल सम्राट अकबर के दरबार से दो विद्वान भी आये थे गोप महापात्र और नरहारि महापाल इससे स्पष्ट होता है कि रानी दुर्गावती के राज्य में जहॉ विद्वानों को सम्मान प्राप्त था वही गौंड राज्य की धार्मिक गतिविधियों साधु संतो और विद्वानों का आकर्षण का केन्द्र भी था। रानी दुर्गावती के दरवार में उच्च पदों पर भी विभिन्न जातियों के लोग नियुक्त थे एवं उनके प्रजा में व्याप्त भावनात्मक एकता का ज्वलंत प्रमाण है। मध्य युग में ऐसी धार्मिक सहिष्णुता निश्चय ही प्रशसनीय है।

रानी दुर्गावती का लगभग 15 वर्षीय,शासन काल, विरासत में मिले राज्य की सुरक्षा समृद्धि, एक निष्ट प्रजापालन और स्वाम्मिानपूर्वक रणक्षैत्र में वीरांगना के आत्माहुति इतिहास में दुर्गावती को महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करती है। भारत के पूर्व मध्य युग के इतिहास में रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना का स्थान एक नारी के रूप में सर्वाधिक शासन काल, शान्ति प्रिय राज्य संरक्षण तथा प्रशंसनीय सफलताओं के लिए महान है।

दुर्गावती के अपने स्वतंत्र नीति थी जिनका उदेश्य पूर्वजो से प्राप्त विस्तृत गोंडवाने की सुरक्षा, खुशहाली के कुशल प्रशासक के रूप में पुत्र का पालन–पोषण, संरक्षण था जिससे वह सफल रही मध्य भारत के हृदय स्थल कहे जाने वाले प्रदेश के भीषण जंगलों दरों पर्वतों और पहाडियों पर रहने वाले आदिवासी गौंड़ जाति की उन्नति और सुख–शांन्ति ही दुर्गावती की चिन्ता थी जो उनकी नितियों

और कार्यो सें स्पष्ट है। वह विस्तार नहीं थी और नही निरंकुश थी।

ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से रानी दुर्गावती का राज्य काल संग्रामशाह द्वारा साम्राज्य विस्तार किये गये गौंड़ राज्य का उत्कर्ष काल और राजगौंडवंश का स्वर्ण युग था। रानी दुर्गावती ने राज्य विस्तार नही किया। किन्तु आक्रान्ताओं से सुरक्षात्मक युद्ध लड़े, जिससें वह अपने खोये हुए नौ गढ़ पुनः प्राप्त कर लिये।

पड़ोसियों से उसने शांतिपूर्वक अच्छे सम्बंध बनायें उसने प्रजा का उसी प्रकार पालन किया जिस प्रकार एक माता अपनी सन्तान को पालती है। मुगल सम्राट अकबर के सूबेदार आसफखाँ की आक्रान्ता सेनाओं से अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ लोहा लिया और जबलपुर के नर्रई, नाले के निकट 24 जून 1564 में हुए युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई।

संदर्भः

1. प्रताप सिंह : मुगलकालीन भारत "बाबर से शाहजहां तक", पृ.क्र.–413
2. अकबरनामा : ..... एच.वेवरीज, भाग दो पृ.क्र.–325
3. रानी दुर्गावती : नगर निगम, जबलपुर पृ.क्र.–42
4. रानी दुर्गावती : डॉ. सुरेश मिश्र, पृ.क्र.–19"

महिला आर्थिक उन्नयन में स्वसहायता समूहों की भूमिका

रागिनी राय, (शोधछात्रा) समाजशास्त्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है उन्हें उद्यमिता से जोड़ना है, जिससे उनका आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास परस्पर मात्रा में हो सके। जिसके फलस्वरूप महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। वर्मंमान समय में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला उद्यमिता विकास के क्षेत्र में कार्य कार्यान्वित किये जा रहे हैं। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी तिहाई आजादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसका अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अतः उनकी जीवन शैली परिवर्तित करने एवं आय में वृद्धि करने हेतु अति आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण महिलाओं की क्षमताओं का विकास करके उन्हें रोजगार प्रदान कराया जाए। अनौपचारिक क्षेत्र में एक गरीब परिवार को आर्थिक विकास की बागडोर ज्यादातर महिलाओं के उपर होती है परन्तु उन्हें अभी तक विकास कार्यक्रम से परे रखा गया है। कुछ हद तक गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाई जा रही बचत योजनाओं तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में महिलाओं के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया है। परन्तु सामूहिक क्रिया कलापों को एकाग्रता पूर्वक चलाने के लिये इन महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता तथा उनमें सामूहिक भावना का होना अनिवार्य शिक्षा का अभाव वित्त तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता में कठिनाई प्रशिक्षण व्यवस्था में अनुपस्थित आदि विकास कार्यो को प्रभावित करती है जैसे सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधकों के कारण ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान उभरकर सामने आया है। तथा भारत द्वारा 1994 में योजनाऐ क्रियान्वित की गई हैं। (आई.आर.डी.पी. ट्रायसेम, टूलकिट्स) आदि को एकीक्रत करते हुए एक नवीन योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई है।

1982 से भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। ड्वारा (DWERA) योजना के अंतर्गत महिला समूह का गठन करके उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके लिये सामूहिक, आर्थिक गतिविधियां स्थापित करना शामिल है। यह योजना के जो परिणाम सामने आये हैं वह असंतोष जनक हैं। जिसका प्रमुख कारण प्रशिक्षित कार्यक्रमों में कमी रही है। जैसे संभाव्य आर्थिक प्रोजेक्ट का निर्धारण करना, उद्यमिता की क्षमताओं को पहचानना उनका विकास कराना तथा उद्यमी को स्थापित करना चाहिए जिसकी अधिक आवश्यकता हो।

स्व–सहायता की भावना स्वयं अपनी मदद करना है, समान विचार स्तर और समान आवश्यकता से स्व–सहायता का संबंध है। अवधारणा में विकास के उस व्यक्ति का आस–पास और उसी का किया जाता है। इस प्रकार स्व–सहायता समूह ग्रामीणों निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हों उनका अंशदान उत्पादक उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिये तैयार हैं। स्व–सहायता समूह एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले सशक्तिशील ग्रामीण गरीबों का एक छोटा सा समूह होता है। समूह जिसमें दस बीस सदस्य तक होते हैं वे लोग स्वेच्छा से नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी राशि बचाते हैं और सामूहिक निधि में योगदान के लिये परम्पारिक रूप से सहायक रहते हैं।

समूह गठन के उद्देश्यः

1. ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचने के लिये पूरक ऋण मुक्ति रचना तैयार करना।
2. ग्रामीण निर्धनों के बीच परस्पारिक विश्वसनीयता एवं आत्मविश्वास कायम करना।
3. बैकिंग कार्य–कलापों में बचत के साथ–साथ ऋण भी प्रदान करना।

स्व–सहायता समूह के गठन की प्रक्रियाः

सर्वप्रथम जो सदस्य समूह के सदस्य बनना चाहते हैं उसको एकत्रित करके एक सभा को आयोजित किया जाता है। किसी भी सामान्य समूह में दस से बीस सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का स्वेच्छा अनुसार जो व्यक्ति समूह में विश्वास पात्र होता है। सभी की सहमति के अनुसार उसे समूह का अध्यक्ष चुना जाता है। जो समूह के सारे निर्णय को ले सकता है। अध्यक्ष के अलावा समूह में उपाध्यक्ष, सचिव आदि होते हैं जो अपने–अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है जो समूह के सभी सदस्यों की जानकारी लेता है। समूह के किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णयों को लेने से पहले समूह के सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है जो समूह के हित में हो और जिससे समूह का विकास हो सके।

आर्थिक उन्नयनः

उद्यमिता का आशय उस प्रवृति एवं योग्यता से होता है जिसके द्वारा व्यवसाय मे निहित अनेक प्रकार के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का मुकाबला किया जाता है उन्हें वहन करते हुये व्यवसाय एवं संचालन किया जाता है।

फ्रिमेन व रिलवर्ट का कथन है कि उद्यमिता उद्यमि या साहसी का वह विशिष्ट कार्य का योग्यता है। जिसके द्वारा वह उत्पादन के विभिन्न साधनों भूमि श्रम पूंजी को संयोजित करता है तथा नई वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु इसका प्रयोग करता है इस प्रकार उद्यमिता जोखिम एवं अनिश्चितता को वहन करने की इच्छा हो यह

नेतृत्व एवं नवप्रर्वतन का गुण है जिनके द्वारा व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों के साथ वातावरण के अनुरूप सतत् समायोजन किया जाना संभवतः होता है। सृजनात्मक एवं नवप्रर्वतन का मार्ग प्रशस्त होता है। "उद्यमिता हेतु नव उद्यमिता शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें समय के अनुरूप संगठन को ढ़ालने, आंतरिक सहकारिता को अपनाने तथा प्रतिस्पर्धा लाभों को प्राप्त करने की योग्यता शामिल हो। –प्रो. लिन
उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है इसमें विभिन्न कार्यों के साथ–साथ बाजार अवदारों ज्ञान प्राप्त करना उत्पादन के साधन का संयोजन एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीकी एवं वस्तुओं को अपनाना शामिल हैं। –पीटर डिलबाई

उद्यमी क्या है :

उद्यमी उत्पादन का अंतिम उत्पादन है। अर्थशास्त्र में व्यवसाय से होने वाले तथा हानि की अभिरूचिता तथा जोखिम को झेलने को शक्ति को उद्यमी कहते हैं अर्थात जो व्यक्ति इस अनिश्चितता तथा जोखिम को झेलता है वह उद्यमी कहलाता है।

सामान्यतः जो महिला किसी प्रकार की सेवा या वस्तु के उत्पादन में संलग्न होती है उसे महिला उद्यमी कहते हैं। जो महिला किसी उद्योग की स्थापना कर उसे स्वयं की पूंजी निवेश कर ऋण लेकर उद्योग स्थापना करती है तो उन्हें महिला उद्यमी कहा जाता है। कोई इकाई महिला के स्वामित्त में हो तो अर्थात न्यूनतम 51% पूंजी उस महिला की हो तो वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो व इकाई में कार्यरत कर्मचारियों में 50% महिलाऐं हों तो उसे महिला उद्यमिता की श्रेणी में रखा जाता है। महिला उद्यमिता से आशय महिलाओं का किसी उद्यम या सेवा कार्य में संलग्नता की दशा से है। इस प्रकार महिलाएं किसी लघु, मध्यम या वृहत् आकार के उद्योग व्यापार या संगठन की स्थापना कर सकती है। उद्यमिता की अवधारणा लिंग के आधार पर पुरूष तथा स्त्री में किसी प्रकार का भेद नहीं करती है।

एकल महिला उद्यमी :

एक सफल महिला उद्यमी उसे माना जाता है जो स्वेच्छा से व्यवसाय में प्रवेश करता है तथा उन्हें अपने पति और परिवार के लोगों से उचित मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे भी अनेक महिला उद्यमी हैं जिनके परिवार की पृष्ठभूमि व्यवसाय के न होते हुए भी उन्होंने अपने उपक्रम में सफलता हासिल की है। अनेक मामलों में आर्थिक विवशता या आरंभिक अनिच्छा अंततः व्यवसायिक सफलता की अभिलाषा में परिणीति हुई है।

स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिकाः

महिलाएं जीवन के नये ढंग को अपनाने की चाह परम्पराओं की तवज्जों, कुछ वास्तविक और कुछ काल्पिनिक चिंता और भय के कारण उन्हें असहाय बनाया जाता है। उन्हें अपने परिवार तथा अपने पति की मार्यादाओं का ध्यान रखना होता है। इस व्यवस्था में पुरूष महिला से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि सभी संपत्तियों पर सर्वप्रथम पुरूष का हक बनता है परतु वर्तमान युग में सरकार द्वारा विभिन्न ऐसी–ऐसी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं जो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाती हैं। जिससे वह समाज के साथ मिलकर चल सके। समाज में अपना योगदान दे सके। तथा समाज में अपनी भागीदारी बना सके। और जो अशिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिला सके। जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार स्थापित कर सकें। स्वयं सहायता समूह उसी दिशा में सरकार द्वारा प्रवर्तित एक सार्थक प्रयास है।

महिलाओं की आर्थिक सहभागिता :

महिलाओं को शिक्षा एंव काम कें अवसरों में उनके अपने सामाजिक आर्थिक स्तर अनुसार प्राप्त होते है। उच्च तथा मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं का एक छोटा सा समूह ही एक विकास का लाभित हो पाया है। यही कारण है कि महिलाए आधुनिक काम व रोजगार पा सकी है। इसमें अभी धीरे–धीरे और बढोत्तरी हो रही है। पिछले दो दशक से महिला एंव विकास दो प्रमुख विषय है औधोगिक एवं तकनीकी द्वारा विकास की गति को पाया जा सकता है। इन दोनों परम्परागत अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख दिया इन सब प्रकिया का महिलाओं पर विपरीत असर पडा साथ ही स्पष्ट नीतियों के कारण महिलाओं नईव्यवस्था से जुडने की बजाए दूर चली गई हैं।

परिवर्तन की प्रक्रियाः

महिलाओं की भूमिका में बदलाव गृहणी उद्यमी में परिवर्तन की प्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। किसी भी समाज में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। सारे परिवर्तन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बदलते जीवन शैली के कारण होता है।यदि हम पुराने परिवर्तन के अनुभवों का विश्लेशण करे तो हम पायेंगे की समाज में कई तरह के परिवर्तन आते है।

खोज	:	नये विचारों का जन्म
विनिमय	:	इन नये विचारोंको समाज में पहुचाना
परिमाण	:	कुल परिवर्तन

परिवर्तन अचानक या आयोजित हो सकता है यह अदरूनी या बहरी संस्कृति की देन हो सकती है।समाज की कई मान्यताए होती हैजो एक दूसर पर असर डालता है ठीक इसी तरह महिलाओं को आर्थिक विकास इसी प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

भारत के ग्रामिण क्षेत्र की विकास नीतिः

1. समुदाय विकास कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय एवं एकीक्रत कार्यक्रम है जो गांव की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के पहलुओं को छूता है कार्य लोगों के समूह एवं संस्था को सक्रिय करना है।
2. विभिन्न सेवा वित्त एवं तकनीक ज्ञान किसानों तक पहुचाना। एकत्र रूप से न हो करके विभाजित होकर

पहुंचाता है। देखा गया है कि इन सभी से आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी और इन सब में लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो सका ।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन की समस्याओं का उचित ध्यान नहीं रखा गया। पिछले पूर्व कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जो परिस्थिति, समस्या को ध्यान में रखकर बनाये गयें है। जैसे–पहाड़ी क्षेत्र, मरूस्थली क्षेत्र, ग्रामीण उद्योग, ब्लाक स्तर पर बढ़ाने की दृष्टि से कार्यक्रमों को नियोजित किया गया है। विकेन्द्रित प्रशासन और पंचायत उत्तरदायी बनायी गई है ।

ग्रामीण विकास शब्द काफी लचीला है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामिण विकास विषेशकर ग्रामीण गरीबों के लिए है। इनके विकास के उन लोगों तक पहुॅचना शामिल है। जो गॉव में ही अपना जीवन व्यक्ति करेंगे। जैसे किसान, भूमिहीन मजदूर, आदि।

इस तरह स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी में कमी करना एवं स्वरोजगार की भावना को जागृत करना जिससे वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके जिससे उनका समाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो ।

वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह का मुख्य भूमिका का निर्वाहन कर रहे एक समूह के तौर पर ग्रामीण गरीब लोगों का विभिन्न क्षेत्रों मे विकास से वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य तथा शिक्षा में अभी भी उनसे भेदभाव बनता जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के आधुनिक तौर–तरीकों से भी अभी तक अनभिज्ञ हैं।

इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो गरीबी निरन्तर बढ़ती जायेगी चाहे हम कितने ही विकास के कार्य क्यो न कर लें। उनका जीवन स्तर और रहन सहन गिरता ही जा रहा है इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास संबंधी कुछ विचार सरकार के मन में आया है। इन विचारों को हकीकत मे बदलने सार्थक प्रयास किये जा रहे है।

लोगो के स्वास्थ्य तथा शिक्षा को स्पष्ट प्रभावित होता जा रहा है। जिससे उनका विकास प्रभावित होते देखा जा रहा है। भारत के गामीण क्षेत्रों मे कृषि को छोड़ जितने भी छोटे रोजगार स्तरीय छोटे व्यवसाय हैं, उनमें 45 प्रतिशत हिस्सा गामीण उद्योग का है इसलिए गरीबी दूर करने के लिए चतुर्मुखी जरूरी है। इनकी उत्पादन क्षमता बढाने के लिए इसमें लगे कारीगर खास कर महिलाओं जो समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका विकास होना चाहिये कई देशों मे महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करके उनके स्वरोजगार स्थापित कराये जा रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से एकीक्रत ग्रामीण विकास योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिसके जरीये गरीब व्यक्ति अपने जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकते है।

पाठक (2010) ने अपने लेख ''उत्तराखंड में महिला समाख्या'' कार्यक्रम उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है। राज्य की हजारों ग्रामीण महिलाएं इससे जुड़ गयी हैं वे अब मंच पर आकर आत्मविश्वास से अपनी बात कहती हैं और पंचायत प्रतिनिधि के रूप मे वे भूमिका का निर्वाह कर रही हैं और महिला शिक्षा व स्वास्थय के साथ–साथ आर्थिक कोष का निर्माण का सामूहिक उ़द्यमिता से उस कोष में वृद्वि भी कर रही है।

सिंह (2010) ने अपने लेख ''संगठित महिलाएं सशक्त समाज'' मे बताया है, कि भारत में ग्रामीण परिवारों को न केवल कृषि के लिए बल्कि परिवारिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए गैर संस्थागत ऋण सत्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में बैंकों ने अनेक योजनायें तो चलाई जो लेकिन इसका फायदा उंचा तबका ही ले गया। ऐसे में स्वसहायता समूह माध्यम से जो पहल महिलाओं ने की है वो सराहनी है विमल व अन्य ने अपने लेख पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण में बताया है कि जब भारत की लोकतांत्रित उपलब्धियों को गिना जायेगा तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और जब पंचायती राज की सफलता को मापा जायेगा। पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलाता के बारे मे एक एजेंसी यू.एन.पी. ए ने अपनी ताजा रिपोर्ट मे भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी राजनैतिक चेतना की सराहाना की है और कहा है कि सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नये उत्साह और स्फूर्ति के साथ योगदान दे रही हैं।

' शोध साहित्य निष्कर्षतः विषय से संबधित साहित्य का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हेाता है कि कुछ विद्वानों ने स्वयं सहायता समूहों को गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण का मुख्य स़्त्रोत माना। कुछ ने इन समूहों के सफलतारपूर्वक कार्य के संचालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया है किन्तु साथ ही स्वसहायता समूहों का उन्नयन, महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता के विकास में आने वाली समस्याओं को कम करने के सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। यह सभी अध्ययन स्वयं सहायता समूहों, महिला सशक्तिकरण औार महिला उद्यमिता की समस्याओं को स्पष्ट तो करता है किन्तु इनमें विस्तृत विश्लेषण की कमी पायी गयी है अतः इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वसहायता समूहों के विकास के लिए उपयुक्त तकनीक तथा इनकी समस्याओं के आंकलन एवं उनके निदान हेतु सुझाव देने का अवसर है।

संदर्भ :

mohammad noor and shahid " rethinking women participation, empowerment and gender equality' a micro analysis women's link vol. 10 ,no, 3 july-sep. 2004 p7-21.

आर पटैल ''अमिता सशक्तिकरण में स्वसहयता समूह की भूमिका'' 2005 अप्रकाशित 'शोध प्रबंध, जबलपुर

आर. सुनील ''माइक्रो फाइनेन्स टू द रूपेल पूअर ए केस स्टडी ऑफ द एस.एच.जी. बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन ए वेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इण्डिया''

kunjan patal and mehul chouhan "Positive outcomes of joining hand together" ? a cose dtuy of central India 2005 national seminar on self help group's in everthing wrong. What can be done ? XIDAS JBP.

Sriniwas M.N. asocial change in modern indie (oup, dilhi,n.mahila vikas our)p.229

Pamehca suman and Ankita Khatik "Empowerment of rural WOMAN "SOCIAL Action, vol 55 no. 2005, p,p 349-355

Dhankhandi Kamala "education for women's empowerment "Madhya Pradesh journal of social science 2005 vol. 10 p.p. 35-36.

Manda Amal "Swaranjayante gram swarojgar yojna and self help group an assessment "Kurukshetra 2005 vol. 53. No. 3 p.no. 4-9.1.

NARAYANSWAMY N.S. Manive Land B. micro : Driven rural enterprises sessions from SHG, S Assisted under SGSY scheme journal of rural development vol. 24(3) 2005 p.p. 353-376.

डा. कुमार गजेन्द्र स्वसहायता समूहों के माध्यम से धान मिलिंग एक अभिनव कदम कुरूक्षेत्र 2005 पेज नं.41

पाटिलकान्ता नवचेतना स्वसहायता समूह अंबेडकर नगर Theco-operator vol. 45 1, 2005 page no. 53-54.

Choudhary Mr. Ujjwal "Self help intitatives empower poor.org, vol. 2 issue 3 october 2005 page no. (7-8)

Rizwana A, "Role of self help group in empowering Dalit Woman, A STUDY IN Uttaranchal state "Women's link vol. no. 1. 2006 page 32-35.

सिंह करण बहादुर ए महिला अधिकार सशक्तिकरण के लिए जरूरी है शिक्षा समाज कल्याण वर्ष 51, अंक 8 2006 पेज न.9–11

Iongnathan P. and R. Asokanal " Inter Regional Development of self help group in India, "rural shetra, A Jornal of rural development, vol no.1, 2006 page no. 9-11.

भारती भोपाल स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच, कुरूक्षेत्र 2006 पेज न. 46–47.

Gupta M. L & Namita Gupta, "Economic empowerment of woman through SFGY, Kurukshetra, 54, 2006.

Tripathi K.K. "Micro-credit intervention and poverty alleviations" Kurukshatra –A vol.54 no.11, 2006 page 4-12.

Rajkumar, K. Prabhakar "Tremendous growth of SHG'S Bank Linkage in India "economic challenger, no. 9 issue-32, 2006. Page 66-70.

Dharamranjan S. "Promotion of SHG'S vital approach towards strategy orientation the cooperation vol. 44 no. 3 2006 page 108-109.

देवपुरा प्रतापमल, आर्थिक स्वावलम्बन से होगी महिलाओं सशक्त कुरूक्षेत्र वर्ष–2006, अंक–7 पेज नं. 15–19.

डा. पाठक इन्दु उत्तराखण्ड में महिला सामाख्या कुरूक्षेत्र अंक–7 पेज नं. 26–30.

सिंह ददीज कुमार संगठित महिलाएं सशक्त समाज कुरूक्षेत्र वर्ष–2010, अंक–7, पेज नं. 3–7.

विमल कोडान, आनन्द सिंह पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र वर्ष–2010, अंक–7 पेज नं. 12–14.

Faizanuddin MD. Micro Finance and poverty alleviation programme in India An overview "Research Link-71 vol VIII(12), February 2010, page no. 114-116.

कन्या भ्रूण हत्या– एक अभिशाप : समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी सौभरि

प्रस्तावना :

गर्भपात क्या जीव–हत्या है या नहीं ? इस संबंध में मेरा यह दृढ़ विश्वास रहा है और मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि यह जीव हत्या है, क्योंकि जीव के बगैर तो कोई भी विकास होना असंभव है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथम क्षण से (पुरुष शुक्राणु व स्त्री डिंब के मेल होते ही) एक जीव का जीवन प्रारंभ हो जाता है।

आज गर्भपात को प्रोत्साहन देना व इसको आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उचित ठहराना एक फैशन बन गया है व माँ–बाप इसके द्वारा अपने मासूम शिशुओं की इस प्रकार हत्या करवा रहे हैं जैसे उन्होंने जीव हत्या न कराके कोई साधारण सा ऑपरेशन कराया हो। गर्भपात की इस लहर की चपेट में जब इष्ट मित्रों व सम्बन्धियों के परिवारों को भी बहते देखा तो धार्मिक व अहिंसक भावना वाले माने जाते हैं और जिन्होंने गर्भपात कराते हुए एक आँसू तक बहाने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की बल्कि इसे उचित ही ठहराने का प्रयास किया।

इस सम्बन्ध में दो प्रकार के मत प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. वैज्ञानिक मत
2. कानूनी मत

वैज्ञानिक मत: आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुरुष शुक्राणु व स्त्री डिम्ब के मेल होते ही नये जीव का जीवन प्रारंभ हो जाता है इन विटरो फर्टिलाइजेशन के तरीके से जो विश्व के अनेक भागों में हजार से भी अधिक बार दोहराया जा चुका है यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि गर्भधान के समय ही एक ऐसा भिन्न व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है जिसमें अनेक वर्षों तक प्रगति करने की क्षमता होती है उस व्यक्तित्व की ऊचॉई, बौद्धिक स्तर, चलने की रीति, रक्त की जाति आदि भी तभी निश्चित हो जाती है इस प्रथम क्षण से ही उस जीव की विकास यात्रा प्रारम्भ हो जाती है जो एक निश्चित कार्यक्रमानुसार निरंतर चलती रहती है उसका जीवन माँ के जीवन से पृथक होता है और वह जीवित प्राणी माँ से अलग अपनी निरंतर प्रगति करता रहता है।

अतः वैज्ञानिक राय के अनुसार चाहे काई जीव प्रगति की प्रारंभिक अवस्था में हो अथवा अंतिम में चाहे गर्भ के अंदर हो या बाहर प्रत्येक अवस्था में जीव हत्या ही है।

इसी प्रकार Shechanov institute of evolutionary Physiology & Biochemistry of Russia के इन्फैन्ट साइकोलॉजी के चिकित्सा शास्त्रियों का निष्कर्ष है कि प्रकृति बच्चे को गर्भवस्था के छठे माह में ही सब कुछ समझने योग्य बना देती है।

Williams abstelries (17^{th} edition 1985) के लेखक ने कहाँ है– "Happly, we live and work in an era in which the foetus is established as our second. Patient with many rights and privileges compareable to there Previously achieved only after birth" अर्थात विज्ञान की प्रगति के साथ भ्रूण को तो अब मांस पृथक एक दूसरा रोगी माना जाने लगा है और गर्भस्थ शिशु के कुछ रोगों के इस प्रकार के ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

–सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

(देहली मिडउे 17.12.93)

Review:-

सन् 1984 में Nation rights to life convention कनास सिटी मिसौरी में हुआ इस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि Mrs. Sandy Ressal us Dr. Bernard Nathanson के द्वारा एक Suction abortion गर्भपात की Ultra Sound Movie का विवरण दिया। गर्भस्थ शिशु की हत्या व उसकी वेदना को दर्शाने वाली इस Silent Scream को जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने देखा तो वह इससे प्रभावित हुए कि उन्होंने संसद सदस्य से इस फिल्म को देखने का अनुरोध किया श्री रोगन एबोर्शन कानून को बदलने के इच्छुक थे।

मदर टेरेसा ने कहा कि गर्भपात गर्भाशय में बालक की हत्या ही है उन्होंने विश्व की सरकारों से गर्भपात को कानून रद्द कर देने का अनुरोध किया।

मदर टेरेसा ने अमेरिका में बढ़ती हुई हिंसा का संबंध भ्रूण हत्या से जोड़ा है। उन्होंने कहा If accept that a mother can kill even her own child how can we tell other people not to kill each other? Any country that accept if not teaching its people to love but to use any violence to get what they want. यदि हम यह स्वीकार कर लें कि एक मॉ अपने बच्चे की हत्या कर सकती है तो हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि वे एक दूसरे की हत्या न करे जो भी देश गर्भपात को मान्यता देता है वह अपनी प्रजा को प्रेम की शिक्षा न देकर अपनी इच्छापूर्ति के लिए हिंसा अपनाने की शिक्षा दे रहा है।

-Stanaway New Delhi 12.02.94

मदर टेरेसा ने कहॉ है कि यदि अपने पास कोई संतान है जिसे आप खिला–पिला व पढ़ा–लिखा नहीं सकते तो वे उन्हें दे वे किसी भी बच्चे को लेने को मना नहीं करेगी वे उस बच्चे को घर या प्यार करने वाले मॉ–बाप मुहैया करा देगी।

2 **कानूनी मतः**

हर गर्भपात में जीव हत्या अनिवार्य होती है इसलिए सन् 1971 तक भारत में गर्भपात करना एवं कराना कानून अपराध माना जाता था व Indian Rernd कोड की धारा के अनुसार गर्भपात करने वाले व कराने वाले को 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक की भारी सजा दी जाती थी। सन् 1971 में भारत सरकार ने एक नया कानून (The Medical Termination of pregnancy act 1971) बनाकर गर्भपात करने का प्रत्यक्ष व परोक्ष रुप में एक कानूनी मान्यता दी।

⟶ गर्भ का रहना गर्भवती की जान को खतरा उत्पन्न करता हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गम्भीर क्षति करने वाला हो। गर्भस्थ शिशु के जन्म लेने पर उसके विकलांग, अपंग या अन्य शारीरिक व मानसिक रुप से असामान्य होने का गंभीर खतरा हो तब यह 12 सप्ताह की अवधि तक के गर्भस्थ भ्रूण का एबोर्शन करने व दूसरे Registered medical Practioner से परामर्श लेने के बाद 12 से 20 सप्ताह तक की अवधि गर्भस्थ भ्रूण का गर्भपात किसी भी प्रकार से दोषी नहीं माना जावेगा।

इस प्रकार लाखों निर्दोष मासूम बच्चों की गर्भाशय में ही काट–काटकर हत्या करना एक जघन्य अपराध है। विश्व के अनेक देशों में तो खूनियों तक को भी फॉंसी नहीं दी जाती क्योंकि किसी का जीवन लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है गर्भपात द्वारा हत्या तो फांसी से भी अधिक क्रुर है फांसी से तत्काल मृत्यु होती है जबकि गर्भपात में बच्चा अधिक समय तक तड़फ कर मरता है फांसी किसी भयंकर अपराध करने वाले को दी जाती है जबकि गर्भपात का शिकार बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है यदि निर्दोष मासूम बच्चों को किसी न्यायालय में प्रस्तुत होने या अपनी ओर से न्यायालय में याचिका दिलवाकर केस लड़ने को अधिकार होता तो गर्भपात के शिकार बच्चों के हत्यारे मॉ–बाप व गर्भपात कराने वाले डाक्टरों को विश्व की कोई भी शक्ति फांसी के फंदे से नहीं बचा पाती।

यदि अपनी पत्नी को जलाकर मार डालना अपराध है। अंधे अपंग कैंसर व एड्स आदि रोगों से पीड़ित या वृद्धवस्था से दुःखी ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक या मानसिक कष्ट के कारण स्वयं मृत्यु की कल्पना करते हो उन्हें मारना अपराध है तो फिर एक निरपराध पूरी लम्बी आयु जीने की क्षमता रखने वाले शिशु को गर्भ में ही मार डालना अपराध क्यों नहीं?

भ्रूण लिंग परीक्षण वरदान से अभिशाप बनाः

गर्भ जल परीक्षण या एमिनोसिन्टोसिस का प्रारंभ अनुवांशिक विकृतियों वस्तुतः देशों तथा गुणसूत्रों में दोषों का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था यह तब वैज्ञानिक उपलब्धि थी क्योंकि इन परीक्षणों से 72 असाध्य व वंशानुगत रोगों की पुष्टि की जा सकती थी और गर्भस्थ शिशु के कोई रोग या दोष होने पर उसका जभी से उपचार प्रारंभ करना संभव हो जाता था। निश्चित ही यह एक वरदान व सराहनीय प्रयास था, किन्तु इस परीक्षण से शिशु के लिंग की जानकारी मिल जाने के कारण यह शीघ्र ही वरदान से अभिशाप में परिवर्तित हो गया।

प्रारंभ में यह परीक्षण गर्भस्थ शिशु के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर लेने की उत्सुकता को रोक नहीं पाने के कारण किया जाता रहा है किन्तु शीघ्र ही उत्सुक्ता व ममता को स्थान बेटी को बेटे से हीन मानने वाली दुर्भाग्य ने लिया और ये परीक्षण ऐसी कुटिल स्वार्थी व द्वेषपूर्ण भावना से करायें जाने लगे कि गर्भ में कही लड़के की बजाय लड़की ही तो नही है। बेटी को बेटे से दर्जे का अथवा एक प्रकार का भार मानने वाली समाज की मानसिकता से कुछ स्वार्थी तत्वों को अपना व्यवसाय चमकाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया और गर्भ परीक्षण व गर्भपात द्वारा भ्रूण नष्ट करने की सुविधा प्रयत्न होने लगी।

परिणाम स्वरुप लिंग परीक्षण के 97ः अर्थात् प्रायः सभी गर्भस्थ लड़की की ही हत्या हुई। गर्भस्थ लड़के की हत्या कराने में प्रायः सभी मॉ–बाप कतराते हैं भले ही उनके पहले से ही कई पुत्र क्यों न हो कन्या भ्रूण को खत्म करने वाली इस अमानुषिक प्रवृति ने स्त्री–पुरुष जनसंख्या के बीच गहरा असंतुलन पैदा कर दिया है देश के घटते पुरुष स्त्री अनुपात को या इस घटती प्रवृति को यदि रोका नहीं गया तो असंतुलित लिंग अनुपात से अनेक प्रकार की समस्याऐं जैसे बहुपति प्रथा, वैश्यावृत्ति आदि को बढ़ावा मिलेगा और गंभीर बिमारियॉ जैसे एड्स आदि महामारी फेलेगी।

शिशु लिंग अनुपात क्या है?

जन्म से ही 6 वर्ष तक की आयु समूह के प्रति 1000 बालकों पर इसी आयु समूह की बालिकाओं की संख्या।

गिरता हुआ शिशु लिंग अनुपात (जनगणना के ऑकड़े)

	2001	2011
भारत	927	919
मध्य प्रदेश	932	918

सन् 2011 की जनगणना के ऑकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि मध्य प्रदेश के 16 जिलों में शिशु लिंग अनुपात राज्य के औसत शिशु लिंग अनुपात 918 से भी कम हो गया है।

पिछले एक दशक में प्रदेश के 11 जिलों में शिशु लिंग अनुपात में 20 से अधिक बिन्दुओं की गिरावट आई है। इनमें से श्योपुर, रीवा, सिंगरौली और सीधी जिलों में तो गिरावट 30 बिन्दुओं से भी अधिक है। शिशु लिंग अनुपात में हो रही यह गिरावट अत्यन्त चिंता का विषय है।

कम हो रहा लिंग अनुपातः

जहाँ बड़ी संख्या में सोनोग्राफी सेंटर्स हैं और डॉक्टरों की सुविधाऐं अधिक हैं, वहीं लड़कियों की संख्या में ज्यादा कमी हो रही है। अधिक पढ़े–लिखे लोग अधिक समृद्धशाली क्षेत्रों में लिंग अनुपात कम हो रहा है। सोनोग्राफी द्वारा भ्रूण लिंग की जॉच और कन्या भ्रूण हो तो गर्भपात करवा लेना, कम हो रहे लिंग अनुपात का प्रमुख कारण है। साथ ही जन्म के पश्चात बालकों एवं बालिकाओं में स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल में भेदभाव किया जाता है जिसके कारण बाल्यावस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु अधिक हो जाती है इससे भी शिशु लिंग अनुपात पर विपरीत असर पड़ता है।

क्यों नहीं चाहिए लड़कियाँ – सामाजिक एवं सांस्कृतिक मिथ्या धारणाएंः

- पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, जहाँ समाज में लड़की या बेटी को वंश परंपरा की वाहक नहीं माना जाता।
- बेटे की प्रबल चाहत – लोगों का ऐसा मानना कि पुत्र ही वंश और व्यवसाय को आगे बढ़ाता है।
- पुत्र बढ़ापे की लाठी – माता पिता की अंत्येष्टि और उसके बाद के धार्मिक कार्यों के लिए पुत्र का होना आवश्यक।
- दहेज जैसी कुप्रथा – लड़की याने "एक बोझ", "पराया धन"।
- लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति भेदभाव।

  क्या यह मानसिक धारणाएं आज की सामाजिक स्थिति में उचित हैं ?

  आज के समय में यह आवश्यक है कि इस प्रकार की मानसिक तथा कुप्रथाओं से बाहर निकलकर हम लड़का–लड़की दोनों को समान अधिकार एवं समान अवसर देने के लिए प्रोत्साहित होकर कार्य शुरू करें।

घटते शिशु लिंग अनुपात के भावी दुष्परिणामः–

- महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि होगी।
- यदि महिलाएं कम होगीं तो लैंगिक अत्याचारों में वृद्धि होगी।
- शादी के लिए तथा यौन व्यवहार के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी।
- लड़के की तीव्र चाहत में कन्या भ्रूण होने पर बार–बार गर्भपात करवाने से महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव।
- बहु–पति रिवाज में बढ़ोतरी – पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में लड़कियों की संख्या कम होने पर वहाँ अन्य राज्यों से लड़कियाँ खरीदकर लाई जाती हैं और एक ही परिवार के सभी भाईयों से उनकी शादी करवा दी जाती है।

P.C.P.N.D.T.Act :

- प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण/प्रसवपूर्ण लिंग जॉच और लिंग जॉच के बाद कन्या भ्रूण हो तो लैंगिक आधार पर गर्भपात कराना कानूनन जुर्म है।
- सोनोग्राफी म" ीन के इस्तेमाल के लिए सभी क्लीनिकों का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- लिंग जॉच और निदान आदि से संबंधित किसी भी तरह का विज्ञापन देने पर प्रतिबंध है।
- किसी भी प्रकार से गर्भस्थ f" i" ु का लिंग बताना कानूनन जुर्म है।
- लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सकों तथा महिलाओं का लिंग जॉच के लिए जॉच के लिए बाध्य करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे चिकित्सकों का पंजीयन निलंबित तथा रदद् करने का भी प्रावधान है।
- कानून के क्रियान्वयन के लिए जिले के कलेक्टर को जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी घोशित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्यः

1. कन्या भ्रूण हत्या जीव के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करना।
2. कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का विश्लेषण करना।

तालिका –01

यौन लिंग परीक्षण

S. N .	महिलाओं का दृष्टिकोण	:
1	हाँ	76
2	नहीं	24
ज्वजंस		100

तालिका –02
सामाजिक जागरुकता

S. N.	महिलाओं का दृष्टिकोण	:
1	हॉ	92
2	नहीं	8
ज्वजंस		100

तालिका –03
परिवार नियोजन के बारे में जानकारी

S. N.	महिलाओं का दृष्टिकोण	:
1	दो कम	2
2	दो बच्चे	96
3	दो से अधिक बच्चे	2
Total		100

निष्कर्षः

- करीब 3 चौथाई महिला (ग्रामीण क्षेत्रों में) यौन परीक्षण टेस्ट के बारे में जानती है। कन्या भ्रूण हत्या का ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पक्ष सहमत लिया जाता है।
- इस तरह के निर्णयों (यादि भ्रूण हत्या का) के परिणामों के बारे में महिलाऍ पूर्ण रुपेण जागृत है पर फिर भी इस तरह के निर्णयों का वे पक्ष लेती हैं। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक कारणें से एक कन्या एक जिम्मेदारी के रुप में स्वीकारना पड़ता है क्योंकि दहेज देना जरुरी हो जाता है। उसकी शिक्षा परिवार की आय को नहीं बढ़ाती (ऐसा माना जाता है) इस कारण लड़के की शिक्षा पर खर्च करना बेहतर माना जाता है। इसके पीछे नहीं सामाजिक–आर्थिक कारण भी उायी है।
- सामाजिक आर्थिक दबाव ऐसे है कि गर्भपात को पाप मानते हुए भी कन्या भ्रूण हत्या की जाती है।
- शहरी क्षेत्र की महिलाओं के अनुसार मध्यम परिवार की 96% महिला दो बच्चों के परिवार की धारणा को सही तो मानती है किन्तु 2% महिला इन दो बच्चों में एक बेटा तो होना ही चाहिए एमानती है । किन्तु 2% महिला इन दो बच्चों से कम में सहमत है।

स्पष्ट है कि एक महिला (पढ़ी लिखी अथवा अनपढ़) गरीब या अमीर स्वयं के पहचान के प्रति जागरुक नहीं है वह अपनी भूमिका को पहचानने में असमर्थ है कि वह किस तरह परिवार को समस्याओं को सुलझाती है इसके पीछे जिम्मेदारी कारणएदहेज प्रथा आदि है।

पिता जिसे आकाश से भी ऊँचा कहा गया है और मॉ जिसे संतान के प्रति अगाध ममता व निःस्वार्थ त्याग की भावना के कारण देवी–देवताओं से भी ऊॅचा स्थान दिया जाता है उन्हें अपने पितृत्व व मातृत्व की गरिमा को बनाये रखने के लिए यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि वे लड़की संतान की हत्या को बढ़ावा न देगें और न किसी और को सलाह देगें हर पति पत्नि ऐसा निश्चय कर लें तो विश्व की कोई भी शक्ति उनकी गर्भस्थ लड़की संतान की हत्या नहीं कर सकती।

विश्व के अनेक देशों की सरकार इस जघन्य अपराध के प्रति जागरुक हो गयी है व ऐसे कानूनों का प्रयत्न भी कर रही है जिसके अंतर्गत जब तक मॉ की जान को गंभीर खतरा न हो और बचाने का कोई अन्य उपाय शेष न रहे तब तक एबोर्शन अपराध माना जाये।

ऐसा कानून हर देश में शीघ्र बने इसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिये यही प्रत्येक मानव का कर्तव्य है।

हर छोटे–बड़े प्राणी को जीने का पूर्ण अधिकार है किसी का जीवन नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और न ही किसी मॉ–बाप को अपनी संतान की हत्या करवाने की छूट विश्व के किसी भी धर्म ने प्रदान की है अतः इस जैसे अमानवीय व हिंसक कार्य को जो मानव जाति पर एक कलंक है उसे न केवल त्यागना बल्कि उसे पूर्ण रुप से रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

जब बात आती है समाजशास्त्रियों की हम सिर्फ लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं उन्हें समझाइश दे सकते हैं पर व्यवहारिक जीवन में उतारना स्वयं व्यक्ति का दायित्व है उसकी स्वयं की मौलिक सोच एवं दृढ़ निश्चय समाज से इस जघन्य अपराध से मुक्ति दिला सकता है।

अंत में निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि इस परीक्षण को पूर्णरुपेण प्रतिबंधित कर लें यही पर्याप्त नहीं है। (हॉलाकि त्वरित उपाय के रुप में यह जरुरी है) और न ही यह अंतिम उपाय है, अंततः महिला के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है तथा समाज में पूर्णरुपेण प्रस्थिति में परिवर्तन भी आवश्यक है। यदि किसी दम्पति की लड़की संतान है तो इसका परिहार्य यह है कि वह अपने लिए लड़के की चाह में कन्या भ्रूण हत्या न करे बल्कि इसके

लिए यह सुझाव है कि लड़का किसी संस्था से या अनाथ बेसहाय बच्चों के मॉ बाप बन कर भी लड़के की कमी पूरी की जा सकती है।

सुझावः

- सबसे पहले तो हम निश्चय कर ले कि हम हमारे परिवार में और पास–पड़ोस में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल जैसे सभी मामलों में भेदभाव समाप्त करें।
- अपने घर–परिवार में लड़के एवं लड़की में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल जैसे सभी मामलों में भेदभाव समाप्त करें।
- "लड़का एक सम्पत्ति" लड़की एक बोझ इन गलत सामाजिक धारणाओं को दूर करने के लिए जहाँ भी अवसर मिले, खुलकर बात करें।
- घर में महिला और लड़कियों पर हिंसा की घटनायें रोकें।
- लड़की के जन्म और जन्म दिन को भी उत्साह से मनायें।
- घटते लिंग अनुपात के दुष्परिणामों के बारे में खुलकर बातें करें।
- अगर आपको आपके क्षेत्र में कहीं भी शिशु लिंग परीक्षण पश्चात् गर्भस्थ शिशु के लड़की होने से गर्भपात करने/करवाने का पाता चलता है तो तुरन्त अपने जिले के समुचित प्रधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित करें या www.hamaribitiya.in वेबसाईट पर शिकायत/सूचना दर्ज करें।

Refrences :

"Sex determination test—"A Survey report".update,pp99, dec. 1986

Gupta,Sarita :"Towards Polyandry". The Indian Express, Sunday reading, March 27,1988

Chander,J: "Clinical murder of the unborn". The Tribune, March 8,1988.
Chander,J: "High-tech oppression of the women". The Tribune, March 9, 1988. And February 11, 1988.

Kumar,D: "Ban on Se x test clinics unwise". The times of India, December 12, 1888

Kusum, L, "Are Indf\ian women becoming an endangered species?"

Health department survey reports.

भारतीय अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया की अवधारणा

प्रो. जितेन्द्र कुमार यादव, (प्राचार्य), लक्ष्मी बाई साहू जी इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, जबलपुर

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप अल्प विकसित न होकर विकासशील हो गया हैं। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि हुई हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 1950–1951 में लगभग 50 प्रतिशत था जो कि घटकर वर्तमान में लगभग 17 प्रतिशत रह गया हैं, जबकि कृषि में आज भी 60 प्रतिशत जनसंख्या नियोजित हैं। सेवा क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हुआ हैं, तथा विनिर्माण क्षेत्र की गति एवं तीव्रता मंद हैं, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था असंतुलित हैं ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता हैं इसका द्वैध स्वरूप (Dual Economy) हैं अर्थव्यवस्था में एक ग्रामीण क्षेत्र (Rural Sector) तथा दूसरा शहरी क्षेत्र (Urban Sector) हैं, वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्र सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि शहरी क्षेत्र सुविधा सम्पन्न है। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाये भी उपलब्ध नहीं हैं, सार्वजनिक व्यय का ज्यादा भाग शहरी क्षेत्र में व्यय किया जाता हैं, तथा बहुत ही कम भाग ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया जा रहा हैं। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतराल को पाटने की आवश्यकता हैं।

जनसंख्या में तीव्र वृद्वि होने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्वि हो रही हैं, तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक समास्याओ ंका जन्म हुआ हैं। आर्थिक एवं सामाजिक असामानता की खाई में वृद्वि हुई हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिये नीतिगत निर्णय अवश्य हैं जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्रगति से विकास हो।

नीतिगत निर्णय लेकर भारत सरकार ने वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया जैसी पहल की है। इस पहल के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना हैं, क्योंकि हमारे विकास की गति मंद हो रही थी।

मेक इन इंडिया का उद्देश्य एक ओर विदेशी कंपनीयों को भारत में अपने आर्थिक गतिविधियों, कारोबार , व्यापार को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करना था । इसके साथ ही साथ देश की घरेलू कंपनियों एवं फर्मो को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन एवं सहयोग भी देना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य बिन्दु उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना था जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) और कर राजस्व को बढ़ाया जा सकें। मेक इन इंडिया कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिये अपनाया गया है। इसके अंतर्गत देश में आटोमोबाईल ,सुरक्षा विमानन, रसायन, दवाईयां, निर्माण, . विनिर्माण विधुत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान ,बंदरगाह , चमड़ा, मीडिया एवं मनोरंजन , पर्यटन एवं आतिथ्य, रेल्वे, अक्षय उर्जा , खनन, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, थर्मलपॉवर, , सड़क, और राज्य मार्ग, तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना एवं कार्यकुशलता को बढ़ाना हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी की कमी हैं। पूँजी की कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश पर विनियोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता हैं। यद्यपि पिछले वर्षो की तुलना में बचत की दर में वृद्वि हुई हैं, तथा विनियोग की दर में वृद्वि हुई हैं लेकिन यह पर्याप्त नही हैं । अतः विनियोग की दर में वृद्वि के लिये प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (**Direct Foreign Investment**) आवश्यक हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को बढाने के लिये शासन ने कदम उठाये हैं, लेकिन कुछ जटिल नियमों के कारण वृद्वि की दर कम रही हैं। जटिलताओं एवं नियमों को सरलीकृत किया जा रहा हैं, जिसमें की प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में रूकावट न हो। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्वि होने पर तथा उत्पादन क्रियाओं में वृद्वि होने पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, नागरिकों की आय में वृद्वि होगी, तथा मांग में वृद्वि होगी । उपभोग के स्तर में वृद्वि होने से लोगों के कल्याण में वृद्वि होगी। तथा गरीबी कम होगी । उत्पादन में वृद्वि होने से आयत में कमी होगी तथा निर्यात में वृद्वि होगी। देश का भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा तथा रूपया की मजबूती बढ़ेगी ।

वर्ष 2014 में विश्व बैंक की व्यवसाय की सुगमता की रैंकिंग में भारत का स्थान 134 था। इसका अर्थ यह हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिये जटिल नियम हैं। निश्चित रूप से यदि नियमों की जटिलता होगी तो विदेशी पूँजी विनियोगकर्ता निवेश के लिये आगे नही आयेगें तथा पूँजी का प्रवाह रूक जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस तथ्य से परिचित हैं तथा उन्होने स्वीकार भी किया हैं कि कारोबारी सुगमता होनी चाहिये। उन्होने इस संबंध में सरकारी अधिकारियों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया हैं। उनका यह भी कथन हैं कि यदि हम रैंकिंग का स्थान को 135 के स्थान पर यदि 50वें स्थान पर ले आये तो हमारे देश में विदेशी पूंजी की सुलभता होगी तथा हम तीव्र गति से

विकास कर सकते हैं। भारत में पूंजीगत उद्योगों के लिये पूँजी आवश्यक हैं।

कार्यक्रम के चार प्रमुख क्षेत्रः

मेक इन इंडिया कार्यक्रम चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल देता हैं।

1. गति एंव पारदर्शिता के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्वि करना एवं सुविधायें प्रदान करना ।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Direct Foreign Investment) को आकर्षित करने के लिये जटिलताओं एवं नियमों को सरल करना।
3. बौद्विक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.) का संरक्षण।
4. घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन एवं उनका संवर्धन करना।

देश में विनिर्माण इकाईयों को स्थपित करने के लिये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल किया गया हैं। औद्योगिक विभाग ने ईकाईयों को स्थपित करने के लिये पर्यावरण मंजूरी तथा आयकर वेतन रिटर्न को जमा करने के लिये ऑनलाईन प्रावधान किये है।

औद्योगिक लायसेंस की वैधता को तीन वर्ष कर दिया गया हैं। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्ररों को प्रारंभ किया गया हैं तथा निरीक्षण की प्रणाली में सुधार लाया गया हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये कुछ क्षेत्रों को छोडकर 100 प्रतिशत अनुमति प्रदान की गई हैं। रक्षा क्षेत्र में भी सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया हैं।

बौद्विक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने के लिये विशेष कदम उठाये गये हैं। अन्य शब्दों में मेक इन इंडिया में विनिर्माण के साथ डिजाईन और बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) को शामिल करना महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान समय में डिजाइन एवं बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) का हिस्सा उत्पाद की कुल लागत में सबसे अधिक होता है। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता हैं तो भारत में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य संवर्धन हो सकता है। तथा आयातों पर व्यय कम हो सकता है।

औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग ने नवीन आविष्कारको एवं रचनाकारों को बौद्विक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का संरक्षण करने एंव सुधार करने का निर्णय लिया हैं। अब बौद्विक सम्पदा अधिकार में पेटेन्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क, भोगोलिक संकेत, कॉपीराईट, सम्पन्न विविधता आदि मुद्दे को शामिल किया है।

चूंकि डिजाईन एवं बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) ही लागत का लगभग 50 प्रतिशत होता हैं, । अतः इस पर गौर करना एवं इसे महत्व देना महत्वपूर्ण हैं। भारत ने डिजाईन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षो से पहल की है । विश्व में डिजाईन का काम भारत में होता हैं लेकिन यह कार्य हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये किया जाता था। भारत में डिजाइनिंग का बड़ा कार्य होने के बावजूद भी भारत के स्वामित्व वाले बौद्विक स्वामित्व अधिकार (आईपीआर) और भारतीय उत्पादों को लाभ प्राप्त नहीं होता हैं । उत्पादों को बनाने एवं उनके वाणिज्यीकरण में भारत की क्षमता का उपयोग नही हो पाता हैं। हमारे ज्ञान का लाभ विश्व के अन्य देश उठा रहे हैं। अमेरिका की 'नासा' प्रयोगशाला में लगभग 50 प्रतिशत भारतीय कार्यरत हैं, एवं ज्ञानदान दे रहे हैं ।

एजेन्सी के रूप में : भारत में क्षमता होने के बाद भी दुर्भाग्य से भारत अब भी उत्पादों का स्वामी नही बना हैं। डिजाईन का कार्य अब भी सेवा के रूप में किया जा रहा है। देश में उत्पाद बनाये जाते हैं लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता हैं। देश में तथा विश्व के अन्य देशों में इन्हें उल्लेखनीय बाजार नहीं मिलता हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होने के कारण घरेलू क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादों की मांग में तीव्र वृद्वि हुई एवं परिणाम स्वरूप आयातों में तीव्र वृद्वि हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के इस कार्य को प्रमुखता दी गई हैं हम स्वयं ज्ञान का प्रयोग करें । मेक इन इंडिया एक एजेन्सी हैं।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित के लिये कार्यक्रम में कुछ लाभ निर्धारित किये गये हैं, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को माध्यम अवधि में प्रति वर्ष 12 से 14 प्रतिशत बढ़ाना एवं वर्ष 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाना एवं विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है।

समावेशी विकास : भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास की अवधारणा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समानता लाने का भी संकल्प लिया गया हैं इसके लिये उचित कौशल के सृजन को प्रोत्साहित किया गया हैं। घरेलू मूल्य संवर्धन, तकनीकी गहनता के द्वारा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक एवं पर्यावरण की दृष्टि में दृष्टि से टिकाउ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

भारत में कार्यक्रम प्रगति : भारत में कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी हैं । देश में विश्वव्यापी कंपनियों तथा घरेलू कम्पनियों ने इसका स्वागत किया हैं एवं विनिर्माण ईकाईयों स्थापित करने की घोषणा की है। आटोमोबाईल के क्षेत्र में नामी गिरामी कंपनियों ने, हवाई जहाज के क्षेत्र में, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, आदि देशो ने रक्षा क्षेत्र में उपकरणों के निर्माण में रूचि प्रदर्शित की हैं। घरेलू क्षेत्र में टाटा, बिरला, रिलायंस , महेन्द्रा, आदि उद्योगपतियों ने तथा सार्वजनिक

क्षेत्र की एन.एम.डी.सी. ने भी कार्यक्रम नये निवेश करने की घोषणा की हैं।

वर्तमान स्थिति में : आर्थिक राजधानी मुम्बई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्ताह दौरान देश में 15 से 20 लाख करोड़ रू. के निवेश का वादा किया गया और इस दौरान कारोबार संबंधी 1.05 लाख पूछताछ की गई । इस आयोजन में 102 से अधिक देशों ने और 17 राज्यों ने भाग लिया। 8 लाख लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की ।

मेक इन इंडिया सप्ताह के मेजबान राज्य महाराष्ट्र को इस दौरान 7.94 लाख करोड़ रूपयें के निवेश प्रस्ताव मिले। इस प्रस्तावित निवेश से 30 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगें।

औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन विभाग (DIPP) के सचिव अमिताभ कांत का मत हैं विनिर्माण क्षेत्र को पटल पर लाने में केन्द्र एवं राज्य सफल रहे हैं। भारत में निवेश का माहौल बनाने, डिजाईन, नवप्रवर्तन , युवा एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये मंच उपलब्ध हुआ हैं, मुंबई में पूरे एक सप्ताह 8200 कारोबारी बनाम करोबारी, करोबारी बनाम सरकार और सरकार बनाम सरकार बैठकें हुई । इस दौरान अहम सौदो में स्टारलाईट समूह की कंपनी ट्रिवन स्टार डिस्पले टेक्नोलाजिकल एन्ड एम.आई.डी.सी. विनिर्माण इकाई के लिये ताईवान की ओट्रॉन के साथ तकनीकी साझेदारी के लिये करार, देश में 9 इनवेन्यूवेशन सेन्टर। स्थापित करने के लिये 40 करोड़ डॉलर, का वादा शामिल हैं।

सचिव ने बताया हैं कि केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में नवप्रवर्तन विकास एवं अनुसंधान के लिये 2200 करोड़ रू. जारी किये है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेकिन यह कार्यक्रम अल्पकालीन नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के परिणाम हमें दीर्घकाल में प्राप्त होगें तथा कार्यक्रम बहुत ही सीमा तक शासकीय कर्मचारियों की ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम तथा जिम्मेदारी पर निर्भर करती हैं, लालफीता शाही को कम करने की आवश्यकता हैं। राजनैतिक दलों को अपने दलों से उपर उठाने की आवश्यकता हैं, ।

विश्वीकरण (Globalization): भारत विश्व व्यापार संगठन संगठन (W.T.O.) का सदस्य हैं अतः आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

भारत को विश्व को सबसे अच्छे एवं सबसे सस्ते उत्पादों के लिये प्रतिस्पर्धा करनी होगी। नवीनता एवं नवाचार के द्वारा , शोध के द्वारा पेटेन्ट के द्वारा बौद्विक सम्पदा अधिकार के द्वारा उत्पाद का विकास करना होगा ।

मेक इन इंडिया को मेक इन चायना के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा।

जनसंख्या लाभांश (Demographic Dividend) : भारत युवाओं का देश हैं, यहां युवाओं की संख्या बहुत अधिक हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश हैं। इसकी 64 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में आती हैं, यह कार्यक्रम युवाओं को आकर्षित करेगी। तथा अपने कौशल विकास के द्वारा उत्पादों को प्रतिस्पर्धा बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। एवं देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने की पहल करेगी। योजना की सफलता पर विकास दर निर्भर है।

निष्कर्ष : हमारे पास ''मेक इन इंडिया'' से जुड़े अनेक विकल्प हैं । इसकी सफलता के लिये प्रयास करने के साथ –साथ हमें अपनी मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है। हम बिना दूरगामी विचार किये विदेशों खासकर चीन में बने सामानों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में स्थिति ये हैं कि आज देश के गली–मोहल्लों में चादर, देवी–देवता, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान , खाद्य सामग्री की जो चीन में बने होते हैं, का उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा हैं बिना बिल के इन सामानों को खरीदने में कभी भी हमें अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं होता है। इसलिये जरूरत हमें मानसिकता को भी बदलने की है।

''मेक इन इंडिया'' से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिये सरकार को एक निश्चित रूप रेखा बनाने की जरूरत हैं, इस दिशा में सरकार को योजनाबद्व एवं समयबद्व तरीके से काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी का दर्शन 'मिनीमस गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेस का हैं, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाये और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाये। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी ''मेक इन इंडिया'' की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

संदर्भ सूची :

- Indian Economy – T.Choudhary
- भारतीय अर्थव्यवस्था – ए.एन.अग्रवाल।
- भारतीय अर्थव्यवस्था – रूपदत्त एवं सुन्दरम्।
- बिजनेस स्टेंडर्ड– जनवरी 2015
- टाइम्स ऑफ इंडिया – दिसम्बर 2015
- योजना –दिसम्बर 2015
- गूगल –मेक इन इंडिया

Global Warming and Climate Change Effect on Agriculture

Mahesh Durva, Astt. Prof. Economics Govt. College, Bahir, Balaghat

Global warming and **climate change** are terms for the observed century-scale rise in the average temperature of the Earth's climate system and its related effects. Multiple lines of scientific evidence show that the climate system is warming. Although the increase of near-surface atmospheric temperature is the measure of global warming often reported in the popular press, most of the additional energy stored in the climate system since 1970 has gone into ocean warming. The remainder has melted ice and warmed the continents and atmosphere. Many of the observed changes since the 1950s are unprecedented over tens to thousands of years. On 12November 2015, NASA scientists reported that human-made carbon dioxide (CO_2) continues to increase above levels not seen in hundreds of thousands of years: currently, about half of the carbon dioxide released from the burning of fossil fuels is not absorbed by vegetation and the oceans and remains in the atmosphere.

Scientific understanding of global warming is increasing. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)reported in 2014 that scientists were more than 95% certain that global warming is mostly being caused by increasing concentrations of greenhouse gases (GHG) and other human (anthropogenic) activities. Climate modelprojections summarized in the report indicated that during the 21st century the global surface temperature is likely to rise a further 0.3 to 1.7 °C (0.5 to 3.1 °F) for their lowest emissions scenario using stringent mitigation and 2.6 to 4.8 °C (4.7 to 8.6 °F) for their highest.

These findings have been recognized by the national science academies of the major industrialized nations and are not disputed by any scientific body of national or international standing.

Future climate change and associated impacts will differ from region to region around the globe.[19][20] Anticipated effectsinclude warming global temperature, rising sea levels, changing precipitation, and expansion of deserts in thesubtropics.[21] Warming is expected to be greater over land than over the oceans and greatest in the Arctic, with the continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice.

Other likely changes include more frequent extreme weather events including heat waves, droughts, heavy rainfall with floods and heavy snowfall; ocean acidification; and species extinctions due to shifting temperature regimes. Effects significant to humans include the threat to food security from decreasing crop yields and the abandonment of populated areas due to rising sea levels. Possible societal responses to global warming include mitigation by emissions reduction, adaptation to its effects, building systems resilient to its effects, and possible future climate engineering. Most countries are parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), whose ultimate objective is to prevent dangerous anthropogenic climate change. The UNFCCC have adopted a range of policies designed to reduce greenhouse gas emissions and to assist in adaptation to global warming. Parties to the UNFCCC have agreed that deep cuts in emissions are required, and that future global warming should be limited to below 2.0 °C (3.6 °F) relative to the pre-industrial level.

Public reactions to global warming and general fears of its effects are also steadily on the rise, with a global 2015 Pew Research Center report showing a median of 54% who consider it "a very serious problem". There are, however, significant regional differences. Notably, Americans and Chinese, whose economies are responsible for the greatest annual CO2 emissions, are among the least concerned.

Climate change and agriculture are interrelated processes, both of which take place on a global scale. Climate change affects agriculture in a number of ways, including through changes in average temperatures, rainfall, and climate extremes (e.g., heat waves); changes in pests and diseases; changes in atmospheric carbon dioxide and ground-level ozone concentrations; changes in the nutritional quality of some foods; and changes in sea level.

Climate change is already affecting agriculture, with effects unevenly distributed across the world. Future climate change will likely negatively affect crop production in low latitude countries, while effects in northern latitudes may be positive or negative.[2] Climate change will probably increase the risk of food insecurity for some vulnerable groups, such as the poor.

Agriculture contributes to climate change by (1) anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHGs), and (2) by the conversion of non-agricultural land (e.g., forests) into agricultural land. Agriculture, forestry and land-use change contributed around 20 to 25% to global annual emissions in 2010. There are range of policies that can reduce the risk of negative climate change impacts on agriculture, and to reduce GHG emissions from the agriculture sector. espite

technological advances, such as improved varieties, genetically modified organisms, and irrigation systems, weather is still a key factor in agricultural productivity, as well as soil properties and natural communities. The effect of climate on agriculture is related to variabilities in local climates rather than in global climate patterns. The Earth's average surface temperature has increased by 1.5 °F (0.83 °C) since 1880. Consequently, agronomists consider any assessment has to be individually consider each local area.

On the other hand, agricultural trade has grown in recent years, and now provides significant amounts of food, on a national level to major importing countries, as well as comfortable income to exporting ones. The international aspect of trade and security in terms of food implies the need to also consider the effects of climate change on a global scale.

A 2008 study published in *Science* suggested that, due to climate change, "southern Africa could lose more than 30% of its main crop, maize, by 2030. In South Asia losses of many regional staples, such as rice, millet and maize could top 10%".

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has produced several reports that have assessed thescientific literature on climate change. The IPCC Third Assessment Report, published in 2001, concluded that the poorest countries would be hardest hit, with reductions in crop yields in most tropical and sub-tropical regions due to decreased water availability, and new or changed insect pest incidence. In Africa and Latin America many rainfed crops are near their maximum temperature tolerance, so that yields are likely to fall sharply for even small climate changes; falls in agricultural productivity of up to 30% over the 21st century are projected. Marine life and the fishing industry will also be severely affected in some places.

Climate change induced by increasing greenhouse gases is likely to affect crops differently from region to region. For example, average crop yield is expected to drop down to 50% in Pakistan according to the UKMO scenario whereas corn production in Europe is expected to grow up to 25% in optimum hydrologic conditions.

More favourable effects on yield tend to depend to a large extent on realization of the potentially beneficial effects of carbon dioxide on crop growth and increase of efficiency inwater use. Decrease in potential yields is likely to be caused by shortening of the growing period, decrease in water availability and poor vernalization.In the long run, the climatic change could affect agriculture in several ways : *productivity*, in terms of quantity and quality of crops

- *agricultural practices*, through changes of water use (irrigation) and agricultural inputs such as herbicides, insecticides and fertilizers
- *environmental effects*, in particular in relation of frequency and intensity of soil drainage (leading to nitrogen leaching), soil erosion, reduction of crop diversity
- *rural space*, through the loss and gain of cultivated lands, land speculation, land renunciation, and hydraulic amenities.
- *adaptation*, organisms may become more or less competitive, as well as humans may develop urgency to develop more competitive organisms, such as flood resistant or salt resistant varieties of rice.

They are large uncertainties to uncover, particularly because there is lack of information on many specific local regions, and include the uncertainties on magnitude of climate change, the effects of technological changes on productivity, global food demands, and the numerous possibilities of adaptation.

Most agronomists believe that agricultural production will be mostly affected by the severity and pace of climate change, not so much by gradual trends in climate. If change is gradual, there may be enough time for biota adjustment. Rapid climate change, however, could harm agriculture in many countries, especially those that are already suffering from rather poor soil and climate conditions, because there is less time for optimum natural selection and adaption.

But much remains unknown about exactly how climate change may affect farming and food security, in part because the role of farmer behaviour is poorly captured by crop-climate models. For instance, Evan Fraser, a geographer at the University of Guelph in Ontario Canada, has conducted a number of studies that show that the socio-economic context of farming may play a huge role in determining whether a drought has a major, or an insignificant impact on crop production. In some cases, it seems that even minor droughts have big impacts on food security (such as what happened in Ethiopia in the early 1980s where a minor drought triggered a massive famine), versus cases where even relatively large weather-related problems were adapted to without much hardship. Evan Fraser combines socio-economic models along with climatic models to identify “vulnerability hotspots” One such study has identified US maize (corn) production as particularly vulnerable to climate change because it is expected to be exposed to worse droughts, but it does not have the socio-economic conditions that suggest farmers will adapt to these changing conditions.

राजा भोज के व्यक्तित्व पर एक दृष्टि

डॉ. रीझन झारिया, अतिथि व्याख्याता (संस्कृत) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

भोज अद्भुत व्यक्तित्व के राजर्षि थे। भारतीय इतिहास में ऐसे शासक शायद ही हो जो राजा भोज की तुलना की जा सकें। डॉ. द्विजेन्द्रनाथ शंकु के शब्दों में महाराज भोजदेव की जीवन गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से राजर्षियों की गाथा में एक है। प्राप्त एवं अर्धप्राप्त भारतीय ऐतिहासिक सामग्री में राजा 'प्रियदर्शी' अशोक, महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य के बाद भारतीय समाज में अति प्रसिद्ध राजभोज ही हुआ है। महाराजा विक्रमादित्य का यदि न्याय प्रसिद्ध हैं तो महाराजा अशोक का धर्म प्रचार और महाराज भोजदेव की साहित्यिक गरिमा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के व्यापक विस्मरण में भोजदेव सांस्कृतिक विकास की पराकाष्ठा के प्रतीक है। उनके राज्यकाल में संस्कृत–साहित्य के चरमोत्कर्ष से इस तथ्य की पुष्टि होती है।[1]

राजा भोज का अन्य नाम : राजा भोज का दूसरा नाम 'त्रिभुवन नारायण भी मिलता है। इसी नाम का एक और पर्याय 'त्रिलोकनारायण' भी इन्हीं के लिए प्रयुक्त है।[2] परन्तु इन पर्यायवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग छन्द की सङ्गति के लिए हुआ होगा। ऐसा होता है कि यह नाम कवि कल्पित ही है, वास्तविक नहीं, क्योंकि भोज शासनकाल में भोज के किसी भी शिलालेखों अथवा उनके ग्रन्थों में उल्लेखित नहीं है, या है तो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गणरत्न गणरत्न–महोदधि के अतिरिक्त अन्यत्र किसी कवि या लेखक ने अपनी रचना में प्रयोग नही किया है, वर्तमान काल में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों से यही पुष्ट होता है। तीसरी बात यह है कि उक्त ग्रन्थ में भी जिस रूप में 'त्रिभुवन नारायण' अथवा 'त्रिलोक नारायण' शब्द है।[3] वहाँ उसका अर्थ तीन लोकों का स्वामी ही अधिक युक्त लगता है, न कि एक व्यक्ति विशेष। चौथी बात यह है कि जिस श्लोक में उक्त शब्द का प्रयोग है उसी क्रम में थोड़ा आगे 'भोज' शब्द स्वतः प्रयुक्त होता है और एक दो स्थानों के अलावा उस ग्रन्थ में भी प्रयोग नहीं है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि चर्चित राजर्षि का वास्तविक नाम भोज ही था।

भोज के विरुद्ध :–

भोज को उज्जयिनी से हटाकर अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया था, अतः उनको 'धारेश्वर' कहा जाता है। इसी प्रकार 'मालव' देश के शासक होने से वह 'मालवाधिपति' आदि भी कहे गये है। इनके विक्रम संवत् 1076 तथा विक्रम संवत् 1078 के प्राप्त दोनों शिलालेखों के प्रारंभ में इनके नाम के पूर्व परमभट्टारक–महाराजा विराज परमेश्वर देव उपाधियाँ उल्लिखित है। जिनका प्रयोग इनके पिता सिन्धुराज तथा पितामह सौयकदेव के भी साथ होता था। वस्तुतः यह विरुद्ध इनके कुल परम्परा से प्राप्त था।[4]

रामायणचम्पू अथवा चम्पूरामायण के भोजचरित प्रत्येक काण्ड के अन्त में पुष्पिका में इनको 'विदर्भराज' भी कहा गया है, ;महाराज' 'परमेश्वर' देव आदि की भाँति सम्मानार्थ इनके नाम के आगे 'राज' या 'देव शब्द भी प्रयुक्त हुए है जैसे 'भोजराज' भोजदेव आदि। विद्याधर ने अलङ्कार ग्रन्थ 'एकावली' में इनको मात्र 'राजा' कहकर उद्धृत किया है। इसकी पुष्टि प्रो. डे ने अन्य प्रमाणों से भी की है।[5]

भोज का वंश एवं परिवार : भोज 'परमार' वंश के थे। परमारों की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी जो 'अर्बुदाचल' पर्वत पर वसिष्ठ के अग्नि कुण्ड में स्थापित थी। इस वंश के अग्नि से उद्भव का संक्षिप्त एतिह्य भोज ने अपने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक अलङ्कारग्रन्थ में नायक गुण के प्रसङ्ग में दिया है।[6]

एक आदर्श राजा : राजा भोजराज एक लोकप्रिय एवं आदर्श राजा था। उसने लोगों के मन में प्रेम व आदर का स्थान हमेशा प्राप्त किया। इतिहास काल में ऐसा लोकप्रिय राजा आज तक दूसरा नहीं हुआ है। भोजराज राजा विक्रमादित्य से भी ज्यादा लोकप्रिय थे परन्तु राजा भोज के पराक्रम की कथा इतिहास में नहीं मिलती परन्तु लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, ऐसे त्यागी व रसिक राजा की कहानियाँ लोककथा में सुनने मिलती है।[7]

भोज प्रबन्ध : वाराणसी के बल्लाह देव कवि ने भोज प्रबंध यह संस्कृत ग्रन्थ ई.स. 16वें शासक के अंत में लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ ज्यादा विश्वसनीय नहीं है परन्तु उसमें पण्डितों के रचना अनुसार सुभाषित एवं लोकप्रिय कथा का सुन्दर मिश्रण है इसीलिए यह ग्रन्थ तत्कालीन विद्वानों को मान्य हुआ है। राजा भोज का जीवन उदार एवं रसिक था। ऐसा कहा जाता है कि बौद्धिक जीवन व जीवन मूल्यों के दर्शन उस ग्रंथ में प्राप्त होता है। संस्कृत सुभाषितों का परिचय किशोरवद बच्चों को ही इस हेतु भोज प्रबंध का आधार लेकर इस पुस्तक की रचना की है।[8]

भोजराजा का चरित्र : 1000 वर्ष पहलू याने ई.सन्. 999 में भोजराजा मालवा राज्य का राजा बना पहले की उज्जयिनी के बदले धारा नगरी (वर्तमान का धार) को अपनी राजधानी बनाया और उस नगरी का विकास किया। 1049 सं. में भोज परमार (पवार) नाम का राजा हुआ। ये दोनों भोज एक ही है, या अलग–अलग है इस संदर्भ में कोई सुराग नहीं मिलता इसीलिए दोनों भोजों के चरित्र का मिश्रण हो गया है।[9] शिलालेखों से भोजराज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। भोजराजा ने 55 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत लड़ाईया लड़ी और उसमें विजय प्राप्त की। उसके बावजूद भी प्रजा के हित को ध्यान में रखा और विक्रमादित्य राजा के समान लोकप्रिय हुआ।

कन्नौज के राजा प्रतिहार, चेदी देश का राजा गांगेय देव, भद्र देश का राजा इन्द्रदेव, लाट देश का राजा कीर्तिराज कर्नाटक का राजा जयसिंह, गुजरात का राजा सोमदेव सोलंकी इन सभी पर राजा भोज ने विजय प्राप्त की। कोंकण के राजा शिलाहार को भी उसने पराभव किया। गांगेय देव का सहायक और तेलगाना का राजा उनको, राजा भोज ने युद्ध में परास्त किया। इसी विजय को ध्यान में रखते हुये कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेजी यह कहावत रची गयी है। परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार विजय प्राप्त किये हुए सभी राज्य स्वतंत्र रखकर भी अपना सार्वभौमिक मान्य करवा लेना ही उनका दिग्विजय होना समझा जाता था। उन्हें राज्य विस्तार की आकांक्षा नहीं होती थी।[10] सोमनाथ मंदिर का नाश करने वाले महमूद गजनी अपनी लूट का सामान लेकर मुलतान के रेगिस्तान से वापस अफगानिस्तान आ गया। भोजराजा ने सोमनाथ मंदिर की पुनः स्थापना की। भोजराज के वैभव को देखकर मत्सर रखने वाले गुजरात के भीमदेव राजा ने भोजराज पर आक्रमण किया उस समय तक भोजराज वृद्ध हो चुके थे फिर भी उन्होंने वीरता के साथ हाथ में शस्त्र उठाकर उनका समना किया लेकिन अन्त में उनकी हार हुई।

मध्ययुग के भारतीय इतिहास का एक सुवर्ण पर्व राजा भोज की मृत्यु से समाप्त हुआ परन्तु उनकी कीर्ति आज भी अमर है।[11]

भोजराजा का कार्य : राजा भोज ने अपनी धारा नगरी को आदर्श बनाया एवं साक्षरता के वातावरण को जनता के नीचले स्तर से ऊपर पहुँचाया। भोपाल के पास भोजपुर नाम का गांव है जो राजा भोज ने बसाया है, यहाँ पर नदियों का पानी रोककर 250 चौड़ा मील का बहुत बड़ा तालाब बनाया। 15वें शतक में मालवा के सुलतान कुशंग शाहा ने यह तालाब फोड़ दिया था, ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब को सूखने में 30 साल लगे।

राजा भोज ने, सोमनाथ, रामेश्वर, मुण्डीर आदि मंदिर भी बनवाए। जो हमारी आज समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। राजा भोज का प्राप्त किया धन उसने उदारता ले लुटाया उनका खजाना देशहित में उपयोग हुआ। उनका और उनका दान धर्म हमेशा चलता रहा। ऐसी एक कथा है कि कश्मीर के राजा ब्रह्मदेव के राज्य में पद्मराज नाम का एक पात्र विक्रेता था उसने राजा भोज को थोड़ा सा सोना भेंट स्वरूप भेजा, उसके बदलें में उन्होंने काश्मीर में परेश्वर में पुण्यकुण्ड बनाया। पद्म राज कांच की कुप्पी में उस कुण्ड का पानी भोजराज के पास भेजता था और भोजराज रोज उस पानी से अपना मुंह धोया करते थे।[12]

काव्य रसिक : माँ सरस्वती की कृपा से महाराजा भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की तथा अपने युग के सभी ज्ञात विषयों पर 84 ग्रन्थ लिखें जिसमें धर्म, ज्योतिष आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्यशास्त्र, संगीत, योगशास्त्र, दर्शन, राजनीतिशास्त्र आदि प्रमुख है।

समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कण्ठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग्यसूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्य श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्मशतका, श्रृंगारमंजरी, भोजचम्पू, कृत्यकल्पतरु, तत्वप्रकाश, शब्दानुशासन, राज्मृडाड आदि की रचना की। भोजप्रबन्धम् उनकी आत्मकथा है।[13]

हनुमान जी द्वारा रचित राम कथा के शिलालेख समुन्द्र से निकलवा कर धारा नगरी में उनकी पुनर्रचना करवाई जो हनुमान्नाटक के रूप में विश्वविख्यात है। तत्पश्चात् उन्होंने चम्पू रामायण की रचना की जो अपने गद्यकाव्य के लिए विख्यात है।

चम्पू रामायण महर्षि वाल्मिकी की द्वारा रचित रामायण के बाद सबसे तथ्य परख महाग्रन्थ है। महाराजा भोज वास्तुशास्त्र के जनक माने जाते हैं। समरांगण सूत्रधार ग्रंथ वास्तुशास्त्र का सबसे प्रथम ज्ञात ग्रंथ है। वे अत्यन्त ज्ञानी, भाषाविद्, कवि और कलापरखी भी थे। उनके समय में कवियों को राज्य आश्रम मिला था। सरस्वतीकण्ठाभरण उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनके अलावा अनेक संस्कृत ग्रंथों, नाटकों, काव्यों और लोक कथाओं में राजा भेज का अमिट स्थान है। ऐसे महान थे राजा भोज जो कि उनके शासन काल में धारानगरी कलाओं और ज्ञान के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गई थी।

महाराजा भोज की काव्यात्मक ललित अभिरुचि सूक्ष्म व वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें दूरदर्शी और लोकप्रिय बनाता रहा। मालवमण्डन, मालवाधीश, मालवचक्रवर्ती, सार्वभौम, अवन्तिनायक, धारेश्वर, त्रिभुवनारायण, रणरंगमल्ल, लोकनारायण, विदर्भराज, अहिरराज या अहीन्द्रा, अभिनवार्जन, कृष्ण आदि कितने विरुपों से भोज विभूषित थे। भोज राजा की लोक मान्यता–विजयस्वरूप प्राप्त की गई सम्पत्ति को गरीब और विद्वान् लोगों में खुली हाथों से बांटी गई सभी समाज के लोगों को एकता के बंधन से सभी की बांधा उन्होंने पारधि, कुम्हार, कोष्ठा, ग्वालों आदि सभी के जीवन को बहुत करीब से देखा उन्होंने हमेशा गरीबों के आँसू पौछे राजा भोज ने चोर की भावना को समझा, पराई स्त्री को माता के समान माना; रसिक होने के कारण उन्होंने एक सुन्दर कन्या से विवाह किया, लेकिन वह विवाह अपनी पटरानी की सलाह से किया।

भोज राजा हमेशा साधु, विद्वान एवं कवियों के सामने नम्र हो जाते थे। उन्हें आदर एवं सम्मान से अपने भोजसभा में आमंत्रित करते थे। साथ में भोज पश्चात् विदा करते समय दान भी दिया करते थे। राजा भोज ने अपने जीवन पर लोगों की सेवा की ऐसे आदर्श राजा इतिहास काल में कोई भी राजा नहीं हुआ।[14]

राजा के उदार चित्रण आदर्श वादी सद्भावना उने जीवन के मूल्यों की आंकलन की गई। आज सबके सामने राजा को होना चाहिए और राजा भोज के मूल्यों एवं सांस्कृतिक की पहचान राजा भोज की तरह होने चाहिए जिससे विद्धवता, गम्भीर चिन्तन, विचारपरक, शालीनता और वर्तमान समाज की जो, गम्भीर व्याप्त स्थिति है उसे सुधारा जा सके, भव्य समान का निर्माण करना चाहिए, जाति–पात, भेद–भाव, ऊंच–नीच, साम्प्रदायिक विखण्डन न हो, इन सभी के भोज के व्यक्तित्व से समाज को समझना चाहिए एवं अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रथ सूची :

1. भारतीय वास्तुशास्त्र – वास्तु विद्या एवं पुरनिवेश –पृ.क्र 20
2. विश्वेश्वर नाथ रेउ – राजा भोज 1982 पृ.क्र 12
3. गणरत्न महोदधि –1/3/5
4. वही औदुम्बरायण्यययेति भोजः –पृ.क्र–216
5. राजमृगाङ्ककरण, – पृ. 139
6. पद्यगुप्त परिमल रचित नव साहसाऽचरितम् – पृ.क्र 271
7. प्राचीन भारतीय इतिहास, –पृ.क्र 54
8. सरस्वती कण्ठाभरण, पंचम परिच्छेदः पृ.क्र–54
9. राजतरङ्गिणी,पृ.क्र – 6/259
10. वहीं
11. वहीं
12. विक्रमाङ्कदेवचरितम्, –पृ.क्र. 78
13. सरस्वती कण्ठाभरण, –पृ.क्र.3
14. वही एवं विश्वेश्वर नाथ रेउ – राजा भोज ।

Business Sector Need to Concern About Sustainable Development

Pratibha Shah (Research Scholar), Commerce PNG PG College, Ramanagar, Nanital

Abstract: Sustainable development means preserving the natural resources for the future generation. With the increasing population and demand for growth it becomes difficult for the nation to preserve these resources for the future generation. Business sector will help to preserve the sustainable development.what are the negative impact of commerce on sustainable development and the positive impact as well. Ratio between negative and positve impact will be determined so that good results can be drawn. Current paper will deal the problem faced by the nation which is hindering the pace of sustainable development. Data will be collected on secondary basis. Conclusion will be drawn and suggestions will be given.

Key word: sustainable development, business, management :

Introduction: What sustainabale development mean is slowly becoming a matter of concern as day by day it is becoming difficult for the world to preserve our natural resources. Sustainable development well means that meeting the demand of present generation without compromising the needs for futuregeneration. The impact of industry has shown a matter of concern. As the country growing at a higher pace with the achievement in the field of industrial sector. It has avoided in showing any concern towards sustainable development, industrial sector encompasses commerce, management, tourism, services and with the prosperity in these field it is harming the sustainable development process. Commercial activities have lead to the reduction of natural resources. With the increasing development of the country have made it accustomary for us to make heavy investments which ultimately effect the natural resources. Business development requires heavy investments in building up industries and factories. India want to compete in international market for this purpose India is investing heavily on industrial development more and more pollution is increasing. To meet the present generation demand nature has to bear the cost of it. Business sector with its research and development centre is creating new product to compete globally. No doubt that business sector have given foothold to the India gobally but this achievemnt natural resources which are at the diminishing line is given ignorance . In the current paper we will be studying how indian business sector growth is affecting sustainable development and why it is important for the business sector to be enviromentally friendly. Mearsures are suggested which is being applied by the developed countries.

Economic growth: in the uttarakhand state: Business sector in uttarakhand have contributed heavily in the economy of the country. This state alone has contributed 9% of GDP to the economy of the country. It is the state which is highest exporter of agriculture produce. For promoting more agriculture product four Agri Export Zones have been developed in the state. With the development of these Zones production of agricultural product have shown a high growth. The state have also attracted domestic and foreign investment in the different sectors of economy like automobiles, pharamaceuticals, FMCG and IT during the recent years. The economy of the state have shown a high growth in the gross gomestic product from the rs 20,438 in the financial year 2004 to rs 40,159 in financial year 2009 as stated in the "uttarakhand state profile give by PHD chamber of commerce and industry" in june 2011 which state that uttarakhand state is flourishing .

Industrial investment: The state is also able to achieve high industrial investment proposals of more than rs 31000crore as we have seen from the data collected by chamber of commerce and industry for the year june 2011 in the year 2009. to achieve high standard in the field of economy the state have also managed to open three new integrated Industrial Estate at Haridwar, Pantnagar and Sitarganj. One Phawna city at Salequi and an IT park at Dehradun. As uttarakhand provides favourable investment opportunities in various sectors of the economy. It has added fluctuating trend in the Industrial Investment of the country from.

Negative impact of industrial development: Though industrialisation is required for the growth of the economy but for the want of economy upliftment resources for future generation is getting depleted. In the race of making an impact in the global market industralist are investing higher in making more and more produce. With more and more industry enviroment is getting affected due to which resources are getting reduce. Companies are emitting various gases making the air polluted. Because of these many new kind of diseases are spread out in the air. India is already suffering with the problems of asthma and too much of air pollution have created new problems like

formaldehyde which have made indian medical field to stop thinking for future need rather concentrate on the present generation. Water pollution have lead the species diversity in danger. Climatic changes are also getting affected due to which production and consumption. Some of the produce like crops which include rice maize, wheat etc which depend directly on climate are getting affected and giving hard time to the farmer and letting them unemployed. Farmer are suppose to the big helping hand of sustainable develpment. In uttarakhand tourism industry has become a fast growing industry giving extra hit to economic development of the country. They have created many jobs and services in the but it has created menance in the state as well. It has created problems like increased cost of living, traffic, congestion, pollution, infrastructure deterioration and constraining the problems for local facilities. Chemical Industries like IGL though speeding up the GSDP of the country. But they are also affecting the sustainable development of the country as well. Though they are complying with the enviroment rule but various gases released from their company is still polluting the environment. River Ganga is said to the main tourist or ritual place of the people but tourisim industry in want of high income is exploiting it badly. Tourism industry in want of high income is exploiting it badly. Though tourism industry is working under the goverment compliance but some people using the loopholes of government rules and regulations and making unnecessary expliotation of river Ganga. For example government have made it a rule that only this much number of boats will be sailed with limited timing. But some people in want of extra income exploit these rule. These are some issues which have said that business though giving us employment and home and shelter is effecting the susutainable development process as well.

Suggestions: Much have been talked about how industries are affecting the sustainable development pace. Alone industries cannot solve the problem of slow sustainable development. Industries and society at a large need to come togather so that three goals of the country can be achieved – enviromental protection, social well being and economic development. Sustainable development have giving wings to green marketing which involve production of those products which are eco friendly whose production and supply process are all eco friendly they are not affecting the environment badly. Industries will be able to achieve the goodwill of the community and can see their effort reflected in the light. Developed countries have already started pursuing the sustainable development strategies like in a factory where waste water is treated and their discharged into water so that water can be less polluted.

The meaning of sustainable development should be included in the policies and process of the business decision. The importance of sustainable development should be integrated both into business planning and into management information and control system. Management should inbuilt in the industrial which provide reports that gauge the health of these strategies. Good governance is required in every industries which show how accountable the management is towards sustainable development.

It is the business interest to be enviromentally sustainable. As their profitability and sustainability is fully dependent on nature. It is an urgent need for the business to adopt some steps for sustainable development. Some of the steps used by developed nation are as follows:

Good management practice: Every industry should have a management who look after the process of the company working system. This management should prevent or reduce waste caused due to emission, discharges , use less toxic chemicals and improve energy efficiency. They should adopt approach of cleaner production or eco-efficiency. This approach has turned out to be more cost effective and efficient. Sound management practice have become a boom in the developed nation and it is slowly getting recognisation in the developing nation as well as it turn out to be advantageous step in an increasing ly competitive market. There are many enviromental practices such as ISO 14000 enviromental mangement standards UNEP has produce a training manual on "Environmental Mnagement Systems" to help companies develop ISO certifiable enviromental mangement system. UNEP have also produce useful guide to ecolabels in the Tourism industry-"Eco-labels in the Tourism Industry:1998

Government policy: Companies work according to government policies. Government regulation and economic incentives are the key ingredients which lead company to achieve higher level of performance. These government policy set standards for all companies to meet. Companies by giving concern to sustainable development will be able to establish a good record of behaviour so that the government regulators can limit their inspection on them. Companies by setting standard in which they work according to government rules and regulation and able to avoid penalties, liabilities and help government in achieving future sustainable development challenges. Government make these policy so that companies are not exploiting our resources at a large and by these policy they keep a tab on companies systems.

Set policies and objectives for sustainable development: It is the next big step for the concern to make its employees to follow with respect to sustainable development. Sustainable development include not only conserving enviroment but also the concern for social element as well, such as removing poverty and distributional equity. Providing employemnt and making equal distribution of wealth is also required so that people in a want of high income not harming the nature like cutting trees more than the settled limits for want of quick earning. There is Industry in developed country name Dow Chemical Company they set an inspirational example by continuous protection and conserving the enviroment for future generation. They have integrated the environmental and economical considerations in all decision affecting their operations. They continuously reduce the emissions to protect human health and the enviroment. These effort of the company involve the help of both directors and senior management.

Integrate the environment concern into the business planning and decision making process. New manufacturing methods should be used which enviromentally friendly.

Continuous analysis and management of the environmental risk connected with operation of the company is required. So that their is a reduction or elimination of adverse affect of the operations to the enviroment.

Developed nation have established many programmes like " Environmental Protection Program" which made a particular company to work continuous without affecting the nature. Establishment of assurance program is also required which include regular audits, so as to keep a check on the sucess of the environmental protection program in meeting regulatory requirement program goals and good practices.

Reduction, reuse, recycle should be the guilding principles in every organisation and new means should be develop by which these goals can be achieved. Annual reports should be made public which state the environmental activities of the company so that company are able to earn goodwill for them. Suppliers, customers and business partnersshould work jointly so as to achieve the highest possible environmental standard.

Relationship with other enviromental stakeholder should be established which include government, scientific community, educational institutions, public group so that new innovative solutions are searched out to solve the industry environmental problems. This relationship can be establish when there is regular communication between these environmental stakeholders, employees are trained accordingly, create awareness among employees and employers for enviromrntal issue. For all this thing to happen it is important that objectives should be clear, concise and where required is to be in measurable terms.

Implementation plan should be designed and executed well. Converting the sustainable development policy into the operating activities of the business will definately effect the entire organisation. It require changing the corporate culture and employees attitute, set responsibilities and accountability, organization structures, reporting system should be there and operational practices . After the board and senior management have established these objectives. It is required that these objectives are clearly communicated to the various stakeholder groups. So that the objectives set in compliance with sustainable development is achieved wothout any hard and harsh time. There should be a regular consultation arrangement with the stakeholders to pace up this process. If there is any modification is require that should be made so that day to day activities are going clearly which are consistent with the sustainable development.

Supportive corporative culture should be develop for making the socially enviromental management work efficiently, it is required that corporate culture should be develop among the business structure. Employees participation in the formulation of policies for the sustainable development is required their practicle ideas should be used by them. Most of the customers and employees feel good when they become the past of organization which is socially responsible also. To make the corporate culture effective communication with the stakeholder at a regular time is required. In the developed country like Canada , environment concerns is made part of everyday communication and in decision making process. Executives over there regularly asked the division managers the whereabouts of the environmental concerned plans. Its progress and action plan taken to see the pace of sustainable development. The concept of sustainable development will be achieveable by the corporate sector when there is effective corporate culture in which importance is given to employees participation, continuous learning and improvement is there. Internal reporting is very compulsory factor which can sustain a good corporate culture. They are adoptrf to give positive behaviour

with respect to sustainable development. Reporting system should be linked to the corporate sector recognition and promotion system.

Set measure and standard of performance. After setting up sustainable development objectives it becomes automatically compulsory to measure its performance impact on the enviroment. After all these measures of performance and setting standard report should be made so that corporate sector can access how much they are running in complaince with sustainable development objectives. This report making will help in monitoring the performances of the sustainable development strategies. These report when made public will be helpful for the company to establish goodwill for the company among the stakeholders and loosen the government regulation on them. Along with this internal monitoring process should be implemented. Monitoring of implementation of sustainable development objectives is require so that if there are any flaws they can be easily removed from the system. Monitoring require reviewing of reports, touring operating site and abserving employees reaction towards sustainable development startegies. Holding regular meeting with the subordinates to listen their views and reviews and conducting environmental audited program.

Why it is necessary for a corporate sector to be environmentally sustainable: Corporate sector is here to invest and earn income but their continuous activities are harming nature and they are creating social imbalance as well in want of quick income they are forgetting that there will be no progressive future if present is not sustained well. Corporate sector is the largest and the main source of income any country whether developed or developing. It became necessary for the corporate sector to behave environmentally sustainable as it will help them to sustain for a longer time. There are some reason why a corporate sector need to be sustainably concered.

Reduction in government regulation for a company which are environment conscious. When a company work under the government limits and according to sustainable development then they save themselves from being penalised or getting any legal cost. They need to build among government the trust so that can escape themselves from strict rule and regulations.

Public opinion: with the new information and communication technologies and growing public concern for the environment it become necessary for the company to do thing right and within the limit of enviroment standard. A negative public image of the company can effect the company market share, its relation with regulators, investors, creditors and can even reduce the ability to attract future investment. Every company is competing to have a strong hold in the international market, they may find it difficult when they are dong any activity which is harming the nature.

Financial drivers: A company is totally dependent on bank loan or insurance. Without a good environmental management practices it will be difficult for the company to have loans from the bank and insurance as well. Financial institution and agencies only invest in those companies which have a goodwill and strong impression of its performance. A study.....Currently some 150 banks and 85 insurance have joined UNEP to make company to integrate sustainable development strategies in their policies. In 1999 the Dow Jones and sustainability Group launched a sustainability indicator which state which country is at which number in the application od sustainable development development.

New opportunities: In the want of becoming sustainable friendly companies are venturing into new areas and creating new market and new partnerships for example petroleum company as concerned about the climate change and to reduce green house effect are reestablishing their business from oil to energy such as solar, hydrogen and biomass. Partnership between government, automobile companies and energy producing companies are being made to developed emerging technologies such as fuel cells and photovoltaics, to use cleaner energies. Business sector is promoting more and more green marketing as it is the new market trend at present. They are investing heavy in green marketing and advertising this market segment as well.

Conclusion: The business has a critical and central role to play in sustainable development. Business sector though biggest players for any country to earn income it become difficult for them to maintain sustaianable development strategies within their decision making process. Business sector is implementing strategies to become more nad more sustainable toward environment. They have indulge themselves in the activities which are more environment friendly UNEP have set many standards and strategies to be adopted by the companies so that sustainable development in maintain. Though much has been done for the sustainable development but still business sector defend themselves when not adopting these strategies by showing the practicle implications of them which do defend that business sector has to forgo many

opportunities for sustainable development which may affect their earning. Companies are continuously facing the challanges of what they like to do or what must do in want of financial survival . For example a chemical company find it difficult to decide whether they should change the exiting effluent discharging plant with effective treatment facility. Because doing so they may have close the existing plant for 2-3 years which may cost them by losing a big market share and if they don't do that and continue polluting the enviroment they may be able to have their income coming but may have adverse public image or they even bear the cost of fines imposed by government. Companies often stuck in such situation where they have to decide on better course of action in terms of economy, social well being and the environment. Even some area of sustainable development also remain technically vague and unclear, making it difficult to plan an effective course of action. For example forest industry find it difficult to sustain development as some believe that replacing trees is not enough, as harvesting destroys the biodiversity of the forest. Though there are no definite defination about sustainable development but there is widespread awareness which support the sustainable development principles within the business community. And to make these effort grow higher, it it important to recognise and reward the measures that are being taken to turn the concept into reality.

Reference: Bannerjee, S. (2013) 'Uttarakhand must not compromise on its fragile ecology, says Jayanthi Natarajan', The Hindu, Mumbai, 20June,http://www. thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/uttarakhand-must-not-compromise-on-its-fragile-eco Basu, S. (2013) 'Hydropower projects suffer severe damage', Down to Earth, New Delhi, 23 June. Basu, S. (2013) 'Uttarakhand chief minister bans construction along riverbanks', Down to Earth,2July, http://www.downtoearth.org.in/content/ utt arakhand-chief-minister-bans-construction- along-riverbanks Behn, M. (1950) 'Deforestation, Water Logging and Soil Erosion', The Hindustan Times, New Delhi, 5 June. J. Aloisi de Larderel "PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY" – Vol. II - Sustainable Development: The Role of Business PHD RESEARCH BUREAU , uttarakhand state profile, june 2011 Basarab Gogoneaţă, The Bucharest Academy of Economic Studies, Romania , "THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN COMMERCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BALTIC AND CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES " Business strategies for sustainable development , Based on the book Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, published in 1992 by the International Institute for Sustainable Development in conjunction with Deloitte & Touche and the World Business Council for Sustainable Development.

The Festivals in Kashmir under Dogra Period

Shiraz Akhter, Ph. D (Scholar), Department of History, Faculty of social science
Barkatullah University, Bhopal, Research center Govt. Hamidia Arts and commerce college, Bhopal

Abstract: The fairs and festivals have played a significant role in the life of Kashmiri people, with their long and chequered history and the rich cultural back ground, both the Hindus and Muslims were enjoying the festivals. The birth of many Rishis and sages on this land provide an elaborate atmosphere for the celebration of these festivals. The present study is about the 'festivals in Kashmir'.

Key words: Shab-i-Mehraj, Shivratri, Urs-i-Dastgeer, Diwali,

Introduction: The most important festival in Kashmir of Kashmiri pundits is the shivratri (Heart) It commences from the first days of the dark fort night of phalgun (Feb. March)[1] . From the 5th to 10th day house cleaning and washing of the cloths is done and cash presents according to custom are sent to daughters.[2]

The puja room called "Thokur kuth" and the front door called "Dhar" were especially cleaned. One for the puja and other to welcome shiva and parvati, whose communion is the real essence of the shivratri. [3]

1. P.N.K. Bamzai, culture and political history of Kashmir vol.1 Gulshan Publications Sgr. (J&K) p. 34.

2. F.M. Hassnain, Encyclopaedia of India, Vol. IX Part II, p. 106.: P.N.K Bamzai culture and political history Kashmir, Gulshan Pub. Sgr. J&K p. 34

3. T.N. Dhar, A window on Kashmir , Mital Pub. New Delhi, 2003, p.68. Maharja Gulab Singh introduced, Diwali in Kashmir.[4] and was most celebrated festival of punjabi Hindus.[5] The name of the festival is perhaps taken from the Hindu word "Diva" which means the lamp, that is why this festival is also known as festival of lights.[6]

4. G.M. Rabani, Ancient Kashmir, Ahistorical perspective, Gulshan Pub. Sgr. J&K. 1981,p.55.

5. Parveena Akhtar the History of Jammu and Kashmir in Political, Economic, Socio-cultural perspective (1846-1885) info pub. Sgr. J&K. 2007. P, 280.

6. Frederic Drew, Jammu and Kashmir Territories, cosmos pub. New Delhi, 1875. p. 72 On this festival people used to worship goddess lakshmi, the goddess of the wealth[7]. The another festival of Hindus of India is Holi and was introduced in Kashmir by Maharaja Gulab singh.[8] Who celebrated it grand scale.[9]

7. Fredric Drew, Jammu & Kashmir territories, cosmos pub. New Delhi, 1875, p.72

8. G.M. Rabani, Ancient Kashmir, A historical perspective Gulshan Pub. Sgr. J&K 1981. P. 55.

9. Mohammad Isaqh Khan History of Sringar, Cosmos Pub. Karan Nagar, Sgr. J&K, 1999, p. 107. & Fredric Drew Jammu & Kashmir territories, cosmos pub. New Delhi, 1875, pp-70-71 The festival of Dusserah began to be celaebrated in Kashmir with in flux of Punjabi Hindus with great zeal and Joy[10]. This festival is held in meomory of the victory of Rama one of the great heroes of Hindu Mythology, over Ravan, the king of Ceylon[11].

10. G.M. Rabani, Ancient Kashmir, Ahistorical perspective, Gulshan Pub. Sgr. J&K. 1981,p.55., Walter Lawrence, valley of Kashmir Pub. Asian education service, Hauz-i-khas, New Delhi. 2005, p. 266.

11. Allan Stacey, Visiting Kashmir, B.T. Batsford Ltd. London, 1988 p. 64.: Pearce Grevice this is Kashmir, pub. Ali Mohammad and Sons, Sgr. J&K, 1954, p 253. Shab-i-mehraj is another festival which is celebrated by Muslims held at Hazrat Bal,[12]. Another festivals which are celebrated by the Muslims in Kashmir were moharram, Idul Fitr, Idul-Zuha.[13]

12. C.E. Bates, Gazetteere of Kashmir, Gulshan Pub. Sgr. J&K, 2005, p. 375.

13. Parveena Akhtar the History of Jammu and Kashmir in Political, Economic, Socio-cultural perspective (1846-1885) info pub. Sgr. J&K. 2007. p, 279. Another festival in Kashmir which was introduced by Maharaja Gulab singh. Introduced the Harvest home festivals called 'Ankot'[14]. The festival took place in second day of Diwali and people of the city were fed at the expense of the state on the first fruits of the autumn harvest[15].

14. Walter Lawrence, valley of Kashmir Pub. Asian education service, Hauz-i-khas, New Delhi. 2005, p.271

15. Parveena Akhtar the History of Jammu and Kashmir in Political, Economic, Socio-cultural perspective (1846-1885) info pub. Sgr. J&K. 2007. p, 280. The Muslims of the valley celebrated another festival also like Urs-i-Shah-i- Hamdan, Ursi-Hazrat bal, Ursi-Nur-Din at char-i-shariaf, Urs-I Dastgeer Sahib at (Khanyar) Urs-i- Makhdum Sahib at (Hariparbat)[16]. The annual faris held at various, spread all over the valley were important day in the life of Muslims.[17]. Thousands of people flocked to these shrines and spent their day in eating and buying of goods and enjoying the festivals.[18].

16. F.M. Hassnain, Encyclopaedia of India, Vol. IX Part II, p. 106.: P.N.K Bamzai culture and political history Kashmir, Gulshan Pub. Sgr. J&K pp.103-105.

17. Walter Lawrence, valley of Kashmir Pub. Asian education service, Hauz-i-khas, New Delhi. 2005, p.289.

18. Wake field, The Happy valley,Gulshan Pub. Sgr. J&K, 1989, pp. 157-158.

Conclusion: Finally, fairs and festivals are celebrated by Hindus and Muslims in the valley but in over all we can say that it is a basic need because with these celebrations a man belonging any community Just wants relaxation of his mind and peace of Heart. But now a days we people are only materialistic, avoiding our culture, customs, traditions as well as fair and festivals we are just following the western foot prints.

Reference:

1. P.N.K Bamzai Culture and political history of Kashmir vol. I, Gulshan Pub. Sgr. J&K. 2007.
2. F.M. Hassnain, Encyclopaedia of India, Vol. IX Part II,
3. T.N. Dhar, A window on Kashmir , Mital Pub. New Delhi, 2003.
4. G.M. Rabani, Ancient Kashmir, A historical perspective Gulshan Pub. Sgr. J&K 1981.
5. Parveena Akhtar the History of Jammu and Kashmir in Political, Economic, Socio-cultural perspective (1846-1885) info pub. Sgr. J&K. 2007.
6. Fredric Drew, Jammu & Kashmir territories, cosmos pub. New Delhi, 1875.
7. Mohammad Isaqh Khan History of Sringar, Cosmos Pub. Karan Nagar, Sgr. J&K, 1999,
8. Allan Stacey, Visiting Kashmir, B.T. Batsford Ltd. London, 1988.
9. Pearce Grevice this is Kashmir, pub. Ali Mohammad and Sons, Sgr. J&K, 1954.
10. C.E. Bates, Gazetteere of Kashmir, Gulshan Pub. Sgr. J&K, 2005.
11. Walter Lawrence, valley of Kashmir Pub. Asian education service, Hauz-i-khas, New Delhi 2005.
12. Wake field, The Happy valley,Gulshan Pub. Sgr. J&K, 1989.

दुर्गा देवी (दुर्गा भाभी)

डॉ0 भावना तिवारी, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी महिलाओं में एक प्रमुख नाम ऊपर उभर कर आता है वह है, दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी का जन्म 07 अक्टूबर, 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता व माता का नाम क्रमशः बांके बिहारी भट्ट व यमुना थे। दुर्गा के एक भाई था जो बारह–तेरह साल की उम्र में ही गुजर गया था। दुर्गा जब दस महीने की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। दुर्गा की विमाता ने तीसरी कक्षा में उनकी पढाई छुड़वा दी। कुछ समय पश्चात् दुर्गा के पिता ने संन्यास ले किया और वे अपनी बुआ के यहाँ रहने लगी। जब वे ग्यारह–बारह साल की थी तभी उनका विवाह भगवती चरण बोहरा से कर दिया गया।

भगवती चरण नागर ब्राम्हण थे। उनके घर में लेन–देन का काम होता था। इसलिए उनका नाम बोहरा पड़ गया था। विवाह के समय दुर्गा की आयु लगभग बारह तथा भगवती चरण की लगभग सोलह साल की थी। भगवती चरण के पिता के तीन मकान लाहौर और दो इलाहाबाद में थे। विवाह के तुरंत बाद दुर्गा देवी लाहौर चली आई। उन्होंने लाहौर में फिर से पढ़ाई शुरू की। इस समय भगवती चरण भी एम0एस0सी0 की पढ़ाई कर रहे थे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनका विचार जर्मनी जाकर आगे की पढ़ाई करना था। इस समय सरकार ने उनके पिता को राय बहादुर का खिताब दिया। बचपन से ही देश भक्ति की ओर भगवती चरण का झुकाव होने के कारण उन्होंने इस खिताब के मिलने पर घर छोड़ दिया।

दुर्गा भाभी को अपने श्वसुर से चालीस हजार रूपए मिले थे। उनके श्वसुर ने यह रकम अपने एक मित्र को दी थी तथा उसे यह ताकीद कर दी कि आवश्यकता के समय ही यह रकम दुर्गा को दी जाए। दुर्गा के पिता ने भी उनके लिए पांच हजार रूपए अपने मित्र बटुक नाथ अग्रवाल के घर रख दिये थे ताकि जरूरत के समय उनको दिए जा सके।1

अपने पिता के राजनैतिक विचारों से सहमत न होने के कारण भगवती चरण लाहौर के एक मकान में अलग रहने लगे। इसके कुछ समय पहले से ही भगवती चरण का कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ था। इनमें चंद्र शेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, धनवंतरी, राजगुरू, सुशीला देवी, बटुकेश्वर दत्त आदि प्रमुख थे। शीघ्र ही उनका घर हर समय उनके इन साथियों से भरा रहने लगा।

दुर्गा देवी प्रभाकर की परीक्षा पास करके लाहौर के महिला विद्यालय के हिन्दी विभाग की प्रमुख बन गई, क्योंकि पुलिस उनके पति पर क्रांतिकारी होने का संदेह करती थी इसलिए उनका नौकरी करना जरूरी था। अब दुर्गा, जिन्हें कि क्रांतिकारी भाभी कह कर पुकारते थे, दल के छोटे–छोटे कार्यो में भाग लेने लगी। वे क्रांतिकारी दल के लिए चंदा इकट्ठा करती, क्रांति से संबंधित परचे बाँटती तथा घर पर आए क्रांतिकारियों को आश्रय देकर उनका स्वागत–सत्कार करती। 1927 में मेरठ षड्यंत्र कांड के सिलसिले में भगवती चरण की गिरफ्तारी के वारंट निकले किंतु वे फरार हो गए। उनके घर की तलाशी ली गई तथा पुलिस का पहरा लगा दिया गया। इसके बाद भी वे दल के कार्यो में सक्रिय रही तथा अपना धन भी व्यय किया।

1927 में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत की सांविधानिक व्यवस्था की जांच करने के लिय साइमन आयोग नियुक्त किया इसके सातों सदस्य अंग्रेज थे। सभी राजनैतिक दलों ने इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया।

1928 में साइमन आयोग भारत में जहाँ–जहाँ भी गया, उसका स्वागत काले झंडों व हड़तालों के साथ किया गया। 20 अक्टूबर, 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के आगमन पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पंजाब के अन्य प्रमुख नेता डॉ, गोपी चंद भार्गव, केदार नाथ सहगल, डॉ. सत्य पाल व मौलाना जफर अली आदि तथा क्रांतिकारी भगत सिंह व उनके साथी भी जुलूस में सम्मिलित थे। लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर इस जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्ति 'साइमन वापस जाओ', 'अंग्रेज मुर्दाबाद' नारे लगा रहे थे। वे भगत सिंह द्वारा दिया गया एक नया नारा 'इंकलाब जिन्दाबाद' भी लगा रहे थे। इसके साथ–साथ जुलूस मे भाग लेने वाले व्यक्ति सम्मिलित रूप से निम्नलिखित पंक्तियाँ भी गा रहे थे।

'हिन्दुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन जहाँ देश तुम्हारा' स्काट के आदेश पर पुलिस सुपरिन्टेडेंटों ने जुलूस पर लाठी चार्ज किया। स्कॉट ने लाल लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किए। लालाजी अंचेत हो गए। भगत सिंह व उनके साथियों ने लालाजी को बचाया। उसी दिन शाम को लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक आम सभा में कहा कि उन पर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के लिए एक–एक कील साबित

होगा। लाठी के प्रहारों से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु नवम्बर, 1928 गई।

भगत सिंह व उनके साथी राजगुरू व सुखदेव ने लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। इस बारे में उन्होंने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन दल के प्रमुख नेताओं के साथ परामर्श करने का निश्चय किया।

दिसंबर, 1928 में भगवती चरण बोहरा के निवास स्थान पर क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद भी उपस्थित थे। दुर्गा भाभी को इसका सभापति बनाया गया।

इससे स्पष्ट है कि इस समय तक दुर्गा भाभी क्रांतिकारी दल की एक प्रमुख सदस्या बन गई थी। कुलदीप नायर के अनुसार इसके पहले एक शूटिंग केस में उन्होंने तीस साल क सजा भी काटी थी।2

इस बैठक में एक मत होकर यह निश्चय किया गया कि पुलिस सुपरिन्टेंडेंट स्काट का कत्ल किया जाए लेकिन एक उच्च पुलिस अधिकारी, जो कि शस्त्रों से सदैव लैस रहता था तथा जिसकी सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध होता था, को, कत्ल करना खतरे से खाली नहीं था, किन्तु क्रांतिकारी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक या दो व्यक्तियों को यह कार्य सौंपने का निश्चय किया। सबसे पहले दुर्गा भाभी ने इस कार्य को करने के लिए नाम माँगे। ऐसा करने के तुरंत बाद दुर्गा भाभी ने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया, किंतु इस बैठक में उपस्थित कोई भी व्यक्ति उनकी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। यद्यपि सब जानते थे कि क्रांति के प्रति उनकी निष्ठा अगाध है लेकिन जब अन्य व्यक्ति इसके लिए सहर्ष तैयार थे तब उन्हें इस कार्य का दायित्व कैसे सौंपा जा सकता था ? इसके अतिरिक्त वे क्रांतिकारी दल के एक प्रमुख नेता, जो उस समय फरार थे, की पत्नी थी। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को जानने के बाद दुर्गा देवी ने स्वयं का नाम वापस ले किया। इसके बाद उन्होंने सुखदेव को एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने को कहा जिसे कार्यान्वित किया जा सके।

अपनी योजना प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव ने स्वयं का नाम इस कार्य को पूरा करने के लिए पेश किया, किन्तु बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उनके प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे दल के संगठन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहे थे। अंत में भगत सिंह राजगुरू, चंद्रशेखर आजाद व जय गोपाल को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया।3

17 दिसंबर, 1928 को इस कार्य को करने का निश्चय किया गया लेकिन उस दिन शाम जय गोपाल की एक भूल के कारण पुलिस के दफ्तर के सामने भगत सिंह व राजगुरू ने स्कॉट के स्थान पर सांडर्स की हत्या कर दी। इस कांड में एक पुलिसकर्मी चानन सिंह भी मारा गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। चंद्र शेखर आजाद की मदद से भगत सिंह व राजगुरू घटना स्थल से बच कर निकल गए। रात में वे सोहन सिंह 'जोश' के निवास स्थान पर छिपे रहे तथा पौ फटने के पहले दुर्गा भाभी के निवास स्थान पर पहुँचे। इस समय तक पुलिस, जो रात भर वहाँ पहरा देती थी, हट चुकी थी।4

दुर्गा भाभी ने भगत सिंह, राजगुरू व आजाद को एक खतरनाक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करने पर बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कॉट के स्थान पर सांडर्स का कत्ल उनके इस साहसिक कार्य की महानता को किसी भी तरह कम नहीं करता।5

भगत सिंह, राजगुरू व चंद्रशेखर आजाद ने उसी दिन लाहौर छोड़ने का निश्चय किया। एक साधु के वेश में आजाद लाहौर से सुरक्षित निकल गए। सुखदेव की सलाह पर भगत सिंह ने एक उच्च सरकारी अधिकारी का भेष धारण किया। उन्होंने भगवती चरण का ओवरकोट पहना तथा एक फैल्ट टोप धारण किया। दुर्गा भाभी एक पत्नी के रूप में उनके साथ थी। उनके नौकर के भेष में राजगुरू एक तांगा ले आए। दुर्गा भाभी के साथ उनका तीन वर्षीय पुत्र शचींद्र भी था।

लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह, दुर्गा भाभी व राजगुरू पुलिस की ऑखों मे धूल झोंकने में सफल रहे। पुलसिकर्मियों ने उन्हें एक सरकारी अधिकारी व उनकी पत्नी तथा नौकर ही समझा। देहरादून एक्सप्रेस में सवार होकर तीनों व्यक्ति कलकत्ता के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में भाभी ने अपने कोट की जेब में पिस्तौल छिपा रखी थी। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सकता था। मार्ग में दुर्गा भाभी व भगत सिंह के मध्य कई विषयों पर वार्ता हुई। वे दोनों तथा राजगुरू कानपुर में उतरे तथा स्टेशन के निकट एक होटल में ठहरे। यहाँ से दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण बोहरा, जो कि उस समय कलकत्ता में गुप्त रूप से रह रहे थे, को एक तार भेजा। इसमें उन्होंने अपने भाई के साथ कलकत्ता पहुँचने की सूचना दी। तार पाने पर एक क्षण तो भगवती चरण आश्चर्यचकित हुए लेकिन शीघ्र ही व समझ गए कि उनकी पत्नी भगत सिंह के साथ आ रही है। उन्होंने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। उन्होंने दुर्गा देवी के साहसपूर्ण कार्य की प्रशंसा की तथा बड़े गर्व के साथ कहा दुर्गा ! मैं तो तुम्हें एक देहातिन बहू समझे हुए था, तुमने तो स्वयं को एक क्रांतिकारिणी के रूप में प्रस्तुत करके मुझे गौरवांवित होने का अवसर दिया है। आज तुम सही अर्थो में मेरी पत्नी सिद्ध हुई हो।6

इस प्रकार दुर्गा भाभी ने स्वयं का धन व्यय करके तथा स्वयं व अपने पुत्र के प्राणों को संकट में डाल कर भगत सिंह व राजगुरू को यत्नपूर्वक लाहौर से सुरक्षित निकाल लिया। लाहौर से कलकत्ता तक की यात्रा में भगत सिंह व दुर्गा भाभी में आत्मीयता की भावना में वृद्धि हुई।

काफी समय तक सरकार को भगत सिंह के सांडर्स हत्याकांड में लिप्त होने के बारे में जानकारी नहीं मिली। कलकत्ता में रहकर भगत सिंह ने बंगाल व अन्य प्रदेशो के क्रांतिकारियों से मिलकर आगरा व अन्य स्थानों पर बम बनाने के कारखाने खोलने की योजनाएं बनाई। समय–समय पर भगत सिंह अपने गुप्त ठिकानों पर अपने साथियों से तत्कालीन राजनीतिक दशा के बारे में विचार–विमर्श भी करते थे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि यद्यपि कुछ हद तक सांडर्स के कत्ल ने क्रांतिकारी दल के अस्तित्व व कार्यक्रम को जनता के सामने लाने में सफलता प्राप्त की है, किन्तु इस बीच क्रांतिकारियों के विरूद्ध किए गए सरकारी प्रचार से जनका कुछ हद तक भ्रमित भी हुई है। अतः उन्होंने अपने दल के उद्देश्यों व कार्यक्रमों को जनता के सामने रखने की आवश्यकता समझी। आगरा में आयोजित दल को एक गुप्त सभा में भगत सिंह ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंका जाए। बम फेंकने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं हो तथा बम फेंकने के बाद क्रांतिकारी स्वयं को गिरफ्तार के लिए प्रस्तुत करें। जब उन पर अदालत में मुकदमा चले तब वे अपने बयानों द्वारा दल के उद्देश्यों व कार्यक्रम में जनता के सामने रखें।7

इस कार्य के लिए दो सदस्यों को चुनने का निश्चय किया गया। भगत सिंह ने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया किन्तु भगत सिंह जैसे कर्त्तव्यनिष्ठ क्रांतिकारी को आजाद खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वे जानते थे कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर भगत सिंह पर सांडर्स के कत्ल के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अतः आजाद न बटुकेश्वर दत्त व राम सरन दास के नामों का प्रस्ताव किया। ज्योंही सुखदेव को यह बात ज्ञात हुई, उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई। इस संदर्भ में उन्होंने भगत सिंह को यह कहा कि वह अब क्रांतिकारी कार्यो के लिए उपयुक्त नहीं रहा है क्योंकि वह एक महिला की गिरफ्त में है। सुखदेव के अनुसार लाहौर की एक गुप्त क्रांतिकारी सभा में एक महिला के आगमन पर भगत सिंह मुस्कराया था। यद्यपि सुखदेव ने इस महिला का नाम नहीं बताया किंतु उसका संकेत दुर्गा भाभी की ओर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि लाहौर से कलकत्ता तक की यात्रा में भगत सिंह व दुर्गा भाभी में आत्मीत्यता की भावना पैदा हुई थी लेकिन सुखेदव का यह आरोप गलत था कि इस प्रकार की भावना के वशीभूत होकर भगत सिंह ने अपना नाम वापस लिया था। उस समय भगत सिंह कुछ नहीं बोला किन्तु कुछ समय पश्चात् एक पत्र द्वारा उसने सुखदेव को वस्तु स्थिति से अवगत कराया।8

सुखदेव के सुझाव पर क्रांतिकारी दल की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। इसमें भगत सिंह ने पुनः अपने नाम का सुझाव दिया। इस बार चंद्रशेखर आजाद कुछ न कह सके तथा राम सरन दास के स्थान पर भगत सिंह को यह दायित्व सौंपा गया।

केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकने के पश्चात् भगत सिंह व बटुकेश्वर नाथ ने स्वयं की गिरफ्तारी दी। उन पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह व उनके अन्य कई अनेक साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की अवधि में भगत सिंह व उनके सभी साथियों ने अनेक बार भूख हड़ताल की। जतिन दास के अतिरिक्त अन्य ने समय–समय पर अपना अनशन तोड़ा किन्तु जतिन दास लगातार भूख हड़ताल पर रहे। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव रेलगाड़ी द्वारा कलकत्ता ले जाया गया। जतिन के शव के साथ दुर्गा भाभी, जो इसके कुछ समय पहले लाहौर लौट आई थी, भी कलकत्ता गई। जतिन दास की अन्त्येष्टि के बाद दुर्गा भाभी कलकत्ता से लाहौर लौट आई।9

चंद्र शेखर आजाद ने भगत सिंह को लाहौर के कारागृह से छुड़ाने की एक योजना बनाई। इसके लिए एक बम की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर आजाद कानपुर से बम के खोल भी लेकर आए। उनमें मसाला भर कर बम भी तैयार कर लिए गए थे। इनकी परीक्षण करने के लिए 28 मई, 1930 को भगवती चरण, सुखदेव, विश्वनाथ वैशंपायन रावी को पार कर दूसरी ओर के घने जंगल मे गए। एक बम परीक्षण करते समय वह फट गया तथा भगवती चरण बोहरा की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुर्गा भाभी के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा आघात था, किन्तु अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन कर दुर्गा भाभी नहीं रोई। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से छुड़ाने की योजना पर अमल किया जाए।10 उन्होंने स्वयं इस योजना में भाग लेने का आग्रह किया। चंद्र शेखर आजाद ने उन्हें सांत्वना प्रदान की तथा कहा कि उन्होंने देश व दल के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यद्यपि वे अपने पति के दाह संस्कार में सम्मिलित होना चाहती थी पर आजाद ने आगा–पाछा बताते हुए उन्हें समझा दिया। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें जेल से छुड़ाया जाए। इसलिए इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया।

लाहौर में दुर्गा भाभी ने जेल में

भगत सिंह से संपर्क बनाए रखा। उन्होंने भगत सिंह की रिहाई के लिए दिल्ली जाकर महात्मा गांधी से भेंट की। भाभी ने गांधी को कहा कि वायसराय लार्ड इरविन से हो रही वार्ता में वे भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव को छुड़ाने की शर्त रखें। यदि इसे आवश्यक शर्त के रूप में रखा जाएगा तो वायसराय मान लेंगे लेकिन गांधीजी इसके लिए राजी नहीं हुए। सरकार ने भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई।11

इसके पश्चात् चंद्र शेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को क्रांतिकारी कार्य को संगठन के लिए बम्बई भेजा। बम्बई में भाभी ने पृथ्वी सिंह आजाद के सहयोग से वहाँ के पुलिस कमिश्नर को मारने की योजना बनाई लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। पुलिस ने दुर्गा भाभी व उनके साथियों का फरार घोषित किया। सरकार ने क्रांतिकारियों के लाहौर के तीन और इलाहाबाद में दो गुप्त मकानों को जब्त कर लिया। अतः आश्रय के लिए दुर्गा भाभी को अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। वे कुछ दिनों पुरूषोत्तम दास टंडन के घर पर भी रहीं।12

23 मार्च, 1931 को भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दी गई। कुछ समय पश्चात् चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। इसी बीच पुलिस दुर्गा भाभी की खोज करती रही। 14 सितंबर, 1932 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके विरूद्ध मुकदमा चलाया गया, किन्तु कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया।13

1935 में दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद के प्यारे लाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली। 1937 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। 1938 में कुछ साथियों के साथ वे एक हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार हुई। इस समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अतः उन्होंने राजनीतिक जीवन छोड़ दिया। मद्रास जाकर उन्होंने मांटेसरी का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा कुछ वर्षो तक लखनऊ में एक मांटेसरी स्कूल चलाया। इसके बाद गाजियाबाद में अपने पुत्र शचीन्द्र के साथ रहने लगी।14

1980 में पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने प्रदेश स्तर के एक समारोह में दुर्गा भाभी को सम्मानित किया। उन्होंने दुर्गा भाभी को इक्यावन हजार रूपए की एक थैली भेंट की। इसे लौटाते हुये दुर्गा भाभी ने कहा कि यह धन शहीदों की कीर्ति रक्षा में व्यय किया जाए। वे चाहती थी कि शहीदों के लिए एक भव्य स्मारक बनाया जाए। इस स्मारक में शहीदों की तस्वीरें, नामपट्ट, जीवनियाँ आदि रखी जाए। इस स्मारक के भवन में जीवित क्रांतिकारी भी रहे। नई पीढ़ी के लोग वहाँ आएँ, देखें, पढ़े और प्रेरणा लें।15

28 मई, 1981 को भगवती चरण बोहरा के इक्यानवें शहीद दिवस पर दुर्गा भाभी ने पंजाबियों को अपने संदेश में कहा कि उस शहीद के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि ''नौजवानों जो कभी दिल में तुम्हारे खटके, याद कर लेना हमें कि कभी भूले भटके। '' उन्हें इस बात का खेद था कि उनके पति का न तो कोई स्थान शेष है, न कोई निशान है, जहाँ फूल चढ़ाए जाएँ। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवती चरण की देशभक्ति की सराहना की तथा कहा कि ''भगवती भाई और दुर्गा भाभी एक आदर्श पति–पत्नी थे। उन्होंने अपना सुख चैन, धन दौलत सब कुछ देश एवं देश भक्तों के लिए अर्पित किया था।''16

दुर्गा देवी ने क्रांतिकारियों को 'भटके हुए लोग' कहने पर जोरदार प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि उनके मन में एक विचार दर्शन था, जिसे लेकर वे चल रहे थे और जिसकी नींव पर स्वतंत्र समाज और देश का चित्र देखा करते थे। उनके विचार में अपना अंत जानते हुए भी भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।17

स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वचनेश त्रिपाठी द्वारा ''क्रांतिमूर्ति दुर्गा भाभी'' नामक पुस्तक के आमुख में रामशरण गौण ने लिखा था कि हमारी आजादी के नींव के पत्थरों में दुर्गा भाभी का नाम अग्रणी है। वे आधुनिक भारत के क्रांतिम युग की जीवंत प्रतीक है।

संदर्भ सूचीः

1. संकट के समय बटुक नाथ ने तो पांच हजार रूपए दुर्गा भाभी को दे दिए लेकिन दुर्गा भाभी के श्वसुर ने चालीस हजार रूपए अपने जिस मित्र के यहाँ रखे थे, वे उन्हें नहीं मिले।
2. नायर कुलदीप–दी मेरटिर भगत सिंहः एक्सपेरीमेंट इन रिवोल्यूशन, पृष्ठ–37–45
3. वही
4. वही
5. श्रीकृष्ण सरल–क्रांतिकारी कोश, तृतीय खण्ड, पृष्ठ 118
6. वही
7. नायर कुलदीप–दी मेरटिर भगत सिंहः एक्सपेरीमेंट इन रिवोल्यूशन, पृष्ठ–37–45
8. वही
9. गुप्ता विश्वप्रकाश व गुप्ता मोहिनी– स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएँ, पृष्ठ 292–294
10. त्रिपाठी वचनेश–क्रांतिमूर्ति दुर्गा भाभी, पृष्ठ 126–133
11. वही
12. वही

13. वही
14. वही
15. वही
16. वही
17. वही, पृष्ठ 10

गौ सेवा ही सच्ची राष्ट्र–सेवा

डॉ. नितिन सहारिया शा0 एम0एम0 महाविद्यालय कोतमा, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)

'गो' शब्द के निर्वचन एवं उसके नाना अर्थ – सामवेद के 'ताण्डव' ब्राम्हण में 'गो' शब्द का निर्वचन '' गोवय तिरोभावें' धातु श्रुति में किया गया है ।

गवा वै देवा अरान एभ्यो लोकेभ्योऽनुदन्त । यद्वै तददेवा असुरान न एम्योलोकेम्यो ' गो–वयन' तदगोर्गोत्वम , अर्थात देवो ने गवा गो प्राण एवं गो प्राणी –दन दोनो से किंवा तीनो लोको से असुरो को भगा दिया । जो उन देवो ने गो प्राण एवं गो प्राणी से असुरो को 'गोवयन– तिरोहित कर दिया – वो गो का गोत्व है । अर्थात असुरो का विनाश '' गो'' का गोत्व है – गोपना है ।

वेद मे 'प्राणा वय देवताः इस श्रुति के आधार से (1) ऋषि (2) पितर (3)देव (4) असुर (5) गन्धर्व (6) मनुष्य (7) पशु –भेद से सात प्रकार के इन प्राणों का देवता कहा गया है । इनमे शुक्ल प्राण देव एवं कृष्ण प्राण असुर है । देवों का आवास सूर्यमंण्डल है । असुरो का आवास पृथ्वी मंण्डल है । देवो की संख्या तैतींस एवं असुरो की संख्या निन्यानवे है । सूर्य की एक एक शुक्ल रश्मि सभी देव एवं मूच्छाया की प्रत्येक कृष्ण रश्मि में सभी असुर निवास करतें है ।

विश्व के पदार्थो में देवभावों का संचार करते है एवं असुर असुरभावों का संचार करते है ।

सत्यंश्री र्ज्योतिरमृतं सुराः ' ये देवभाव है – एवं 'असंयत पाप्या तमो मृत्युरसुराः ' ये असुरभाव है अर्थात (1)सत्य (2) श्री (3) ज्योति (4) अमृत से देव भाव है । तथा (1) असत्य (2) पाम्पा(3) तक एवं (4) मृत्यु से असुर भाव है । देवमय पदार्थो के उपयोग से हमारे अध्यात्म ,शरीर, मन ,बृद्धि प्राण एवं आत्मा में असुर भावों का संचार होगा। एवं असुरमय पदार्थो के उपयोग से हमारे आध्यात्म, शरीर, मन, बुद्धि प्राण एवं आत्मा में असुर भावों का संचार होगा। इसलिए शास्त्रों में खाद्याखाद्य , पेयापेय एवं गम्यागम्य आदि व्यवस्थाएँ हैं।

'गो'–तत्वः जिस तत्व के द्वारा अर्थात् प्राण के द्वारा देवगण पदार्थो से असुरों का तिरोभाव कर देते हैं, वही तत्व 'गो' कहलाया है। अर्थात 'गो', प्राण एवं उससे उत्पन्न 'गो'–प्राणी–दोनों 'गो' हैं। यह 'गो'–प्राण असुरों का प्रवल विरोधी है अर्थात सूर्य–सम्बंधी प्राण है। '**आदित्या वा गावः'** यह ऐतरेय बह्माण की श्रुति इसमे प्रमाण है। अर्थात 'गो'–प्राणी का जन्म आदित्य प्राण से हुआ है। अतः 'गो' आदित्या कहलायी है। इसलिए असुर विनाशिनी जो भाक्ति सूर्य में है, वही भाक्ति 'गो'– प्राण एवं गो–प्राणी में भी है, अतः गोमाता के भवास–प्रवास, गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दधि, गोस्पर्श आदि में वे सभी शक्तियाँ सन्निहित हैं जो गो–प्राण एवं सूर्य में हैं।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'गो' शब्द का निर्वचन **'गच्छति इति गौः'** है तथा **'गम्यते इति गौः'** इस प्रकार भी अर्थ किया गया है। जो गति शील है वह 'गो' है। अथवा जो गति से प्राप्त किया जाता है वह भी 'गो' है। श्रुति कहती है कि ये तीनो लोक गति शील होने से 'गो' कहलाते हैं। ये गति से प्राप्त भी किये जाते हैं, अतः गो हैं। अर्थववेद की 'पिप्पलाद' शाखा का प्रतिपादन है कि गति शील कोई भी पदार्थ 'गो' कहलाता है जैसे–**'अथ गोवं सार्पराज्ञी'** अर्थात यह 'गो' प्राण एवं 'गो' प्राणी– ये दोनों गमनभीलों में रानी है। दोनो अभिन्न हैं, दोनो गतिशील हैं, अतः दोनों 'गो' हैं। वज्र (विद्युत) जल, बैल, धेनू, वाक्, दिक्, बाण, पृथ्वी, किरण, सुख, स्पर्श, सत्य, वह्नि, अक्षि, अक्षमातृका, स्वर्ग, चन्द्र, लोम–ये सब गति शील होने से 'गो' हैं

'छान्दोग्योपनिशद्' कहता है कि **'अन्नमयं हि सौम्य मनः, तेजोमयी वाक्, आपोमयाः प्राणाः।'** जैस अन्य से मनन करने में मन समर्थ होता है, जैसे जल से प्राण प्रवल होते है वैसे ही घृतरूप तेजसे 'वाक्' को सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे वह शब्दोच्चार में समर्थ होती है।

संस्कृति की दृष्टि से गौ का महत्वः भारतीय संस्कृति की दृष्टि से गौ का महत्व तो गायत्री और गग्डा से भी बढ़कर है। गायत्री की साधना में कठिन तपस्या अपेक्षित है। गग्डासेवन के लिये भी कुछ त्याग करना ही पडता है, परंतु गौ का लाभ तो घर बैठे ही मिल जाता है। दुःख की बात यह है कि आज गौ को साधारण पशु समझकर उसकी उपेक्षा की जा रही है और लोग उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। यदि वाक् गायत्री है, प्राण गग्डा है तो मन गौ है। मनकी शुद्धि के बिना न तेा कोई साधना हो सकती है और न भौतिक उपलब्धि का सुख ही प्राप्त हो सकता है और न भौतिक उपलब्धि का सुख ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल मन है और गौ मन की शुद्धि का मूल हेतु है। मानव–जीवन से पशु–जगत् का यों भी घनिष्ठ सम्बन्ध है, फिर दिव्य पशु तो मानव–जीवन की आधारशिला है। वेद में सामान्य और दिव्य पशुओं का पर्याप्त विवेचन हुआ है। गौ और गौ की संतान दोनों ही दिव्य पशु हैं।

ऋग्वेद में गौ को बृषभ कहा गया है। वृषभ गौ का ही पुँल्लिग्ड–रूप है। वेद में सबसे अधिक वर्णन गौका हुआ है। उषा की रश्मियों को गौ के ही रूप में चित्रित किया गया है मेघ का भी गौ के रूप में मूर्तीकरण हुआ है।

मेघ–रूप गौ से ही विद्युत्–रूप बछड़े का जन्म होता है। बड़े–बड़े सुन्दर रूपकों और उपमानों से वेद में गौ की महिमा गायी गयी है अथर्ववेद में लिखा है–' **विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मेऽस्तु'** (४/३४/८) भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है। यज्ञ भी कर्म का ही एक रूप है। जिस प्रकार यज्ञचक्र गौ के बिना संभव नहीं, उसी प्रकार कर्म चक्र को भी सुन्दर, सुखद और अनुकूल बनाने के लिए गौ की आवश्कता है। मानव जीवन में भी पंचगव्य का बहुत उपयोग है। वेद में गौ की इतनी महिमा है कि देवताओं की माता अदिति को 'धेनु' कहा गया है और देवताओं को गोजात बाताया गया है। यत्र–तत्र गौ के दूध और घी की आहुति को 'इडा' कहा गया है। वाजसनेयी संहिता में गौ को चित्, मन, धी, तथा दक्षिणा आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है और उसे हर प्रकार से पूज्य माना गया है–

चिदसि मनासि घीरसि .....वर्त्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि।। (यजुर्वेद ४/१६–२०)

अर्थात् ' हे सोमक्रयणी गौ! तुम चिदात्मा हो, बुद्धिस्वरूपा हो, मनःस्वरूपा हो, दक्षिणारूप हो, दाता की कष्ट से रक्षा करने वाली हो, यज्ञसम्बन्धिनी होने से यज्ञ के योग्य हो, देवमाता अदितिस्वरूप हो, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ओर सिर रखनेवाली, अर्थात दिव्य और शौम भोगों को देने वाली हो। तुम हमारे लिये पूर्वमुखी, पश्चिममुखी होओ। सूर्य दक्षिण पाद से तुमको बाँधे। पूशा देवता यज्ञ के स्वामी इन्द्र देवता की प्रसन्नता के लिए मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। हे वाणीरूपी गौ! सोम लाने में प्रवृत्त तुमको तुम्हारी पृथ्वी माता आज्ञा दे, स्वर्ग पिता आज्ञा दे, सहोदर भाई ईश आज्ञा दे, एक यूथ (समूह) में प्रकट होने वाला आत्मप्रतिबिम्ब सखा आज्ञा दे। हे दिव्यगुणयुक्त सोमक्रयणि! तुम इन्द्र के लिय सोमलता लाने को जाओ। रूद्र देवता तुमको पुनः हमारी तरफ लौटावें, सोम को लेकर तुम क्षेमपूर्वक फिर हमारे पास आ जाओ। (इन मन्त्रों द्वारा वाणीरूपी गौ की स्तुति की गयी है।)

अथर्ववेद में तो 'रूपायाध्न्ये ते नमः' कहकर गौ की देववत् पूजा का विधान है। ऋग्वेद में उस स्थल को भी परम पवित्र माना गया है जहाँ गाय निवास करती है। सभी प्रमुख स्मृतियों और पुराणों में गौ की महिमा का गान है। यह सब प्रशस्ति किसी कारण–विशेष से की गयी है और इसमें कारण–विशेष यही था कि मानव–जीवन में गौ से बढ़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। गौ की महिमा का सबसे अधिक वर्णन महाभारत के अनुशासनपर्व में हुआ है। श्रुति को उद्धत करते हुए भीष्म कहते हैं–

गौर्मे माता वृषभः पिता में
दिवं भार्म जगती में प्रतिष्ठा।

(महाभा0 अनु0 ७६/७)

ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधा"च यज्ञे

गायत्री और गग्डा की भाँति गौ का सम्बन्ध सूर्य और चन्द्रमा से है– इसलिये सौर्य और सौम्य विशेषण गौ के लिय प्रयुक्त हुए हैं था उशीनर से लेकर चक्रवर्ती दिलीपतक के गो–प्रेमका वर्णन पुराणों एवं महाभारत में हुआ है। वेद में सूर्य की एक प्रमुख किरण का नाम कपिला है। इसलिये महाभारत में कपिला गौ की बहुत प्रशंसा की गयी है। यज्ञ में जिस सोम की चर्चा है वह कपिला से ही प्राप्त होता है– 'यज्ञैराप्यायते सोमः सच गोशु प्रतिष्ठितः।' कपिला गौ की उत्पत्ति और स्वरूप का विवेचन महाभारत में हुआ है। महाभारतकार करते हैं कि–

गावः प्रतिष्ठा भूतानां .....
फलं गोशु यज्ञाः प्रतिश्ठिताः।

(महाभा0 अनु0 ७८/५–८)

दूध, घी ओर दही के अतिरिक्त गौ का मूत्र और गोबर भी इतने उपयोगी माने गये हैं कि महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि **'गवां मूत्रपुरीशस्य नोद्विजेत कदाचन।'** फिर आगे लिखा है–' **गोमयन सदा स्त्रायाद् गोकरीशे च संविशेत।'** धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष–इन चारों पुरूशार्थों की सिद्धि गौ से सम्भव है–

(महा0, अनु0 ८१।२, ३३–३४)

गौ का गोबर श्रीयुक्त होता है, इसकी बड़ी सुन्दर आख्या अनुशासनपर्व के ८१ वें अध्याय में आती है। गौ की कृषि के लिये उपयोगिता का उल्लेख भी महाभारत में है–

इसी प्रकार 'गौ' शब्द का अर्थ इन्द्रिय भी है। किसी इन्द्रियवान् प्राणी का जीवन–तत्व पित्त है–यह तथ्य प्रायः सभी ओषधि–विज्ञानों में मान्य है। इसी प्रकार पृथिवी का पित्त बताया गया है। सुवर्ण वास्तव में पृथिवी का अग्रितत्व है और पित्त प्राणि शरीर का अग्रितत्व है–**'अग्रिर्हि देवताः सर्वाः सुवर्ण"च तदात्मकम्।'** स्वर्ण के कारण ही पृथ्वी वसुमती कहलाती है। विज्ञान के प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया है कि पच्चगव्य में उपलब्ध नहीं है। पृथिवी के कण–कण में व्याप्त स्वर्ण सर्वसुलभ नहीं है। इसी प्रकार गाग्डेय स्वर्ण प्राप्त करने के लिये भी श्रम और साधना आवश्यक है। परंतु साक्षात् शरीर वसुमती गौ माता से पितरूपी स्वर्ण सहज ही प्राप्त किया जा सकता हैं मानव –जीवन के लिये गौ की उपयोगिता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?।

कटारपुर के गोभक्त भाहीद

गाय अनादिकाल से हिन्दुत्व का मानविन्दु रही है। मुस्लमानों के आक्रमण तथा देश के पराधीन होने से पूर्व गोरक्त की एक बूँद भी पृथ्वी पर नहीं गिरती थी किंतु मुसलमानों द्वारा देश को पराधीन किये जाने के बाद गोहत्या का कलंक चालू हो गया।

आज 'गौहत्या–बंदी आंदोलन' करने वालो को यह दलील दी जाती है कि मुस्लमानों तथा अंग्रेजो के समय गोभक्त कहाँ थे? किंतु अपने ही गौरवमय इतिहास से सर्वथा अनभिज्ञ तथा कथित राजनेतागण यह भी नही जानते कि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दु ने कभी भी गोहत्या के कलंक को सहन नही किया। दत्रपति शिवाजी ने अल्पआयु में ही गौहत्यारे को मौत के घाट उतारा और आजन्म गौ भक्षको को मिटाकर 'हिन्दू राष्ट्र' की स्थापना के लिए औरंगजेब से टक्कर लेते रहे। महाराणा प्रताप, गुरू गोविंद सिंह, वन्दा वीर, वैरागी, गुरू तेजबहादुर, आदि ने गोहत्या के कलंक मिटाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया तथा अपने प्राणो की आहुति दी। मुगलकाल में एक नही हजारो व्यक्तियों ने गोरक्षार्थ अपना जीवन होम दिया।

अंग्रेजों के शासनकाल में हिन्दु जनता गोहत्या के वियद्ध समय–समय पर संघर्ष करती रही १८५७ में वीर गंगल पांडे आदि ने गोहत्या के कलंक के विरूद्ध बंदूक उठायी थी।

सन् १९१८ की बात है हरिद्वार के निकट कतारपुर नामक ग्राम में बकरीद के दिन मुस्लमानों ने गोहत्या करने की घोषणा की।

इस क्षेत्र के हिन्दुओं ने एक स्वर में निश्चय किया कि' हमारे जीवित रहते इस पावन तीर्थ की भूमि पर गौमाता के रक्त की एक बूँद भी नही गिरने दी जाएगी। ' उन दिनो ज्वाला–पुर में थानेदार मुस्लमान था। उनके संकेत पर मुस्लमानो ने १८ सितम्बर को गायो का कत्ल करने के लिए सजाकर जुलूस निकाला। हनुमान मंदिर के महन्त रामपुरीजी के नेतृत्व में हिन्दुओं डटकर गौहत्यारों का प्रतिरोध किया। कसाई जिस गाय को हत्या के लिए सजा कर ले जा रहे थे, महाराज रामपुरी जी ने झपटकर रस्सा काटकर उस गाय को मुक्त करा दिया। गौमाता भाग गयी तथा मुक्त हो गई। गोहत्यारें महात्मा रामपुरी जी पर टूट पड़े। उनके शरीर पर जगह–जगह छुरों के घाव लगें। इससे हिन्दु जनता गोहत्यारों पर टूट पड़ी। परीणम स्वारूप अनेक गोहत्यारों को प्रणों से हाथ धोना पड़ा। हिन्दू जनता ने प्राणों पर खेलकर काल के गाल में जाने वाली गायों को बचा लिया।

भारत में गोरक्षा की ऐतिहासिक परम्परा

सुदर्शना एवं सुज्ङला गाय का वेदों में मुख्य नाम ''अहन्या'' आता है –

'अहन्यानां नः पोसे कृणोत '(अथर्व0 शौ0 /४/२'नेही में अस्त्यहन्या (ऋग्यवेदऋग्यवेद ८/१०२/६)

अहन्या की व्याख्या –जो न तो स्वयं किसी को कष्ट पहुचाती और न जो अन्य किसी के द्वारा कभी मारी पीटी या क्लेश पहुॅचायी जाने योग्य है अर्थात पूज्या, वन्धा और श्रद्वेया है– इस अर्थ में उज्वलदत्त आदि ने 'न हत्न्यते कैर्वायि' 'न वा हन्ति दाताराम्' ग्रहीताए वाइस व्युत्पत्ति द्वारा 'अहन्यादयश्च' (उणादि ४/११२) सूत्र की व्याख्या में एक प्रत्यय से इस अहन्या पद की साधुता स्वीकार की है।

महाभारत, शांतिपर्व (२६२/४७) में भी तुलाधार तथा भी" म ने सुस्पष्ट रूप से इसकी व्यत्पत्ति करते हुए कहा था श्रुति में गौ का अहन्या (अवध्य) कहा गया है फिर कौन उन्हें मारने का विचार करेगा? जो पुरूष गया और बैलों को मारता है, वह महान पाप करता है।

''अहन्याइतिगवां.....गां वाऽऽलभेत तु यः।।

ये अध्न्या, माता, अर्जुनी, सुरभी, माहेयी आदिति, इज्या, कल्याणी तथा भद्रा आदि शब्द–गायके नाम ही गोरक्षा की ऐतिहासिकता का साक्ष्य दे रहे हैं।

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के २।२६ में गोरक्षापर राजा को पूर्ण ध्यान देने के लिये आदेश दिया है। अशोक के शिलालेखों में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध दृष्ट है। इसी प्रकार नूनिजने विजयनगर के राजाओं के विषय में स्पष्ट लिखा है कि व गोमाताकी पूजा करते थे और उनके यहाँ मांस–भक्षण पर सर्वथा निषेध था। (Vijaya Nager P.315)

बी0ए0 स्मिथने अपने इतिहास १०१ पर जहाँगीर के विषय में यहाँ तक लिखा है कि वह जाने या अनजाने में भी गोहत्यारों को फाँसी पर लटकाने में नहीं हिचकता था– Jahangir in the 17th century did not hesitate to kill or mutilate some unlucky men, who had accidently spoiled short at a blue bull.

स्वामी दयानन्द, महात्मा गाँधी, जमुनालाल बजाज, स्वामी करपात्री जी, लाला हरदेव सहाय जी, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी एवं श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने भी इस परम्परा का पूर्णतया पालन करते हुए गोरक्षार्थ अनेक तप एवं उत्सर्ग किये। वस्तुतः शुद्ध गोरक्षा–गोसेवा आदि के बिना देश में आचार, श्री, ऐश्वर्य और शांति स्थापना संभव नही है। वहाँ जप–पूजा–पाठ, यज्ञ, तप आदि में भी सिद्धी नही मिलती, पूर्ण फल की प्राप्ति की कल्पना ही दुर्लभ है। ऐसी दशा में सुख–शांति, राजनीतिक सफलता, व्यावहारिक सौहार्द और सब प्रकार कल्याण के लिये एक मात्र उपाय है सच्ची भावना से गोसेवा–गोपालन और गोपूजा। जब तक भारत में इसकी परम्परा थी, दूध–दही की नदियाँ बहती थीं तब तक शान्ति थी और देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिये तरसते थे। उर्वशी अप्सरा को केवल घृत–पान करने के लिये पुरूरवा के साथ भारत में बहुत दिनों तक रही। ऐसे और अनेक उदाहरण है। राजा मरूत के यज्ञ में तो

मरूद्गण नामक देवगण भी भोजन परोसने का काम करते थे।

यह परिस्थिति आज भी अभि ही लौट सकती हैं, यदि हम पूर्ण श्रृद्धा से भगवती गौ की अर्चना करने के लिये तत्पर हो जायँ–प्रवर्त हो जायँ। गौरक्षा हमारे वर्तमान समय का युगधर्म–राष्ट्रधर्म है। बिना गौमाता की रक्षा, सम्बर्धन, संरक्षण, आर्शीवाद के भारत जो कि गोपाल का देश है महान् नही बन सकता। अतः राष्ट्र के संवेदनशील जागृत आत्माओं को समय की पुकार को अनसुना नहीं करते हुये। राष्ट्रीय कर्तव्य का अविलम्ब पालन करने हेतु कमर कसकर खड़े होना ही चाहिए।

सन्दर्भः

- डॉ. प्रणव पंडया– राष्ट्र के अर्थतंत्र का मेरूदण्ड गौशाला, पृ. 2–3, प्रकाशक– श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज, हरिद्वार, (उ. प्र.), 1998 ।
- पं श्रीराम शर्मा आचार्य – पशुवति हिन्दु धर्म एवं विश्व मानवता पर एक कलंक पृ. 26–27, प्रकाशक– युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ.प्र.), 2006 ।
- डॉ. प्रणव पंडया– गावः सर्वसुखप्रदाः, पृ. 7–8, प्रकाशक – युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, वर्ष 2004 (उ0प्र0)
- कल्याण – गोसेवा – अंङ, पृ. 371–372 संपादक राधेश्याम सेमका प्रकाशक – गीता प्रेस, गोरखपुर (उ0प्र0) वर्ष– 1995
- डॉ. एस.एल. पाटीदार – गौमूत्र चिकित्सा, पृ. 13–14 प्रकाशक–गायत्री शक्ति पीठ, भोपाल (म0प्र0) वर्ष 2003,
- शाश्वत हिन्दू गर्जना –मासिक पत्रिका, पृ" ठ क्र. 06, अप्रैल 2014, संपादक–पुरूषोत्तम नामदेव, प्रकाशक– नरेन्द्र जैन विश्व संवाद केन्द्र, महाकौशल न्यास, जबलपुर (म0प्र0)
- गोसंपदा – मासिक पत्रिका, पृ. 5–6, जुलाई 2011, संपादक – जयप्रकाश भारद्वाज, प्रकाशक– निरोतीलाल अग्रवाल, संकट मोचन आश्रम, सेक्टर–6 रामकृ" णपुरम, नई दिल्ली (उ0प्र0)
- सेवा प्रेरणा– मासिक पत्रिका–जून 2014 पृ. 15–16 संपादक– राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक–विनोद आर्य, एम–205, गौतम नगर, गोविन्द पुरा, भोपाल (म0प्र0)
- ऋषि प्रसाद – मासिक पत्रिका – मई–2011, पृ0 11 प्रकाशक – संत आशाराम आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
- अर्थववेद शौ0 9/4/2
- ऋग्वेद 8/102/19
- कौटिल्य– अर्थशास्त्र– 2 /26
- महाभारत– शान्तिपर्व 262/47
- नूनिज – विजयनगर साम्राज्य, पृष्ट 315,
- यर्जुवेद – 4/19–20
- अर्थववेद – 4/34/8
- महाभारत–अनुशासन पर्व – 76/7
- वही – 78/5–8
- वही – 81/2, 33–34
- यर्जुवेद – 36/8
- बी0ए0 स्मिथ – भारत का इतिहास, पृ0 101

महिला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा

रेणुका लारिया राज, अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग रानी दुर्गा वती विश्व विद्यालय

सारांश

''महिला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसका कारण महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। अधिकांशतः देखा गया है कि पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक रोगग्रस्त पायी जाती है क्योंकि संकोच के कारण अपनी बीमारी नही बताती है अधिकांशतः महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन प्रवृत्ति अपनाती है।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य पर उनके दृष्टिकोण को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।''

[1]भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर उन्नत नहीं है। यहां पर महिलाओं में बाल–विवाह व प्रथम प्रसव में शीघ्रता, अनियोजित गर्भधारण, प्रसव हेतु पहाड़ी क्षेत्रों, मरू प्रदेश एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति–गृहों का अभाव, रोगों के होने के विकसित होने की प्रकिया के बारे में अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, महिला का अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रतिसंचत ना होना, गरीब के कारण संतुलित एवं पोष्टित भोजन प्राप्त न होने के फलस्वरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाती है। समुचित भोजन के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य नही हो पाता, उनकी रक्षा शक्ति कमजोर होने के कारण तथा समुचित पोषक तत्वों के अभाव में महिलाएं कमजोर होती है। कुपोषण से कमजोर महिलाएं अपने रोग का निराकरण करने में अक्षम बनी रहती है।

[2]महिला के स्वास्थ्य का अर्थ है उनका उचित शारीरिक व मानसिक विकास। इस स्वास्थ्य का संबंध मानसिक विकास।

[3]महिलाओं के भोजन में उपर्युक्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन नही होने से इनके अत्याधिक श्रम साध्य कार्यो में संलग्न रहने में सीने में दर्द के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। लगातार 12 से 18 घंटे काम करने से हृदय पर अधिक कार्यभार बढ़ जाता है और आक्सीजन उचित अनुपात में प्राप्त नही होता जिससे दुःखद परिणाम सामने आते है।

[4]उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महिलाओं को निम्न प्राथमिकता दी जाती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर तीन पुरूष पर एक महिला को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है जो, कि बहुत कम है। पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक बीमार पड़ती है, फिर भी जब तक बड़ी बीमारी न हो जाए, महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा प्रदान नही की जाती है, पोषण का स्तर भी महिलाओं में निम्न है, यह अनुमान किया जाता है कि भारतीय महिला लगभग 8 बार गर्भधारण करती है और लगभग 6–7 बच्चे को जन्म देती है जिनमें से 4 से 6 बच्चे जीवित रहते है। 30 वर्ष की प्रजनन आयु में वह 16 साल गर्भधारण में बीता देती है और महिलाओं का खराब स्वास्थ्य स्तर नवजात शिशु व बच्चों को प्रभावित करता है।

[5]इसी संदर्भ में पद्मजा वानी ने अपने अध्ययन द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि वे कौन सी स्वास्थ्य समस्यायें है जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है।

1. पोषण संबंधी समस्या
2. मातृ–मृत्यु
3. कार्यकारी महिलाओं में व्याप्त स्वास्थ्य समस्या
4. मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कारकों से जुड़े हिंसा के कारण महिलाओं की स्वास्थ्य हानि की समस्या
5. स्वास्थ्य संचेतना के प्रति जागरूकता की समस्या

[6]स्वास्थ्य के द्वारा न केवल मानवीय सुख की वृद्धि होती है, वरन् समुदाय की उत्पादन शक्ति एवं कार्य–कुशलता का भी विस्तार होता है। कार्य–कुशलता, क्षमता, उत्पादकता एवं स्वास्थ्य परस्पर अंत संबंधित है।

[7]मनुष्य को अपने जीवित रखने की आंतरिक रूचि केवल अपना अस्तित्व बनाये रखने की नही होती, वरन् उसकी रूचि अच्छे स्वास्थ्य में भी होत है। बुरे स्वास्थ्य से जो दिन–प्रतिदिन कष्ट होता है, वे मनुष्य के स्वस्थ्य बने रहने की स्थाई प्रेरणा देते है।

उद्देश्यः–

1. महिलाओं को रोग मुक्त कराना।
2. महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य की समस्या दूर करना।
3. महिला– पुरूष लिंगानुपात असंतुलित होने का कारण जानना।
4. महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना।

उत्तरदाताओं का चयन एवं अध्ययन विधिः–

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ग्राम की महिलाओं के दृष्टिकोण को जानने के लिए 100 परिवार की (14–49) आयु की महिलाओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया जिसमें समग्र प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार तिथि का प्रयोग किया गया है।

महिला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की देखभालः–

प्रस्तुत शोध पत्र में 19.00 प्रतिशत महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति उदासीन प्रवृति को रोगग्रस्तता का कारण बताती है जबकि 13.00 प्रतिशत महिलाएं अपने परिवार में पुरूष सदस्यों की प्राथमिकता के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नही दे पाती 12.00 प्रतिशत महिलाएं स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय मानती है, जबकि 22.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि वे संकोच के कारण बीमारी नहीं बताती और रोगग्रस्त हो जाती है 34.00 प्रतिशत महिलाएं उपरोक्त सभी कारणों को महिला रोगग्रस्ता का कारण मानती है।

उपरोक्त मुख्य कारण से महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य का कारण है। वे संकोच व स्वास्थ्य के प्रति उदासीन प्रवृत्ति के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान नही दे पाती है। पुरूष सदस्यों की प्राथमिकता भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

सारणी–1

पुरूषों की तुलना में महिलाओं के अधिक रोगग्रस्तता के कारण

कारण	प्रतिशत
स्वास्थ्य के प्रति उदासीन प्रवृत्ति	19.00
पुरूष सदस्यों को प्राथमिकता	13.00
संकोच के कारण बीमारी न बताना	22.00
स्वास्थ्य पर खर्च फिजूल मानना	12.00
उपरोक्त सभी	34.00
योग	**100.00**

महिलाओं का स्वास्थ्य स्तरः–

60.00 प्रतिशत महिलाओं का स्वास्थ्य सामान्य है, जबकि 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने अपना स्वास्थ्य अच्छा बताया। स्वास्थ्य के प्रति 20.00 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनका स्वास्थ्य वर्तमान में खराब है तथा 6.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना की उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है।

सारणी–2

वर्तमान समय में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	प्रतिशत
अच्छा	14.00
सामान्य	60.00
खराब	20.00
बहुत खराब	6.00
योग	**100.00**

महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य स्तर का कारणः–

महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य की समस्या की समस्या के कारणों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में 38.00 प्रतिशत महिलाओं ने भोजन में पौष्टिककता की कमी को तथा 34.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा को गिरते स्वास्थ्य की समस्या का प्रमुख कारण माना है। 4.00 प्रतिशत

महिलाओं ने चिकित्सा सुविधा का अभाव तथा 4.00 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान मातृ–मृत्यु को स्त्रियों के गिरते स्वास्थ्य का कारण माना है, जबकि 18.00 प्रतिशत महिलाएं उपरोक्त सभी तथ्यों को स्त्रियों के गिरते स्वास्थ्य की समस्या का मुख्य कारण मानती हैं।

सारणी–3

महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य की समस्या का मुख्य कारण

कारण	प्रतिशत
महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा	34.00
महिलाओं के चिकित्सा सुविधा में अभाव	4.00
भोजन में पौष्टिकता की कमी	38.00
गर्भावस्था के दौरान मातृ–मृत्यु	4.00
उपरोक्त सभी	18.00
योग	**100.00**

लिंगानुपात असंतुलन के कारणः–

लिंगानुपात असंतुलित होने के कारण पूछने पर 36. 00 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्र मोह को तथा 30.00 प्रतिशत महिलाओं ने पुत्र–पुत्री में भेदभाव की भावना को लिंगानुपात असंतुलित होने के कारण बताया है। कमजोर आर्थिक स्थिति को 8.00 प्रतिशत महिलाएं एवं 26.00 प्रतिशत महिलाएं बालिका शिशु की भ्रूण–हत्या को इसका प्रमुख कारण स्वीकार की है।

सारणी–4

महिला–पुरूष लिंगानुपात असंतुलित होने का कारण

कारण	प्रतिशत
कन्या शिशुओं की भ्रूण–हत्या	26.00
पुत्र लालसा	36.00
पुत्र–पुत्री में भेद–भाव की भावना	30.00
कमजोर आर्थिक स्थिति	8.00
योग	**100.00**

महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति उदासीनताः–

52.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे आलस्य व संकोच के कारण अपनी देखभाल नही कर पाती। जबकि 18.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उनको स्वास्थ्य के देखभाल के संदर्भ में ज्ञान का अभाव है। 12.00 प्रतिशत महिलाएं पति द्वारा कमाये गये धन को स्वेच्छा से स्वयं पर खर्च करना नही चाहती है, वे उसे अपव्यय समझती है। 12.30 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हें परिवार में कम महत्व दिया जाता है जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नही दे पाती है। 5.70 प्रतिशत महिलाओं ने उपरोक्त सभी कारणों को इसके लिए उत्तरदायी माना है।

सारणी–5

महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता

कारण	प्रतिशत
आलस्य एवं संकोच के कारण	52.00
अज्ञानता के कारण	18.00
पति द्वारा कमाये गये धन को स्वेच्छा से खुद पर खर्च नही करना चाहती	12.00
स्वयं को परिवार में महत्व कम देने के कारण	12.30
उपरोक्त सभी	5.70
योग	**100.00**

निष्कर्षः–

महिला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसका कारण महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। अधिकांशतः देखा गया है कि पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक रोगग्रस्त पायी जाती है क्योंकि संकोच के कारण अपनी बीमारी नहीं बताती है। अधिकाशंतः महिलाएं अपने स्वास्थ्य के पति उदासीन प्रवृत्ति अपनाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तरदात्रियों से महिलाओं के स्वास्थ्य पर उनके दृष्टिकोण को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है अधिकांश उत्तरदात्रियों का मानना है कि महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर सामान्य है। वे महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को अच्छा नही मानती है। महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य का कारण मुख्य रूप

से भोजन में पौष्टिकता का अभाव है। इस कारण वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है। महिलाएँ इस बात से सहमत है महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य का कारण उनमें व्याप्त अशिक्षा को मानती है।

स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के संबंध में उत्तरदात्रियों ने अनियमितता का परिचय दिया है। महिलाएं अपना स्वास्थ्य परीक्षण कभी–कभी कराती है। महिलाओं ने कभी स्वास्थ्य परीक्षण नही करवाया। जबकि कुछ महिलाएं छः महीने पूर्व स्वास्थ्य निरीक्षण कराया था। कुछ महिलाए ही नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराती है। स्वास्थ्य जैसे अमूल्य निधि पर महिलाओं की उदासीन प्रवृत्ति इस बात को परिलक्षित करती है कि महिलाएं अपने निम्न स्वास्थ्य स्तर की जिम्मेदार स्वयं है साथ ही अशिक्षा, संकोच व अज्ञानता भी इसके सहयोगी कारक है।

महिला–पुरूष लिंगानुपात असंतुलित है। इसका कारण पुत्र लालसा एवं पुत्र–पुत्री में भेद–भाव की भावना है। महिलाएं पुत्र मोह के कारण पुत्री नही चाहती है कुछ महिलाएं पुत्र–पुत्री में भेद करती है इस कारण स्त्री–पुरूष लिंगानुपात असंतुलित है। महिलाएं कन्या भ्रूण –हत्या को इसका जिम्मेदार मानती है, जिसका प्रचलन शीघ्रता से हो रहा है।

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वरिष्ठ सदस्य की जागरूकता आवश्यक है। महिलाएं यह मानती है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते है। 1.

यह सत्य है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं कर सकती है परन्तु वे नहीं करती, क्योंकि वे अपनी बीमारी बताने में संकोच का अनुभव करती है। कई ग्रामीण महिलाएं स्त्रीजन्य रोगों को पुरूष डाक्टरों के समक्ष कहने में भी असमर्थ होती है अज्ञानता के कारण भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल नही करती। महिलाएं 3 इसका दृढ़ता के साथ समर्थन करती है। जन्म के पश्चात् बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक रोगग्रस्त होती है। इसका कारण बालिकाओं को पौष्टिक आहार नही प्रदान करना है। बालकों की अधिक देखभाल की जाती है। जबकि बालिकाओं को बचपन से ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। महिलाएं इस बात से सहमत है कि बालकों की अधिक देखभाल 6 तथा पोषण तत्वों के अभाव में बालिकाओं को असमय काल–कलवित होना पड़ता है। क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने हेतु स्वतंत्र है। अथवा वे अपने पर धन खर्च कर सकती है। इस प्रश्न के उत्तर में महिलाओं ने सकारात्मक उत्तर दिया अर्थात अधिकांश महिलाएं स्वयं पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि कुछ महिलाएं आज भी अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र नही है। वे आज भी दूसरों पर निर्भर है।

अतः स्पष्ट है कि संकोच के कारण बीमारी नही बताने के कारण महिलाएं अधिक रोगग्रस्त पायी जाती है वर्तमान समय में उनका स्वास्थ्य स्तर सामान्य है। महिला स्वास्थ्य के गिरने का प्रमुख कारण भोजन में पौष्टिकता का अभाव तथा महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा है। महिलाएं अपना स्वास्थ्य परीक्षण कभी–कभी कराती है। जबकि कुछ महिलाएं इसे आवश्यक नही समझती। पुरूष–महिला अनुपात असंतुलित होने के कारण पुत्र लालसा है, जिससे पुत्र व पुत्री में भेद–भाव होता है पुत्री को अधिक महत्व नही दिया जाता अधिकांश महिलाओं के परिवार के वरिष्ठ सदस्य उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते है महिलाएं अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है परन्तु वे आलस्य, संकोच व अज्ञानता के कारण नही कर पाती। चूंकि बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा बालकों की देखभाल अधिक होती है। इस कारण बालिकाएं बालकों से अधिक काल कलवित होती है। अधिकांश महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए स्वेच्छा से धन खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु आर्थिक रूप से परतंत्र होने के कारण धन व्यय करने में संकोच करती हैं।

संदर्भः–

1. World health organizations, 22th July 1946, New York

2. हरिशचन्द्र व्यासः महिलाओं की स्वास्थ्य की मौलिक आवश्यकताएं ही उपलब्ध नहीं समाज कल्याण, सिंतबर 1999

3. Neera Desai "Women and Society in India" Health - A Gender issue In India.

4. UNICEF the State of the world Children, 1987

5. हरिशचन्द्र व्यासः उपरोक्त।

6. Shamim Alim's: Women's Development, Problem and prospect" Padmaja Vani- Women and Health Care, New Delhi (1996) P.115-128

7. Roy, Somnath (1985): " Primary health care in India" Health and population, Perspective and issues,8 (3)

चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का वैशिष्ट्य रूप

डॉ. शैलेन्द्र चौधरी, दर्शन विभाग रा.दु.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)

धर्म और रहस्यात्मक शक्ति का संबन्ध सदैव मानव जोड़ते आया हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में माने जाते रहे हैं यह दोनों इस प्रकार से आपस में घुल–मिले हैं कि दोनों के बीच विभेदक रेखा खींचना कठिन है। वैष्णव परंपरा के महान संत चैतन्य महाप्रभु का जीवन भी इस रहस्यवाद से जुड़ा है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु उपरान्त रहस्यात्मक भक्ति की ओर इंगित करता हैं।

चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में द्वैत एवं अद्वैत दोनों प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। द्वैत भाव में वह सामान्य व्यक्ति की तरह ईश्वर के गुणगान कर ईश्वर की लीला को बताते हैं। तो दूसरी ओर अद्वैत भाव में वह स्वयं अपने को ईश्वर मानते हैं। इस ईश्वरीय भाव में जो लीला की गई है, वह उनकी भक्ति के वैशिष्ट्य के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रकार के भाव को शक्त्यावेशातार कहते हैं, यह असंख्य एवं अनंत होते हैं। इस शक्त्यावेशावतार को दो भागों में विभक्त किया गया है– प्रथम मुख्य एवं दूसरा गौण अवतार।

1. मुख्य अवतार में स्वयं नारायण विशेष कार्य के लिए अवतार लेते हैं।
2. गौणी अवतार के अन्तर्गत विष जीवों में शक्ति का आवेश होता है,

जिसे आवेशावतार कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा भी जाना जा सकता है, जैसे– देव श्री नारद में भक्ति शक्ति का आवेश, ब्रह्माजी में अर्जन शक्ति का आवेश, परशुराम में दुष्टनाशक शक्ति का आवेश, पृथु में जीव–पालन शक्ति का आवेश हुआ था।

इन आवेश अवतार के आधार पर स्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु को भक्ति प्रकाश का पूर्णतम आवेश बताया है।[1]

इस प्रकार का आवेश महाप्रभु में भी होता था, लेकिन अन्य लोगों के आवेश से महाप्रभु के आवेश में अन्तर था। महाप्रभु में आवेश भिन्न–भिन्न प्रकार का होता था। यह आवेश देश–काल, समय की परिधि से बाहर होता था, जैसा जो रूप उन्हें भक्त द्वारा स्तुति योग्य होता था, वह उसी रूप में अपने आप को पाते थे। इन रूपों में मुख्यतः उद्धव, अक्रूर, ब्रह्माजी, गोपी–भाव, प्रह्लाद, बलराम, भांकर, कृश कृष्ण, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, विष्णु.....आदि रूप होते थे। इन विभिन्न प्रकार के आवेशों को भक्त उनकी लीला के रूप में जानते हैं। इस लीला की व्याख्या इस प्रकार है–

महाप्रभु के इस आवेशावतार में इनके जन्म से लेकर शरीर त्याग तक उनकी लीलाओं को रखा गया है। इनके जन्म के समय भी अनेक प्रकार की लीलाएँ की गई हैं। सर्वप्रथम लीला में महाप्रभु द्वारा अपने माता–पिता को अपने पद चिन्हों में उपस्थित चिन्हों को दिखलाना है। इन पद चिन्हों में कुल उन्नीस चिन्ह थे, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं– ध्वजा, पद्म, यव, अंकुश, वज्र, अष्टकोण, इन्द्रधनुष, ऊर्ध्वरेखा, स्वस्तिक, त्रिकोण, अम्बर, मत्स्य, कलश, अर्द्धचन्द्र, छत्र, जम्बुफल, गोष्पद, चक्र एवं शंख।[1]

ऐसे ही बाल लीला में एक बार महाप्रभु भोजन पकाई हुई जूठी हाण्डी में जाकर बैठ गए, जिसमें भगवान् का नैवैद्य बनाया गया था, जिसे देखकर माँ ने विरोध स्वरूप कहा– ''निमाई तुम अब अपवित्र हो गए हो, तुम्हे गंगा में स्नान करना होगा।'' इसके प्रत्युत्तर में महाप्रभु ने कहा– ''माता! तुम्हारी बुद्धि बालक के समान है। मैं कभी भी अपवित्र स्थान पर अवस्थित नहीं होता हूँ। जहाँ पर मैं अवस्थित होता हूँ। वह स्थान स्वतः ही पवित्र हो जाता है। मैं जिस वस्तु को छू देता हूँ। वह भी पवित्र हो जाती है और इन हाण्डियों में मूलतः श्रीविष्णु का ही नवैद्य बनाया गया है, अतः यह भी पवित्र हैं।[2]

इन्हीं लीलाओं के क्रम में आभूषणों के मोह के कारण इनको चोरों द्वारा हर कर ले जाना तथा माया वश पुनः घर छोड़ जाना भी शामिल है। एक अन्य घटना में अतिथि द्वारा नैवैद्य ग्रहण करने से पूर्ण निमाई के द्वारा आकर उसे बार–बार ग्रहण करना। पैरों में नुपुर न होने पर भी नुपुर की ध्वनि सुनाई देना, सर्प से खेलना एवं माँ को चतुर्भुज रूप दिखाना है। इन सब लीलाओं के अतिरिक्त अपनी माँ को हर जन्म में अपनी माँ रूप होने के स्मरण दिलाते हुए कहते हैं– ''मैं अपने सब अवतार जन्मों में तुम्हारा ही पुत्र हूँ। एक जन्म में मेरा नाम पृष्नि था, तब आप मेरी माता थीं। फिर स्वर्ग में अदिति हुई, तब मैं वामन अवतार रूप में प्रकट हुआ। फिर आप देवहूति हुई, जिसमें मैंने कपिल नाम से आपका पुत्र हुआ। दूसरी बार कौशल्या रूप में जन्म लिया, उनमें मैं रामचन्द्र के रूप में अवतार

लिया। फिर तुम मथुरा में देवकी हुईं वहां मैंने कृष्ण रूप में अवतार लिया। मैं वही देवकी का पुत्र हूँ आगे मेरे दो जन्म और होंगे जो संकीर्तन के प्रचार हेतु होंगे।[1]

इसी प्रकार से महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त श्रीवास को नृसिंह रूप में दर्शन दिए। श्रीवास अपने घर में नृसिंह की पूजा में मग्न थे, तभी महाप्रभु उनके घर पहुँचकर उनकी चौखट पर लात मारने लगे और कहने लगे तू जिसकी पूजा कर रहा है। वह प्रत्यक्ष रूप से तेरे सामने प्रकट हो गए हैं और वह आगे कहते हैं – ''अरे श्रीवास! तू मेरे इस अवतार रूप अवतार रूप को नहीं जान सका। तेरे और नाढ़ा (अद्वैत) की हुँकार के कारण मैं बैकुण्ठ छोड़कर सपरिवार यहाँ आया हूँ। अब मैं साधुओं का उद्धार करूँगा और दुष्टों का विनाश करूँगा।

इसी प्रकार मुरारी गुप्त महाप्रभु का अनन्य भक्त था, वह प्रभु के वराह स्वरूप की पूजा करता था। एक दिन महाप्रभु 'शूकर–शूकर'– कहते हुए मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश कर गए। जिसे सुनकर मुरारी गुप्त यहाँ–वहाँ शूकर को ढूढ़ने लगे कि घर में शूकर कहा से आ गया, लेकिन वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही महाप्रभु पूजा घर में प्रवेश कर गए एवं सामने रखे जल के पात्र को अपने दाँतों के द्वारा उठा लिया और अपने चारों खुरों को प्रकट करते हुए कहने लगे ''मुरारी ! मेरी स्तुति करो, स्तुति करो।'' ''बोल बोल! कोई भय नहीं है ! तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ।[2]

माधवेन्द्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी हुए हैं। ईश्वरपुरी से ही महाप्रभु ने गुरू दीक्षा ली थी। यहां महत्वपूर्ण यह है कि ईश्वरपुरी के गुरू भाई श्री अद्वैताचार्य की मुख्य रूप से कृष्ण स्तुति के कारण महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया था। इसे महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप में अद्वैताचार्य को दर्शन देकर उनके किए गए संकल्प को याद दिलाया था। तुमने मेरी बहुत उपासना की है। मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, परन्तु तुम्हारे प्रेम की हुँकारों से मेरी निद्रा भंग हो गयी। मैं यहाँ इन सब जीवों के उद्धार करने के लिए आया हूँ।[3]

जिस समय बंगाल में महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस समय वहाँ पर मुसलमान शासक का राज्य था। वहाँ वैष्णव स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार–प्रसार नहीं कर सकते थे। हिन्दुओं को हमेशा राजा का खौफ बना रहता था कि कोई इनकी पूजा करने की शिकायत न कर दे। वह स्वतंत्र रूप से भजन करने में भी डरते थे। इस मनोदशा को देखकर वहां उपस्थित श्रीनिवास एवं अन्य भक्तों से महाप्रभु ने कहा, अगर महाराजा आ जाए तो मैं उससे कहूँगा–''हे राजन्! तू अपने समस्त काजी और मुल्ला को बुला ले और जितने तेरे घोड़े, हाथी, पशु–पक्षी हैं सबको यहाँ एकत्रित कर ले। इसके उपरान्त उन काजी–मुल्लों से मैं कहूंगा कि वह अपने शास्त्र अनुकूल प्रेम भक्ति में उन्हें रूलावे। अगर वह ऐसा न कर सके तो मैं अपना विराट रूप धारण करके इन हाथी–घोड़े, पशु–पक्षी को रूलाऊँगा।

महाप्रभु की अन्त्यलीला अत्यंत की हृदय विदार्ण करने वाली है। इस लीला में विरह भाव को केन्द्र में रखा गया है। इस लीला के अन्तर्गत महाप्रभु द्वारा किए जाने वाले कीर्तन के समय हरिनाम करते–करते भावपूर्ण होने के कारण वह बार–बार पछाड़ खाकर गिर जाते थे। वह अवस्था नगर भ्रमण, चबूतरे में बैठे वक्त, जल में नहाते वक्त, वन में गमन आदि स्थानों में आते–जाते उठते–बैठते अश्रुओं की धारा लगातार अहती रहती थी। इस अवस्था में हरिनाम जहाँ वह सुनते थे तो उनका अपने आप में अधिकार ही नहीं रह जाता था। जैसे वह किसी बाह्य शक्ति द्वारा हवा की तरह गतिमान हो जाते थे। इस भाव अवस्था के खत्म होने के उपरान्त उन्हें जब होश आता था तो उनके द्वारा किए गए कृत्यों का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, इसके लिए उन लोगों से वह क्षमा की प्रार्थना की करते थे।

इस तरह से महाप्रभु का नृत्य कीर्तन का क्रम निरन्तर चलते रहता था। इसके लिए कोई विशेष समय–सीमा का गठन नहीं किया गया था। जब भाव आ जाते थे तभी से हरि के भजन–कीर्तन चालू हो जाया करते थे। इसमें मुख्य रूप से महाप्रभु निम्नलिखित श्लोकों को उच्चारण करते थे :–

''हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव
गतिरन्यथा।।19।।''

अर्थात्– ''कलियुग में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, केवल यही नाम सत्य है, इसके अन्यत्र और कोई गति नहीं है।''[7]

इसी श्लोक के अन्यत्र एक अन्य श्लोक को भी वह उच्चारण किया करते थे। वह इस प्रकार है :–

''कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे।।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्ष माम्।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम्।।

राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्।

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्।।3।।[8]

महाप्रभु की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि वह गोपी भक्ति का त्याग करके पराभक्ति में प्रवेश कर गए थे, जिसमें सारे नियम, धर्म, वर्ग, आज्ञाएं, पाप–पुण्य आदि से ऊपर उठकर महाप्रभु सनातन को कहते हैंः–

''विधि धर्म छाड़ि भजेकृष्णेर चरण।

निशिद्ध पापाचारे तार कभु नहे मन।।

अज्ञानेओ यदि हय पाप उपस्थित।

कृष्ण तारे शुद्ध करे, ना करे प्रायशिचत।।''[9]

महाप्रभु का विरह इतना अधिक बढ़ गया था कि दीवारों व जमीन में अपना हाथ–मुँह रगड़ने लगे थे। बार–बार पछाड़ खाकर गिर जाते थे, शरीर में जगह–जगह से रक्त निकलने लगता था। उनके भक्तों द्वारा उन्हें संभालना अत्यन्त ही कठिन हो गया था। उनके साथ उनका एक शिष्य सदैव उनके साथ रहने लगा, जिससे किसी भी स्थिति में उनको संभाल जा सके। वह रात को भी अपने शिष्यों को समझाने पर, दिखाने के लिए जो सो जाया करते थे, लेकिन साँसों में कृष्ण नाम का भजन चलता रहता था। साथी भक्तों के सोने पर फिर वह दीवाल, जमीन पर उस विरह की पीड़ा से मुक्त होने के लिए शरीर को रगड़ने लगते थे। रात को कब–वह कुटिया से बाहर चले जाते थे किसी को कुछ पता नहीं चलता था। इसी तरह उन्होंने आषाढ़ मास की सप्तनी तिथि रविवार के दिन तीसरे पहर में, महाप्रभु गुंजाबाड़ी (गुण्टीचा मन्दिर) के श्री जगन्नाथ मन्दिर में प्रवेश किया और और श्री जगन्नाथ को दृढ़तापूर्वक आलिंगन करके अदृश्य हो गए।[10]

इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जीवन के विषय में यह कहा जा सकता हैं। कि भक्ति कोई शास्त्र नहीं हैं। और न ही यात्रा, सिद्धान्त व समझ हैं। इसमें तो केवल कोई विरला भक्त ही डूबकर ही इस राज को समझ पाता हैं।

1. स्वामी प्रभुपाद, भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, मम्बई, संस्करण–ग्यारहवां सन्–2007, पृ.–98.

2. रामानन्द शर्मा, श्री चैतन्य प्रेम सागर, खण्ड–प्रथम, श्रीहरि राम संकीर्तन मंडल, वृन्दावन, संस्करण–तृतीय, सन्–1986, पृ.90.

3. वृन्दावनदास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत्, आदि खण्ड, श्रीहरि नाम संकीर्तन मंडल, वृन्दावन, संस्करण–द्वितीय, सन्2000, पृ–78

4. वृदावनदास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत्, मध्य–खण्ड, श्रीहरि नाम संकीर्तन मंडल, वृन्दावन, संस्करण–द्वितीय, सन्–2000, पृ–561–562.

5. मुरारी गुप्त, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम्. श्री हरिदास शास्त्री, श्रीगदाधर गौरहरि प्रेस, मथुरा, सन् –1984, संस्करण–प्रथम, पृ.–117–118.

6. वृन्दावनदास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत्, मध्य–खण्ड, श्रीहरि नाम संकीर्तन मंडल, वृन्दावन, संस्करण–द्वितीय, सन्–2000. पृ.–297.

7. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्यखण्ड, सप्तम परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण–पंचम, सन्–2001, पृ–125.

8. भक्ति विनोद ठाकुर, श्री श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री त्रिडंडी स्वामी श्री भक्ति वेदान्त माधव महाराज, संस्करण–तृतीय, मथुरा, सन्'–2006 पृ.–31

9. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत मध्य खण्ड, सप्तम परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण–पंचम, सन्–2001, पृ–130.

10. वृन्दावनदास ठाकुर, श्री चैतन्य भागवत्, मध्य–खण्ड, दशम अध्याय, श्रीहरि नाम संकीर्तन मंडल, वृन्दावन, संस्करण–द्वितीय, सन्–2000, पृ.–362.

11. गोस्वामी, केशव, मायावाद की जीवनी, गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, मथुरा, संस्करण–द्वितीय, सन्–2005.

12. गोस्वामी, केशव, श्री चैतन्य चरित्र–पीयूष, गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, संस्करण–प्रथम, वृन्दावन, सन्–2004.

13. गोस्वामी, केशव, नामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर (शिक्षा–समन्वित जीवन चरित्र), गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, वृन्दावन, सन्–2009.

14. गोस्वामी, रूप भक्तिरसामृतसिंधु, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, मुंबई, संस्करण–चतुर्थ, सन्–1970.

15. गोस्वामी, रूप, भक्तिरसामृतसिन्धु, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, संस्करण–प्रथम, सन्–1963.

16. गोस्वामी, वीरचन्द्र, महाप्रभु–श्रीगौरांग, श्रीहरि संकीर्तन मण्डल श्रीधाम, वृन्दावन, संस्करण–प्रथम सन्–1985

17. गोयल, उषा, श्री चैतन्य महाप्रभु संस्कृति और साहित्य, श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचशती समिती, राजस्थान।